लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २५, १९५९/१८८० (शक)

[९ से २० फरवरी १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २५, अंक १ से १०—९ फरवरी से २० फरवरी, १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन, १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, ९ फरवरी, १९५९/२० माघ, १८८० (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १

श्री ठाकुर दास मल्होत्रा, श्री रानेन्द्र नाथ बसु तथा श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर का निधन १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया . . २—९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ९—१०

संसदीय समितियां—कार्य सारांश १०

स्थगन प्रस्तावों के बारे में १०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १०—१२, १४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

विशेषाधिकार समिति—

प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय का बढ़ाया जाना . . १३—१४

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित . . १४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १५—१८

अंक २—मंगलवार, १० फरवरी, १९५९/२१ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ और १२ से १८ . . . १९—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४२—४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०, ११ और १९ से ५१ . . ४५—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९, ११ से ४४ और ४६ से ५२ ५९—८०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . ८०-८१

स्थगन प्रस्ताव—

रजा तथा बुलन्द शुगर मिल्स, रामपुर में ताला बन्दी . ८१–८२

विशेषाधिकार-भंग संबंधी प्रस्ताव—

श्री एम० ओ० मथाई द्वारा कही गई बातें . . . ८२—९५

सभा-पटल पर रखेगये पत्र . . . ९५–९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

खाद्यान्नों के मूल्य . . . . ९६—९९

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक— १००—३७

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १००—३१

खण्ड २ से ४, ७ से १९, १८ क, ५, ६, २० तथा १ और अधिनियमन सूत्र १३१—३७

पारित करने का प्रस्ताव . १३७

कार्य मंत्रणा समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन . १३८

दैनिक संक्षेपिका . १३९—४५

अंक ३—बुधवार, ११ फरवरी, १९५९/२२ माघ, १८८० (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२ से ५६, ५८ से ६२ और ६४ . १४७—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६५ से ९८, १०० से १०७ और १०९ से १२८ १६९—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ७३, ७५ से १०४ और १०६ से १३४ . १९७—२३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २३९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन . २३९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की हड़ताल २३९–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चौंतीसवा प्रतिवेदन . २४०

दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक २४०—७५

विचार करने का प्रस्ताव . . २४०—७३

खण्ड २ से २९, नया खण्ड ३० और खण्ड १ २७३—७५

पृष्ठ

पारित करने का प्रस्ताव . . २७५

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक . . . . २७५—८४

विचार करने का प्रस्ताव . . २७५—८२

खण्ड २ से १०, ११ से १४ तथा खण्ड १ २८३—८४

पारित करने का प्रस्ताव २८४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . २८४—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८७—९३

अंक ४—गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९/२३ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३७, १४० और १४२ से १४७ . २९५—३१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४९ से १५५ और १५७ से १९१ . ३१९—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३५ से १६५, १६७ से २०२, २०४, २०५, २०७ से २१०, २१२ से २२४ और २२६ से २२८ . ३३९—७५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

चीनी मिलों में तालाबन्दी . . ३७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ३७५—७८

विधेयक पर राय . . . ३७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु ३७८—८०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . ३८०—४२८

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३८०—४१८

खण्ड २ से ४, ६ से १२, ५ और १ तथा अधिनियमन सूत्र . ४१८—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ४२३—२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४२९—३६

अंक ५—शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९६, १९८ से २०० और २०२ से २०४ ४३७—५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ से २२६, २२८ से २४१ और २४४ से २५२ ४५९—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २३५, २३७ से २३९ और २४१ से २७६ ४७९—९८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४९९

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति----
छत्तीसवां प्रतिवेदन ४९९

फिल्म उद्योग के बारे में वक्तव्य---सभा-पटल पर रखा गया . . ५००

चिनाकुरी खान-दुर्घटना पर चर्चा के बारे में . . ५००

सभा का कार्य . . . ५००--०१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . ५०१--३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौतीसवां प्रतिवेदन ५३४-३५

देश के सभी लोक-सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प . ५३६—५१

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में संकल्प . ५५२-५३

दैनिक संक्षेपिका . . ४५४--५९

अंक ६—सोमवार, १६ फरवरी, १९५९/२७ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-

तारांकित प्रश्न संख्या २५३ से २६०, २६२, २६४ से २६८, २७० २७१, २७३ से २७५, २७७ और २८१ ५६१--८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६९, २७२, २७६, २७८ से २८०, २८२ से ३०१ और ३०३ से ३१० . . . ५८८--६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ से ३२२, ३२४ से ३५९ और ३६१ से ३६९ ६०५--४५

रामपुर की चीनी मिलों में हड़ताल के बारे में ६४५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ६४५--४८

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . ६४८-४९

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के अनुपूरकों के उत्तरों को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य . . ६४९

नदी बोर्डों के नियमों के सम्बन्ध में वक्तव्य . . ६४९

रामपुर की रजा और बुलन्द शुगर मिल्स में श्रम विवाद के बारे में वक्तव्य ६५०-५१

राष्ट्रपति के अथिभाषण पर प्रस्ताव ६५१--८२

दैनिक संक्षेपिका . . ६८३--९२

अंक ७—मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९/२८ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३११, ३१२, ३१४ से ३१६, ३१८, ३२१ से ३२४ और ३२६ से ३२८ ६९३--७१९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१७, ३१६, ३२०, ३२५, ३२६ से ३४१, ३४३ से ३५८ और ३६० से ३६४ . . . ७१६—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७८, ३८० से ४०५, ४०७ से ४२६, ४२८ ४२८ और ४३० . . . . ७३५—५७

स्थगन प्रस्ताव

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाये जाने की घटनायें ७५७—६०

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . ७६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५८-५९ . ७६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८-५९ . ७६३

प्राक्कलन समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . ७६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७६३—८१४

दैनिक संक्षेपिका ८१५—२०

अंक ८—बुधवार, १८ फरवरी, १९५९/२९ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ से ३६८, ३७०, ३७३ से ३७५, ३७७, ३७९, ३८२ से ३८५ और ३८८ . ८२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६९, ३७१, ३७२, ३७६, ३७८, ३८१, ३८६ ३८७, ३८९ से ३९१ और ३९३ से ४१७ . . ८४६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१ से ४७९ और ४८१ से ४८७ ८६२—८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८८४—८५

रेलवे आय-व्ययक, १९५९-६० . . ८८५—९१२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ९०२—३९

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन ९३०

दैनिक संक्षेपिका . . . ९४०—४४

पृष्ठ

अंक ९—गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९/३० माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ से ४२२, ४२५, ४२६, ४२८ से ४३३, ४३५, ४३९ और ४४१ . ९४५—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ९७०—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२३, ४२४, ४२७, ४३४, ४३६ से ४३८, ४४०, ४४२ से ४६७ . . ९७२—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ४९९ और ५०१ से ५५७ ९८७—१०१५

श्री सिद्दप्पा होशमानी का निधन १०१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०१५

कार्य मंत्रणा समिति— १०१५

पैंतीसवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १०१६—३२

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०३२—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . १०५४—५९

अंक १०—शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९/१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ से ४७७ और ४७९ से ४८८ १०६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ और ४८९ से ५१८ १०८६—११००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५८ से ६६५ ११००—४६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ११४७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११४८

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ११४८-४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक बरात को परेशान किये जाने की कथित घटना . ११४९

सभा का कार्य ११४९–५०

खेल-कूद के स्तर में गिरावट के बारे में प्रस्ताव . ११५०—६८

विधेयक पुरस्थापित ११६८–६९

पृष्ठ

१. श्री उ० च० पटनायक का भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . ११६८

२. श्री जगदीश अवस्थी का दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का लोप) . ११६९

३. श्री झूलन सिंह का पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक ११६९

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११६९—८६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ११८७

दैनिक संक्षेपिका . . ११८८—९५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सोमवार, १६ फरवरी, १९५९ / २७ माघ, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डाक तथा तार बोर्ड संगठित करना

+

†*२५३. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार बोर्ड संगठित करने के प्रश्न पर अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) बोर्ड को कौन-कौन सी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रत्यायोजित की जाने वाली हैं; और

(ग) रेलवे बोर्ड की तुलना में इसकी क्या स्थिति होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिये एक योजना बनायी जा रही है ।

(ख) यह योजना बनायी तो इस आधार पर जा रही है कि सारभूत प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी जायें, लेकिन अभी से यह नहीं बताया जा सकता कि अन्त में इसका स्वरूप किस प्रकार का होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) रेलवे बोर्ड से इसका कोई साम्य नहीं है लेकिन यह योजना तैयार करते समय उसका नमूना ध्यान में रखा जा रहा है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रादेशिक हितों का विकास संतुलित ढंग से हो सके और केन्द्रीय कार्यालय भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित हों, क्या सरकार डाक तथा तार प्रधान कार्यालय को पटना में रखना वांछनीय समझती है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मेरे ख्याल से यह बात ऐसी है जो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती क्यों कि यह प्रश्न उस बोर्ड के विषय में है जिसे हम स्थापित करने की बात सोच रहे हैं, इस बारे में नहीं कि प्रादेशिक कार्यालय किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : मैं यह जानना चाहता था कि क्या प्रादेशिक विकास के हित को ध्यान में रखते हुए और केन्द्रीय कार्यालयों को भिन्न-भिन्न स्थानों पर रखने के विचार से यह वांछनीय नहीं समझा गया कि कुछ केन्द्रीय विभागों के प्रधान कार्यालय अन्य राज्यों में खाले जायें, और इसी वजह से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता था कि क्या इसके प्रधान कार्यालय को पटना में, जहां अभी एक भी केन्द्रीय कार्यालय नहीं है, रखना वांछनीय नहीं होगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : श्रीमन्, इस बोर्ड का पटना में रखना नितान्त अवांछनीय है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या इस योजना को अन्तिम रूप प्रदान करने से पहले संसद् सदस्यों से इस बारे में चर्चा कर ली जायेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : श्रीमन्, मेरे ख्याल से प्रक्रिया यह नहीं होगी। यह योजना अभी बन रही है। तैयार होने पर यह स्वाभाविक रूप से संसद् के समक्ष आयेगी।

सेठ अचल सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बोर्ड का परसोनल क्या है ?

श्री स० का० पाटिल : स्कीम तो अभी बन रही है। परसोनल वगैरह अभी नहीं बना है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार इस बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय होने तक डाक तथा तार विभाग के वित्त को पृथक् करने का विचार कर रही है।

†**श्री स० का० पटिल** : जी नहीं—यह पूरा प्रश्न विचाराधीन है और हम आधे परदे ढंग से कुछ भी काम नहीं करना चाहते।

†**श्री स० चं० सामन्त** : लोक-निर्माण विभाग से डाक तथा तार भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में एक अन्तरिम व्यवस्था कर ली गयी थी। क्या यह सफलतापूर्वक चली, और यदि नहीं, तो क्या इस बोर्ड की स्थापना में शीघ्रता की जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब कार्य के लिये सुझाव हैं।

†**श्री स० का० पाटिल** : पहली बात आवश्यक रूप से इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती लेकिन इस नये बोर्ड की स्थापना में यह बात हमारे विचाराधीन है।

भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या माननीय मंत्री जी अपना अनुमान बतला सकेंगे कि देर से देर कब तक इस बारे में फैसला होने की आशा की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : जल्द से जल्द होगी मैं यह मानता हूं। तैयार तो हो रही है। अभी एक दो हफ्ते में कैबीनेट के सामने जायेगी।

†**श्री तंगामणि** : डाक तथा तार बोर्ड की स्थापना का विचार भूतपूर्व मन्त्री का था और यह बात अब लगभग एक वर्ष से चल रही है। क्या निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि कम से कम १९५९-६० में इसे अन्तिम रूप प्रदान किया जा सकेगा या नहीं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं इसे जल्द से जल्द अन्तिम रूप प्रदान करने को बड़ा उत्सुक हूं। लेकिन मैं कह चुका हूं कि यह बड़ा ही जटिल मसला है क्योंकि हमें कई विभागों के विचारों का ध्यान रखना पड़ता है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस प्रस्तावित डाक-तथा तार बोर्ड से कर्मचारियों के हित में लाल-फीताशाही किस सीमा तक कम हो जायेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मुझे आशा है कि कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये जो भी काम किया जायेगा वह कर्मचारियों के हित में ही होगा।

मोकामा-बरौनी सेक्शन का विस्तार

+

†*२५४. **श्री बर्मन** :
श्री फ० गो० सेन :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोकामा से बरौनी तक के बड़ी लाइन वाले सेक्शन का विस्तार होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो कितनी दूर तक और किस दिशा में; और

(ग) क्या आसाम, उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर बिहार से आने वाले माल-यातायात का विचार कर लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

†**श्री बर्मन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसाम और उत्तरी बंगाल से होने वाले माल-यातायात में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, क्या सरकार फिलहाल बड़ी लाइन को बरौनी से कम से कम सिलीगुड़ी तक बढ़ा देना वांछनीय समझती है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: जी नहीं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इसे अगले वर्ष के बजट में शामिल किया जा सकता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह विचाराधीन है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या सरकार को पता है कि बड़ी लाइन को सोनपुर तक बढ़ाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि बिहार की राजधानी को उत्तर बिहार से सम्पर्क रखने के लिये अपेक्षाकृत कुछ आरामदेह मार्ग मिल सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमारा ऐसा विचार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य अचनाक इस प्रकार के सुझाव दे कर मंत्रियों को सोच विचार का मौका नहीं देते और मंत्रियों को बाध्य हो कर कुछ न कुछ बात कहनी ही पड़ती है और इसलिये उन्हें बाद में किसी बात के लिये राजी नहीं किया जा सकता । अभी उन्हें यह सब सुझाव देने की क्या जरूरत है ?

माननीय सदस्यों को मैं यह सलाह दूंगा कि वे नीति सम्बन्धी ऐसे प्रश्न न पूछें जिन का फल काफी आगे चल कर परिलक्षित होता हो । क्योंकि, मंत्रियों के इस प्रकार पीछे पड़ने पर कुछ न कुछ उत्तर तो देना ही पड़ता है और अन्त में अपनी बात से पीछे हटना उन के लिये कठिन हो जाता है । वह किसी बात की उपयोगिता के विषय में भले ही सन्तुष्ट क्यों न हों फिर भी कुछ न कुछ समय तक तो उन्हें अपनी बात पर कायम रहना ही पड़ता है ।

ढोरों का निर्यात

+

†*२५५. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० च० माझी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को भैंसों, गायों और बैलों के निर्यात द्वारा १९५८ में कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ख) क्या इन पशुओं सम्बन्धी मांग पूर्ण रूपेण पूरी कर दी गयी थी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) १९,८६५ रुपये । इस में जहाज पर चढ़ने के स्थान तक इन पशुओं के भजने का खर्च , चारे का खर्च आदि शामिल नहीं है क्योंकि यह खर्च आयात करने वालों ने स्वयं दिया था ।

(ख) जी नहीं ।

†**श्री सुबोध हंसदा**: इन पशुओं का निर्यात किन-किन देशों को किया गया ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमने साहीवाल नस्ल के चार पशु—दो बैल और दो गाय · तोकीनिया भेजे थे और लगभग १० भैंसें और एक भैंसा मध्य पूर्व में कातर को भेजा था ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : किस नस्ल की गाय बैलों का निर्यात कया गया था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : साहीवाल ।

†**श्री मा० कृ० गायकवाड़** : विदेशों को भैंसों, गायों और बैलों का निर्यात किस प्रयोजन के लिये किया गया और १९५७-५८ में कितनी-कितनी भैंसों, गायों और बैलों का निर्यात किया गया था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मैं बता चुका हूं कि गत वर्ष हम ने चार तोकीनिया भेजे थे और १० भैंसे व एक भैंसा कातर भेजा गया था । ये प्रजनन कार्य के लिये भेजे गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : पिछले सत्र में मंत्री महोदय ने कहा था कि हम ने २०० भैंसें वियतनाम भेजे हैं। क्या सरकार को उस देश में इन भैंसों के व्यवहार के विषय में कोई जानकारी है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : कुछ हम वियतनाम को भेज रहे हैं और इन भैंसों को और भी अधिक संख्या में वियतनाम भेजने के लिये बातचीत चल रही है । ये कृषि संबंधी कार्यों के लिये जाते हैं। हमारे भैंसें बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं और जहां भी जाते हैं बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं ।

विशाखापत्तनम् में सूखी गोदी का निर्माण

+

†*२५६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम में एक विशाल सूखी गोदी के निर्माण का प्रास्तव स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्माण स्थगित कर देने के फलस्वरूप कुछ वित्तीय हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां––फिलहाल।

(ख) विदेशी मुद्रायें उपलब्ध नहीं हुई क्योंकि इस परियोजना को योजना के 'मुख्य भाग' में शामिल नहीं किया गया था।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि इस सूखी गोदी का निर्माण स्थगित किये जान के ठीक पहले शिपयार्ड ने इस का डिजाइन बनाने के लिये किसी विदेशी फर्म के साथ समझौता किया था और यदि हां, तो क्या उस फर्म को कुछ फीस दी गई थी ?

†**श्री राज बहादुर** : शिपयार्ड ने अपने परामर्शदाता मेसर्स रेन्डेल पामर एण्ड ट्रिटन से एक ब्यौरेवार परियोजना तैयार करने के लिये कहा था जो उन्होंने बना दी थी। शिपयार्ड ने ब्यौरेवार परियोजना का अनुमोदन भी कर दिया था और उन्हें यह अधिकार दे दिया था कि वे ब्यौरेवार ड्राइंगें, डिजाइन और विवरण भी तैयार कर लें और यह भी तैयार कर लिये गये थे ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह निर्माण कब तक स्थगित रहेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : हम इस प्रश्न पर फिर से विचार कर रहे हैं कि इस का निर्माण आरम्भ किया भी जाये या नहीं । इस के लिये हमें यह जानना शेष है कि इस के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रायें हमें मिलेंगी या नहीं । जब तक विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी स्थिति नहीं सुधरती इसे स्थगित ही करना पड़ेगा ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या अब तक कुछ राशि व्यय हुई है ?

†**श्री राज बहादुर** : जी हां , ६,३२,६४० रुपये की राशि व्यय हो चुकी है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि यह स्थगित कर दिया गया है। क्या यह द्वितिय पंचवर्षीय योजना की अवधि तक स्थगित रहेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : इसे द्वितीय योजना में शामिल किया गया था । वास्तव में प्रशासनिक निर्णय तो १९५४ में ही हो चुका था और १ लाख रुपये की राशि प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यय की गई थी । द्वितीय योजना में आवश्यक वित्तीय सहायता का उपबन्ध कर दिया गया था । लेकिन प्राक्कलित व्यय में विदेशी मुद्राओं का काफी बड़ा अंश होने के कारण फिल हाल इसे स्थगित कर दिया गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस सूखी गोदी में कितनी विदेशी मुद्रायें व्यय होंगी ?

†**श्री राज बहादुर** : ४१ लाख रुपये—इस से कुछ ज्यादा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि यह स्थगन १९५७ में किया गया था ? यह योजना १९५४ में आरम्भ की गयी थी । क्या इस में शीघ्रता की जायेगी ताकि यह द्वितीय योजना की अवधि के भीतर ही पूरी हो जाये ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं अभी बता चुका हूं कि विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी कठिन स्थिति के कारण इस योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है । यदि विदेशी मुद्राओं संबंधी स्थिति सुगम हो गयी तो हम इसे पुनः आरम्भ करने का प्रयास करेंगे ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : पूर्वी तट पर पोतों की मरम्मत और सूखी गोदी सम्बन्धी अपर्याप्त सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस सूखी गोदी योजना को द्वितीय योजना की ही अवधि में पूरा कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : इस परियोजना को द्वितीय योजना में शामिल करने का एक कारण यह भी था कि पूर्व में पोतों की मरम्मत और सूखी गोदी सम्बन्धी सुविधायें पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। इन परिस्थितियों में सूखी गोदी काम में लाने के लिये हमें कलकत्ता और अन्य स्थानों का ही उपयोग करना पड़ेगा । विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी स्थिति में सुधार प्रतीत होते ही हम इस मामले में आगे कार्यवाही आरम्भ कर देंग ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि यह योजना १९४६ से ही सरकार के दिमाग में थी और कुछ प्रारम्भिक जांच भी की गयी थी ? किसी योजना को क्रियान्वित करने में इतना समय क्यों लगता है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं कह चुका हूं कि हम ने इसे स्वीकार कर लिया था और काम भी आरम्भ कर दिया था—ब्यौरेवार परियोजना, ड्राइंग, आदि बन गयी थीं । विदेशी मुद्राओं संबंधी विषम स्थिति के कारण हमें बड़ी अनिच्छापूर्वक इसे स्थगित कर देना पड़ा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बंगलौर में मल-अपवहन[1]

†*२५७. **श्री केशव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर शहर के मल का प्रभावपूर्ण ढंग से अपवहन करने के सम्बन्ध में मैसूर सरकार ने केन्द्र अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की सहायता मांगी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में यदि केन्द्र बंगलौर निगम की सहायता करने वाला हो तो वह किस प्रकार की होगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री केशव :** क्या मल-अपवहन के प्रश्न पर कुछ मतभेद हो गया था और मैसूर सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ वित्तीय सहायता भी मांगी थी ?

†**श्री करमरकर :** सलाह-मशविरा तो हमेशा चलता रहता है और वे जब भी कोई योजना लेते हैं तो हम उन्हें सलाह देते हैं । यह मसला परस्पर परामर्शाधीन है ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या बंगलौर निगम ने नाइट्रोजनस मल का उपयोग खाद के रूप में करने के बारे में केन्द्र को कोई योजना दी है ?

†**श्री करमरकर :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये । आमतौर पर इन विशाल मल-योजनाओं में ऐसी एक योजना होती है ।

†**श्री दासप्पा :** क्या बंगलौर निगम की मल-अपवहन समस्या के और भी जटिल होने का कारण यह नहीं है कि वहां एक से अधिक निकास-स्थान हैं ? उनका कहना है कि तीन स्थानों से निकासी होगी जब कि अभी केवल एक का उपयोग किया जा रहा है । इसलिये, क्या मंत्री महोदय प्रविधिक परामर्श और वित्त से उनकी सहायता करना आवश्यक नहीं समझते ?

†**श्री करमरकर :** उन्होंने वास्तव में प्रविधिक सलाह नहीं मांगी है। प्रविधिक जानकारी रखने वाले लोग उनके और हमारे दोनों के पास काफ़ी संख्या में मौजूद हैं । वह वास्तव में रुपया चाहते हैं । इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने पांच वर्षों के लिये १ करोड़ रुपयों की राशि आवंटित की है । इस वर्ष के लिये उन्होंने ५ लाख रुपये दिये हैं और ये बंगलौर निगम को देना बाकी हैं । निगम और मैसूर सरकार ने और भी अधिक सहायता के सम्बन्ध में प्रस्थापनायें प्रस्तुत की हैं । उन पर हम सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर रहे हैं । जहां तक हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमें तो इसका समर्थन करने में प्रसन्नता ही होगी । यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि अन्त में वित्त मंत्रालय और योजना आयोग कितना वित्त देते हैं ।

†**श्री दासप्पा :** उन्होंने इस योजना के लिये प्राक्कलित व्यय नहीं बताया । वह कहते हैं कि उन्होंने ५ लाख रुपयों की व्यवस्था कर दी है । इस योजना के लिये प्राक्कलित व्यय कितना है ?

†**श्री करमरकर :** जल संभरण योजना के सम्बन्ध में हमारे पास जो नवीनतम प्राक्कलन आये हैं, वह मेरे ख्याल से २·५ करोड़ रुपयों के हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Sewage Disposal

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे ख्याल से यह मल के बारे में है । आप जल संभरण कह रहे हैं । क्या ये एक दूसरे से मिले हुए हैं ।

†**श्री करमरकर** : जल संभरण और मल-अपवहन का आम काम तौर पर एक साथ लिया जाता है । मल अपवहन के बारे में बताने के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

दुर्घटनाग्रस्त भारतीय वाष्प-पोत

+

†*२५८. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री आसर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक यूगोस्लाव मालवारी पोत अरब सागर में बम्बई और कोचीन के बीच एक भारतीय वाष्प-पोत से टकरा गया जिसके फलस्वरूप भारतीय वाष्प-पोत डूब गया;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वाष्प-पोत का नाम क्या था और इस दुर्घटना के कारण क्या थे;

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के बारे में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो जांच से क्या परिणाम निकले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). यूगोस्लाव मोटर-पोत 'अका' १ जनवरी, १९५९ को अरब सागर में कोचीन से लगभग २७ मील पश्चिम-उत्तर में ५५.४३ टन के एक लकड़ी के पाल-दार पोत से, जिस पर नागपट्टिनम की सरकार नंबर ९ पड़ा था, टकरा गया । मोटर-पोत 'ऊका' की टक्कर के झटके से यह पाल-दार पोत टुकड़े-टुकड़े हो गया और समुद्र में डूब गया ।

बम्बई के मर्केन्टाइल मैरीन विभाग ने इस दुर्घटना की जांच की है और उसके अनुसार इस टक्कर का मुख्य कारण यह था कि पालदार-पोत ने नौपरिवहन सम्बन्धी आवश्यक बत्तियां नहीं लगा रखी थीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस से इंडियन शिप की कितनी हानि हुई और क्या आदमी हताहत हुआ या नहीं ।

†**श्री राज बहादुर** : कोई आदमी हताहत नहीं हुआ । इस में सेलिंग वैसल खत्म हो गया ।

†**श्री सोनावने** : यह टक्कर किसकी गलती से हुई और यदि गलती यूगोस्लाव पोत की हो तो क्या सरकार ने यूगोस्लाव सरकार से उचित मुआवजा देने के लिये कहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : जिस अफसर ने इस मामले में जांच की थी उसके अनुसार पाल-वाले पोत द्वारा नौपरिवहन सम्बन्धी बत्तियां न दिखायी जाने के कारण यह दुर्घटना हुई । इस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि इस दुर्घटना की जिम्मेदारी यूगोस्लाव-पोत पर थी ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : भारतीय शिपिंग कम्पनी को इस दुर्घटना से कितनी क्षति पहुंची है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : कुल क्षति १२,००० रुपये कूती गयी है। वह पाल-दार नाव थी; पोत नहीं था।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से हमें पता चलता है कि केवल यूगोस्लाव पोत डूबा था। क्या भारतीय पाल-दार नाव भी डूबी थी और यदि हां तो क्या पाल-दार नाव के मालिक को कुछ राशि दी गयी है ?

†**श्री राज बहादुर** : यूगोस्लाव पोत नहीं डूबा है। केवल पाल-दार नाव टूटी है।

पाकिस्तान पर नहरी पानी सम्बन्धी बकाया राशि

†*२५९. **श्री तंगामणि** :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान सरकार पर नहरी पानी सम्बन्धी बकाया राशि के विवाद-ग्रस्त अंश के सम्बन्ध में विवाद-निबटाने और निर्विवाद अंश की वसूली में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) बकाया राशि का शीघ्र निबटारा करने के लिये क्या कुछ विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) जहां तक विवादास्पद प्रभार का सम्बन्ध है, पाकिस्तान की सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के राज्य बैंक में भारत के रिजर्व बैंक के जमा खाते में ९७,१९,९८० रुपये की राशि इस सुझाव के साथ जमा कर दी है कि इस राशि के और पहले भारत के रिजर्व बैंक में उनके द्वारा जमा की गयी २९,३६,४८५ रुपयों की राशि के बारे में अपने अपने अधिकारों के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच १६ अगस्त, १९५९ से पहले समझौता हो जाना चाहिये।

भारत सरकार का विचार है कि पाकिस्तान सरकार जैसे ही ४ मई, १९४८ के करार के अधीन अपने सभी दायित्वों को पूरा कर देगी और भारत के प्रधान मंत्री द्वारा समय समय पर सूचित किये जाने वाले विवादास्पद प्रभार भारत के रिजर्व बैंक में जमा करा देगी, वह विवादास्पद प्रभारों की सम्पूर्ण राशि को अन्तिम रूप से तय करने के लिये पाकिस्तान सरकार से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में, जिनमें इस प्रश्न को विवाचन के लिये सुपुर्द करने की व्यवस्था भी शामिल है, पाकिस्तान सरकार से विचार विमर्श करने को तैयार हो जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान सरकार ने अभी तक क्योंकि यह कार्य नहीं किया है इसलिये इस मामले में और आगे लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

जहां तक निर्विवाद प्रभारों का प्रश्न है, ३० सितम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये पाकिस्तान सरकार ने ३,११,६०,८७४ रुपयों की राशि दी है और उसके बाद भुगतान बन्द कर दिया है । इस प्रकार, ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिये उन पर २५,९७,९३१ रुपयों की राशि अब भी बकाया है ।

(ख) विवादास्पद और निर्विवाद दोनों प्रकार के बकाया प्रभारों के पूरे विषय पर भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच लिखा-पढ़ी चल रही है ।

†**श्री तंगामणि** : पिछले एक अवसर पर हमें यह सूचित किया गया था कि ३० लाख रुपये निर्विवाद मद में हैं और ९९.४९ लाख रुपये विवादास्पद मद में । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सारे आंकड़े हमें यहां दिये गये हैं क्या उनमें यह ९९.४९ लाख की राशि अब भी विवादास्पद मद में ही शामिल है ? मैं उनका ध्यान उस प्रश्न के उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : दोनों ही राशियां अब भी विवाद-ग्रस्त हैं ।

†**श्री दी० च० शर्मा** : मंत्री महोदय ने पाकिस्तान सरकार के जिन दायित्वों का ज़िक्र किया है वह कौन से हैं और बकाया सम्बन्धी विवाद में पाकिस्तान ने अब तक किन दायित्वों का उल्लंघन किया है ?

†**हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम** : ४ मई, १९४८ के करार के अधीन पाकिस्तान सरकार ने यह वचन दिया था कि माधोपुर और फीरोजपुर हेड वर्क्स से क्रमश: पाकिस्तान की सेन्ट्रल बड़ी दोआब और दीपालपुर नहरोंको पानी देने के लिये भारत के प्रधान मंत्री समय-समय पर जो तदर्थ प्रभार निश्चित करेंगे उन्हें वह भारत के रिजर्व बैंक में जमा कर देगी । इस राशि में से पाकिस्तान उन राशियों को पंजाब (भारत) सरकार को हस्तांतरित करने को राजी हो गयी थी जिनके बारे में कोई विवाद नहीं था । पाकिस्तान इस बात पर भी राजी होगा था कि वह शेष राशि को भी रिजर्व बैंक में एस्क्रो[1] में जमा कर देगा । यही करार क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : जबकि एग्रीमेंट में यह है कि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया में पाकिस्तान रुपया जमा करायेगा तो क्या सबब है कि पाकिस्तान ने बकाया रुपया पाकिस्तान स्टेट बैंक में जमा किया है ?

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : इस लिए कि वह रिज़र्व बैंक आफ इंडिया में रुपया जमा कराना नहीं चाहता था ?

श्री रघुनाथ सिंह : जब कि एग्रीमेंट में यह है कि रिज़र्व बैंक में जमा करना है तो ऐसा न होने का कारण मैं जानना चाहता हूँ ।

†**हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम** : इसी लिए मैंने उत्तर में कहा था कि उस समय जो करार हुआ था पाकिस्तान को उसे अभी क्रियान्वित करना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Escrow

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : भारत और पाकिस्तान को एक सूत्र में बांधने के लिये ५ अप्रैल को कलकत्ते में हमारी जो बैठक होने जा रही है क्या आप उसकी सेवाओं का उपयोग करने को तैयार हैं ? मेरे ख्याल से हमारे आन्दोलन द्वारा यह मसला ज्यादा अच्छे ढ़ंग से सुलझाया जा सकता है ।

श्री स० म० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को वाकई में आशा है कि यह रुपया मिल जाएगा और अगर है तो कब तक मिल जाएगा या आखिर तक नहीं मिलेगा ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आशा है ?

हाफ़िज़ महम्मद इब्राहीम : मैं तो हुजूर यह समझता हूँ कि इंसान को बेहतर से बेहतर बात की आशा रखनी चाहिये । †हमें अच्छी से अच्छी बात की उम्मीद करनी चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** : पिछले अवसर पर हमें बताया गया था कि वित्त मंत्रालय में कुछ फाइले खो गई थीं । मैं यह निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि क्या वे फाइलें इस विवाद के बारे में थीं क्योंकि पिछली बार इस बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया गया था ।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : इस बारे में मैं इस समय कुछ नहीं जानता । इसके लिये पूर्व-सूचना की आवश्यकता होगी ।

†**श्री त्यागी** : किन-किन मामलों पर विवाद चल रहा है । और कौन से निर्विवाद हैं । मैं उन दोनों के बीच का अन्तर जानना चाहता हूं ।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : विवाद का विषय उन नहरों की देख-रेख करना है जिनसे पानी दिया जाता है । विवाद के विषय केवल दो हैं । ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र किसी राज्य में था जो पंजाब सरकार को पारिश्रमिक दिया करता था । राशि के बारे में विवाद चल रहा है । दूसरी राशि जिसके बारे में विवाद चल रहा है वह है नहरों की पूंजी लागत में ४ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दर के अन्तर का भुगतान करना है । पाकिस्तान ने उसका मूल्य दो गुना लगाया है जब कि भारत उसे चौगुना लगाना चाहता है ।

†**श्री त्यागी** : मैं जानकारी के लिये कृतज्ञ हूं किन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि अपने पानी के लिये हम किस दर पर वसूल करते हैं ? क्या यह दर उतनी ही है जितनी हम भारत में किसानों से वसूल करते हैं ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : भारत में हम अपने काश्तकारों से सिंचाई दर वसूल करते हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तानी किसानों से वहां की सरकार वसूल करती है । हम उनसे उतनी ही दर लेते हैं जितना हमारा खर्च होता है ।

†**श्री त्यागी** : पानी के लिये नहीं ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : जी नहीं ।

श्री ब्रजराज सिंह : पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो पत्र व्वहार चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुये और इस बात को देखते हुये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक निश्चित दृष्टिकोण पेश कर चुकी है, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी तरफ़ से आखिर क्या निश्चित बात की जा रही है ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : भलाई और मसलहत के साथ हर मामले को तय करना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत सरकार ने पत्र व्यवहार के अलावा, जो कि पिछले १२ वर्षों से चल रहा है, कोई और शान्ति पूर्ण ढंग इस विवाद को हल करने का खोज निकाला है ?

†**हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम** : इस समय पाकिस्तान के निवेदन पर दोनों देशों के बीच की कठिनाइयों को हल करने के लिये विश्व बैंक की सेवा का उपयोग किया जा रहा है । यदि वह असम्भव रहा तो हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है ।

†**श्री तंगामणि** : एक प्रश्न और है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कई प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूं ।

पानी का जमा हो जाना

†*२६०. **श्री राम कृष्ण :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अजीत सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बैरो :
श्री कमल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पानी जमा हो जाने की समस्या कहां-कहां पर है और किस प्रकार की है ;

(ख) क्या यह केवल पंजाब तक ही सीमित है अथवा उन अन्य राज्यों में भी जिन पर पानी जमा हो जाने का प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने इस समस्या को अखिल भारतीय आधार पर सुलझाने और इसे प्राथमिकता देने का निश्चय किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ङ) उसका ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) और (ख).

(१) समस्या की किस्म

जल के जमा हो जाने का तात्पर्य भूमिगत जल की सतह का अत्यधिक ऊंचा हो जाना है ; जिसके परिणामस्वरूप वह फसलों और इमारतों की नींवों के लिये नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता है । यह चीज़ वर्षा से जमा हुये पानी से भिन्न है जो मैदानों में अपर्याप्त नाली की व्यवस्था के कारण हो जाता है । किन्तु नाली की पर्याप्त व्यवस्था का न होने से जिन स्थानों में पानी जमा हो जाता है, वे क्षेत्र, चाहे वे धरातल पर हों अथवा भूमि के नीचे, सामान्यतः 'पानी जमा हुये' क्षेत्र कहलाते हैं ।

पंजाब में भूमिगत जल की सतह ऊंची हो जाने तथा धरातल पर नालियों के कारण भी पानी जमा हो जाने---दोनों प्रकार की समस्यायें विद्यमान हैं । पश्चिमी बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में नाली के कारण पानी जमा हो जाने की समस्या भूमिगत जल की सतह ऊंची हो जाने की अपेक्षा अधिक गम्भीर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) समस्या कहां तक फैली है

जिन क्षेत्रों में पानी जमा हो जाता है और जिस गति से यह चीज़ बढ़ रही है उसके बारे में नियमित रूप से अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पंजाब, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश सब से अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, जिनमें मैसूर, बम्बई और उड़ीसा के कुछ हिस्से भी शामिल हैं । इन राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

राज्य	पानी से भरे क्षेत्र
	(एकड़ हजारों में)
पंजाब	३२७० (जलतालिका ०फुट से ५ फुट के बीच)
उत्तर प्रदेश	१८८६
पश्चिमी बंगाल	२५५१
बम्बई	८०
उड़ीसा	१७
मैसूर	२६

(ग) से (ङ). समस्या मुख्यतया राज्य सरकारों से सम्बन्धित है जिनमें प्रभावित क्षेत्रों में नाली व्यवस्था में सुधार करने और भूमिगत जल की सतह नीची करने के लिये योजनायें बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं । पंजाब और उत्तर प्रदेश में धरातल पर नाली व्यवस्था में सुधार करने की अनेक योजनायें आरम्भ की गई हैं । दिसम्बर, १९५८ में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की पिछली बैठक में यह निश्चय किया गया था कि पानी रुकने के विरोधी उपायों पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके और विस्तृत जांच-पड़ताल करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नाली व्यवस्था को ठीक करने के लिये उपयुक्त योजनायें तैयार की जायेंगी ।

†**श्री राम कृष्ण :** विवरण से पता चलता है कि सब से अधिक प्रभावित राज्य पंजाब है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये क्या जान सकता हूं कि पानी न जमा होने के उपायों के लिये क्या सहायता दी जायेगी ?

†**हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम :** बड़े निर्माण कार्यों के लिये ३२ और कुछ छोटे निर्माण कार्यों सम्बन्धी योजनाओं की इस समय जांच की जा रही है तथा उनमें से कुछ को लागू भी कर दिया गया है और केन्द्र द्वारा जितनी की सहायता की जा सकती है उतनी की जा रही है ।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या इस आयोजन के लिये अब तक कुछ वित्तीय सहायता भी दी गई है ?

†**हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम :** पिछले वर्ष ८७ लाख रूपये दिये गये थे और कितनी राशि दी जानी चाहिये इस बारे में दोनों सरकारों के बीच पत्र व्यवहार किया जा रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण में कहा गया है कि पानी भर जाने के विरोधी सम्बन्धी उपायों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । वे उपाय क्या हैं तथा वह "अधिक-ध्यान" किस प्रकार का है जो उस ओर दिया जाने वाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** भविष्य में पानी भर जाने को रोकने के लिये कुछ योजनायें कार्यान्वित की जानी हैं और वे योजनायें इतनी अधिक हैं कि मैं सारी याद नहीं रख सकता। इसकी एक बहुत बड़ी सूची है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली जो कि एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है, उसमें जो वाटर लागिंड एरिया है उसके सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम :** पानी जमा होन को रोकन के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है और एक योजना शीघ्र ही आरम्भ की जाने वाली है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम :** मैं इस समय ठीक-ठीक राशि नहीं बता सकता किन्तु उत्तर प्रदेश को भी कुछ राशि दी गई है। उसके साथ भी बाद में पत्रव्यवहार होगा।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** क्या मैं इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी दे सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** दोनों ही मानदीय मन्त्री उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। माननीय सदस्य ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश पीछे रह जायेगा ?

†**श्री वाजपेयी :** उत्तर प्रदेश उपेक्षित रहा है।

श्री त्यागी : चिराग तले अंधेरा।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** उत्तर प्रदेश के बहुत से सदस्य हैं। इसी कारण उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है।

†**श्री अ० प्र० जैन :** १९५९–६० की राज्य योजना में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पानी जमा होने का सामना करने के लिये कुछ योजनायें शामिल कर ली गई हैं। केन्द्र से राज्य सरकार द्वारा जितनी मांग की गई थी उतनी राशि आवंटित कर दी है और मैं समझता हूं कि यह राशि लगभग २० लाख रुपये है।

गुना-उज्जैन रेल-सम्पर्क

†*२६२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री खादीवाला :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **रेलवे** मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुना-उज्जैन रेल सम्पर्क के निर्माण के बारे में योजना आयोग से परामर्श समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई दृढ़ और अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय किस प्रकार का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) माननीय सदस्य कृपया रेलवे आय-व्ययक के प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर लें, जो परसों हो जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इसका निर्देश रेलवे आय-व्ययक में कर सकते हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : विशिष्ट उत्तर क्या है? उन्हें 'हां' या 'नहीं' कुछ कहना चाहिये। हम दो दिन पश्चात् पेश किये जाने वाले रेलवे आय व्ययक की प्रतीक्षा क्यों करें?

†**अध्यक्ष महोदय** : कभी कभी माननीय सदस्य माननीय मंत्री से यह पूछते हैं कि उन्होंने आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने से पहले इसे क्यों प्रकट कर दिया।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह कुछ भी बताना नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह परियोजना द्वितीय योजना में सम्मिलित की गई थी। परियोजना के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह अभी तक शामिल नहीं किया गया है। यह काम किया भी जायगा अथवा नहीं? हम रेलवे आय-व्ययक प्रस्तुत करने तक क्यों प्रतीक्षा करें क्योंकि रेलवे आय-व्ययक में इसको प्रकट कर दिया जायेगा?

†**श्री नरसिंहन्** : सम्भवतः कुछ न कुछ प्रकट किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें विशेष रूप से गुप्त रखने की बात भी क्या है?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : यह परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित थी। कुछ कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये, उसे कार्यान्वित करने में कुछ विलम्ब हो गया। अब यह निर्णय किया गया है कि यह कार्य किया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस १७५ मील लम्बे सम्पर्क में अनुमानतः कितना व्यय होगा?

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह आय-व्ययक में दिया है। उपमंत्री महोदय ने कहा है कि माननीय सदस्य रेलवे आय-व्ययक की प्रतीक्षा करें। वरिष्ठ मन्त्री महोदय के कथनानुसार यह कार्य शामिल कर लिया गया है। अतः मैं समझता हूं कि आय-व्ययक प्रस्तावों का व्यौरा आय-व्ययक में दिया होगा।

रुद्रपुर में ग्राम्य विश्वविद्यालय

+

†*२६४. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पांगरकर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुद्रपुर ग्राम्य विश्वविद्यालय के द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित हो जाने और पूरी हो जाने की आशा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा इस विश्वविद्यालय को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है अथवा दी जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**:(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये प्रावस्था भाजित कार्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय के चार सम्बद्ध कालेजों में से तीन अर्थात् कृषि कालेज, पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज और कृषि इंजीनियरिंग तथा टैक्नोलौजी कालेज के १९६० के शैक्षिक वर्ष से आरम्भ हो जाने की सम्भावना पाई जाती है। चौथा सम्बद्ध कालेज उदाहरणतः गृह-विज्ञान कालेज तृतीय पंचवर्षीय योजना में खुल जायेगा ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदित कुल अनावर्तक व्यय का ७५ प्रतिशत जिसमें अनुदान के रूप में भूमि की लागत शामिल नहीं है और शेष २५ प्रतिशत को ब्याज वाले ऋण के रूप में देना मंजूर कर लिया है । केन्द्रीय सहायता कुल कितनी होगी इसका निश्चय राज्य सरकार द्वारा इमारत आदि बनवाने के लिये विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार किया जायेगा । ये प्राक्कलन अभी हाल ही में प्राप्त हुये हैं और केन्द्रीय सरकार उनकी जांच कर रही है । इस बीच राज्य सरकार को १० लाख रुपये का लेखा भुगतान किया गया है जिससे वह परियोजना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य जैसे भूमि का सर्वेक्षण तथा इमारत के लिये सामान आदि जमा कर सके ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : राज्य सरकार ने कितनी राशि की मांग की है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जैसा कि मैं बता चुका हूं सम्पूर्ण योजना की जांच की जा रही है । इस समय जैसा कि पता लग रहा है उसके अनुसार इसमें ३.०५ करोड़ रुपये लगेंगे ।

†**श्री तंगामणि**: क्या केन्द्रीय सरकार ने आगामी वर्ष जो तीन संस्थायें चलने जा रही हैं उनके लियें अथवा चौथी संस्था के लिये किसी विदेशी सरकार से कर्मचारियों अथवा सामान के रूप में मांग की है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इसके लिये जो मशीनरी आदि की आवश्यकता होगी उसके लिये विदेशी मुद्रा चाहिये और टैक्निकल सहकारिता मिशन ने २५ लाख रुपये की मशीनरी का संभरण करने की सहमति दी है ।

दिल्ली के विकास क्षेत्र

*२६५. **श्री वाजपेयी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि के ऐसे प्लाट किस क्षेत्र में हैं जिन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत "विकास क्षेत्र" घोषित किया गया है ; और

(ख) क्या ऐसे क्षेत्रों के बारे में, जिन से दिल्ली नगर-निगम का सम्बन्ध है, निगम से परामर्श किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अधिसूचना (संख्या १२—१९२/५७/एल० एस० जी०, दिनांक २९ नवम्बर, १९५७) की एक प्रतिलिपि जो दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ के भारतीय गजट में "विकास क्षेत्र" की घोषणा के बारे में प्रकाशित की गयी है, सभा-पटल पर रख दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८१]** "विकास क्षेत्र" में सम्मिलित किये गये विभिन्न इलाकों के

†मूल अंग्रेजी में

भूमि-क्षेत्रों का एक विवरण भी सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८२]**

(ख) जी हां।

श्री वाजपेयी : क्या यह सत्य नहीं है कि जो क्षेत्र विकास क्षेत्र के अन्तर्गत घोषित किये गये हैं उन में से कुछ के सम्बन्ध में दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन ने आपत्ति की थी ? यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं और कारपोरेशन की आपत्ति के बावजूद उन को विकास क्षेत्र क्यों घोषित किया गया है ?

†**श्री करमरकर :** माननीय सदस्य ठीक बात कहते हैं कि म्युनिसिपल कारपोरेशन ने इस बारे में कुछ आपत्ति की थी। कानूनी तौर से स्थिति यह है कि हम उनको कंसल्ट करते हैं और उन के साथ विचार करते हैं। लेकिन मुनासिब जो हम लोग समझते हैं उस को अमल में लाते हैं। ठीक चीज यही है ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या यह सच नहीं कि दिल्ली निगम सरकार से इस बात का आश्वासन चाहता था कि वे क्षेत्र जो विकास क्षेत्र घोषित किये जा रहे हैं उन का विकास पांच वर्षों के भीतर हो जाना चाहिये, यदि ऐसा है तो इस प्रकार का आश्वासन देने में सरकार के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्री करमरकर :** जी हां, उस ने सिफारिश की थी कि केवल वही क्षेत्र विकास क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये जो पांच साल के भीतर लिया जा सकता हो और उसका विकास किया जा सकता हो। हम उस के लिये सहमत नहीं हुए।

†**श्री वाजपेयी :** इस के क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सरकार इस के लिये क्यों सहमत नहीं है ।

†**श्री करमरकर :** दीर्घकालिक कारणों में हम ने य ह सोचा कि दिल्ली में भूमि दिन प्रति दिन महंगी होती जा रही है, जब तक कि हमारी निगाह उसी भूमि पर न रहे जिस का हम विकास करने जा रहे हैं, अपने कार्यकलाप उसी भूमि तक सीमित रखने के लिये जिसका हम पांच वर्षों के भीतर विकास करने जा रहे हैं, पांच वर्षों के पश्चात् ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब कि यह सभी के लिये अन्याय होगा, और इससे हमारे विकास संबंधी प्रयत्न भी रुक जायेंगे। यही कारण था।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस का क्या कारण है कि तिहाड़ गांव का जो कि विकास क्षेत्र घोषित किया गया है, विकास अभी तक नहीं हो रहा है ?

श्री करमरकर : जी हां, वह भी जल्दी हो जायेगा। माननीय सदस्य जानते हैं कि वहां के लोगों की तरफ से कुछ रुकावट आ गई थी। अब हम आशा करते हैं कि उस का डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी उद्योग

+

†*२६६. { **श्री सूपकार :**
श्री सरजू पांडे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ना उत्पादकों की हड़ताल का भारत के चीनी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) क्या हड़ताल का असर भारत में चीनी के भावों पर पड़ा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** चीनी उद्योग अथवा चीनी के भाव पर हड़ताल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है ।

†**श्री सूपकार :** गन्ना उत्पादकों की हड़ताल के कारण गोली चलने, लाठी चलाने तथा शान्ति भंग की कितनी घटनायें हुई ? क्या सरकार के पास उन की कोई संख्या है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मेरे पास इस के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री सूपकार :** जहां तक चीनी का संबंध है क्या हड़ताल से उत्पादन में कमी हुई है और इस से चीनी मिलों और उन के उत्पादन पर क्या असर पड़ा है ?

†**श्री अ० म० थामस :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्पादन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। प्रमुख रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर इस का प्रभाव पड़ा है । उत्तर प्रदेश में १९५७–५८ में ७ फरवरी तक उत्पादन ५·०२ था । इस वर्ष यह ४·८८ हो गया है । कमी का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में कम वसूली तथा कुछ कारखानों में काम देर से शुरू करने के कारण हुई है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नये सूत्र का सुझाव दिया है जिस के द्वारा गन्ना उत्पादक चीनी उद्योग के मुनाफे में अंशभागी हो सकेंगे और क्या उस सूत्र के कारण गोपालकृष्णन् सूत्र में कोई परिवर्तन करना पड़ेगा जो कि पहले ही सरकार ने मंजूर कर लिया है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** उन्हों ने किसी वैकल्पिक सूत्र का सुझाव नहीं दिया है । किन्तु उन्हों ने कहा है कि यदि सम्भव हो सका एक वैकल्पिक सूत्र निकाला जायेगा ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या उस से गोपालकृष्णन् सूत्र में कुछ परिवर्तन करना होगा ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं कह चुका हूं कि उन्हों ने किसी वैकल्पिक सूत्र का सुझाव नहीं दिया है ।

श्री सरजू पाण्डे : क्या मंत्री महोदय यह कृपा कर के बतलायेंगे कि केन ग्रोअर्स की मुख्य मांग क्या है और उस मांग पर सरकार विचार कर सकती है या नहीं ?

श्री अ० प्र० जैन : मुख्य मांग केन ग्रोअर्स की यह थी कि १ रुपये ५ आने या १ रुपये ७ आने जो गन्ने का दाम था उस को वह चाहते थे कि बढ़ा कर १ रुपये १२ आने कर दिया जाय । उस के बारे में यहां पर काफी बहस हो चुकी है और उसके बारे में गवर्नमेंट ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस के लिये कोई एक मशीनरी सैट अप करना चाहती है जिस में केनग्रोअर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रहें ताकि आगे कोई झगड़ा पैदा न हो ?

श्री अ० प्र० जैन : ऐसी बात तो मानने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अलबत्ता केनग्रोअर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन की भी राय ली जाती है, कंज्यूमर्स का भी ध्यान रक्खा जाता है और इंडस्ट्री का भी ध्यान रक्खा जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद ही यह चीज तय की जाती है ।

†**श्री तिरुमल राव** : उपमंत्री महोदय ने ५·०२ और ४·८८ प्रतिशत संबंधी दो आंकड़े दिये हैं। क्या ये आंकड़े तैयार की गयी चीनी के प्रतिशत के बारे में हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : ये कुल आंकड़े ७ फरवरी तक के ५·०२ और ४·८८ लाख टन हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि कितनी हानि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कमी हुई है किन्तु प्रत्येक हड़ताल से कुछ न कुछ हानि होती है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : निस्सन्देह इससे हानि होती है, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक अव्यवस्था हो जाती है, किन्तु वह अधिक नहीं है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने चीनी उद्योग में होने वाले मुनाफे में हिस्सा बंटाने के बारे में एक सूत्र बताया है। उत्तर प्रदेश के इस सूत्र पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं स्पष्ट बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई वैकल्पिक सूत्र नहीं बताया है। उस ने वैकल्पिक सूत्र ढूंढ़ निकालने की संभावना के बारे में सुझाव दिया है।

†**श्री प्र० चं० बोस** : क्या गन्ना उत्पादकों को इस से कोई हानि हुई कि उन्हें चीनी कारखानों को गन्ना देने की अनुमति नहीं है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी हां, बहुत से गन्ना उत्पादकों को इस लिये हानि हुई कि वे कारखानों तक गन्ना लाये किन्तु हड़ताल करने वालों ने उन्हें मिल के अन्दर गन्ना नहीं ले जाने दिया। इस कारण उन्हें अपना गन्ना या तो गुड़ अथवा खंडसारी बनाने वालों के पास ले जाना पड़ा, जिन्हों ने उस गन्ने को बहुत कम भाव पर खरीदा ।

डाक विभाग के परिमण्डलों का पुनर्गठन

+

*२६७. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री वाजपेयी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक विभाग के परिमण्डलों को पुनर्गठित करने के प्रश्न के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैसूर परिमण्डल के निर्माण करने की योजना का ब्यौरा इस के संस्पर्शी परिमण्डलों में अदल-बदल किये जाने के साथ-साथ तैयार किया जा रहा है ।

†**एक माननीय सदस्य** : उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा जाये ।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केवल मैसूर के लिये ही नये पोस्टल सर्किल का निर्माण हो रहा है या भारत में इस समय जितने भी डाक विभाग के परिमंडल है, पोस्टल सर्किल्स हैं, उन सब को रैशनल बेसिस पर रखने की दृष्टि से कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री स० का० पाटिल : इस की व्यवस्था रैशनल बेसिस पर की जा रही है इस के माने यह नहीं हैं कि एक प्रान्त के लिये एक परिमंडल हो जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे जानकारी है हमारे देश में १३ डाक परिमंडल हैं जिन में से ७ को मेजर सर्किल्स माना जाता है और ६ को माइनर सर्किल्स, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन परिमंडलों का अदल बदल करते समय यह जो मैसूर को मेजर परिमंडल और राजस्थान जो कि उस से बड़ा प्रान्त है और जहां के कि राज्य मंत्री जी भी हैं उस को एक माइनर परिमंडल माना गया तो क्या पुनर्गठित करते समय कम से कम यह अन्तर तो हटा दिया जायेगा ?

श्री स० का० पाटिल : उसका ही विचार हो रहा है लेकिन इसके माने यह नहीं हो जाते कि किसी स्टेट का चूंकि साइज़ बड़ा है इसलिए उसका परिमंडल मेजर होना चाहिए । जहां तक मैसूर के परिमंडल का सवाल है वह ख़ाली मैसूर के लिए ही नहीं है बल्कि सब कौटिगुएस सर्किल्स का उससे सम्बन्ध आता है ताकि इन सर्किल्स का रैशनल डिस्ट्रिब्यूशन हो सके । अब राजस्थान में क्या होगा मुझे मालूम नहीं है ।

श्री वाजपेयी : यह जो परिमंडल बनाये जा रहे हैं, इनकी सीमायें राज्यों के पुनर्गठन के बाद जो राज्य बनेंगे, उनके साथ एकाकार करने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री स० का० पाटिल : वहां पर इसके यह मानी नहीं कि मैसूर का परिमंडल बनाना हो तो वह केवल मैसूर के लिए ही नहीं होता है बल्कि दो एक संस्पर्शी (कौंटिगुएस) स्टेट्स का उसके साथ सम्बन्ध आता है जैसे थोड़ा विभाग तो बम्बई में गया और थोड़ा दूसरे प्रान्त में गया है, जितने कौंटिगुएस सर्किल्स हैं उनका सम्बन्ध आता है और इसलिए उसके करने में टाइम लगता है ।

†**श्री दासप्पा** : उत्तर अंग्रेजी में भी दिया जाय ।

†**श्री स० का० पाटिल** : यह अकेले मैसूर में परिमंडल बनाने का प्रश्न न होकर अपितु उन सभी संस्पर्शी परिमंडलों का है जिनमें से कुछ अंश या तो चला गया है अथवा नये राज्य में आ गया है उस में इसलिये परिवर्तन करना आवश्यक है जिनसे इन परिमंडलों का उचित वितरण किया जा सके । इसी कारण विलम्ब हो गया है । किन्तु नीति सम्बन्धी निर्णय यह है कि मैसूर के लिये अलग एक विशेष परिमंडल होना चाहिये ।

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मैसूर परिमंडल बन जाने के बाद हैदराबाद परिमंडल का कुछ भाग उस परिमंडल में चला जायेगा इसका परिणाम यह होगा कि हैदराबाद परिमंडल छोटा हो जायेगा। क्या सरकार आंध्र परिमंडल को हैदराबाद परिमंडल में मिला देने पर विचार कर रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह इतना जटिल मामला है कि सम्पूर्ण प्रश्न ही विचाराधीन है कि इन परिमंडलों के पुनर्वितरण का उचित विभाजन किस प्रकार किया जाये जिससे यदि संभव हो सके तो बड़े और छोटे के बीच का अन्तर दूर किया जा सके।

†**श्री म० श्र० अणे :** क्या इन परिमंडलों का प्रबन्ध करने के बारे में विचार करते समय भाषा को आधार बनाया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** वर्तमान राज्य ही आधार बनाया जायेगा। यदि वह भाषा के आधार पर होता है तो मैं इस में कुछ नहीं कर सकता।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** मैसूर परिमंडल में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किये गये हैं ? क्या इसको इस वर्ष के अन्त तक लागू किया जायेगा क्योंकि बहुत से अभ्यावेदन किये जा रहे हैं।

†**श्री स० का० पाटिल :** १९ जिलों से मिलकर मैसूर राज्य बना है। यदि अलग मैसूर राज्य बनता है तो उसमें सारे १९ जिले शामिल होंगे।

फाटकों (गेट्स) के डिजाइन

†*२६८. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सिंचाई परियोजनाओं के लिये जिन फाटकों (गेट्स) की आवश्यकता होगी उनका डिज़ाइन तैयार करने के लिये डिज़ाइन संगठनों का एक जाल बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थित होंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम) :** (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स० म० बनर्जी :** फाटकों के डिज़ाइन न रखने के क्या कारण हैं ?

†**हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम :** फिलहाल केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पास भारत में फाटकों के डिज़ाइन तैयार करने के लिये पूर्ण सामग्री मौजूद है।

कलकत्ता में जल संभरण

†*२७०. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वृहत्तर कलकत्ता में जल संभरण में सुधार करने के लिये योजना बनाने की दिशा में कुछ प्रारम्भिक कार्य किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : इस अवस्था में प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने का प्रश्न इस कारण उत्पन्न नहीं होता कि पश्चिमी बंगाल में १९६० में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वेक्षण टीम भेजी जायेगी ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बारे में समय-समय परप्र काशित समाचार को ध्यान में रखते हुए कि इस पद्धति की हालत खराब होने के कारण किसी भी समय उस क्षेत्र में जल संभरण रुक सकता है, क्या भारत सरकार इस बारे में कुछ चिन्तित है अथवा इस समस्या को स्थानीय प्राधिकार के ऊपर ही उसने छोड़ रखा है ?

†**श्री करमरकर** : हमें इसके बारे में चिन्ता अवश्य है और हम यथासम्भव प्रयत्न भी उस ओर कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस समस्या को स्वयं सुलझाना चाहती है ?

†**श्री करमरकर** : जी हां, हम उस में हिस्सा बंटा रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस क्षेत्र के लोगों की केवल २५ प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति होती है तथा स्वच्छ पानी की कमी के कारण हैजा और अन्य बीमारियां बहुत फैलती हैं, क्या सरकार १९६० में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण दल के पहुंचने से पूर्व कुछ उपाय करने का विचार करती है क्योंकि उस दल के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक बहुत समय लग जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : पश्चिमी बंगाल की सरकार इस बारे में बड़ी उत्सुक और सतर्क है । जहां तक धन सम्बन्धी सहायता का सम्बन्ध है, अथवा मित्रतापूर्ण सेवा का सम्बन्ध है जैसे इस मामले को विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास ले जाना, इस बारे में हम यथासम्भव कार्य कर रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या अन्तरिम उपाय के रूप में इस क्षेत्र के लिये विश्व स्वाथ्य संगठन के दल द्वारा योजना कार्यान्वित किये जाने से पहले कुछ नल कूप बनवा सकना संभव होगा ?

†**श्री करमरकर** : पश्चिमी बंगाल सरकार जो उपाय विशेष कर रही है उनके बारे में मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

तिल्हन का उत्पादन

†*२७१. **श्री कोडियान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तिल्हन का उत्पादन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तिल्हन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) हां । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तिल्हन उत्पादन का लक्ष्य ७५ · ५ लाख टन निर्धारित है । यद्यपि उत्पादन आधार वर्ष १९४९–५० के उत्पादन ५० . ८ लाख टन से बढ़ कर १९५५–५६ (प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष) में

†मूल अंग्रेजी में

५६·४३ लाख टन हो गया जबकि लक्ष्य ५४·८ का था और फिर १९५६–५७ में ६१·७६ लाख टन था। परन्तु १९५७–५८ में यह घटकर ५९·०७ लाख टन रह गया। १९५८–५९ के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) १९५७–५८ में उत्पादन कम होने का मुख्य कारण बुआई के समय मौसम खराब होना तथा आंशिक रूप में पांच मुख्य तिल्हनों में से चार अर्थात् अंडी, तिल, सरसों और अलसी, को कृषि क्षेत्र कम होना जैसा कि निम्न दर्शाया गया है :

फसल का नाम	क्षेत्रफल			उत्पादन		
	५५–५६	५६–५७	५७–५८	५५–५६	५६–५७	५७–५८
	(००० एकड़)			(००० टन)		
मूंगफली	१२,६८५	१३,४५०	१४,४५७	३,८०१	४,२००	४,२७१
अण्डी	१,४१८	१,४१५	१,३२५	१२३	१२४	९७
तिल	५,६६७	५,४४६	५,२६८	४६०	४४२	३६३
सरसों	६,३१६	६,३११	६,०५०	८४६	१,०२६	९०५
अलसी	३,७७७	४,१५६	३,३१८	४१३	३८४	२७१
योग	२९,८६३	३०,७७८	३०,४१८	५,६४३	६,१७६	५,९०७

(ग) लक्ष्य प्राप्ति के लिये दो प्रकार की योजनायें (१) तिलहन विकास योजनायें जिन पर भारत सरकार और राज्य सरकारें आधा आधा व्यय उठा रही हैं, और (२) तिलहन विस्तार योजनायें जिन पर सारा व्यय भारतीय केन्द्रीय तिल्हन समिति कर रही है, मंजूर की गई हैं। तिल्हन विकास योजनायें बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में लागू हो रही हैं। तिल्हन विस्तार योजनायें भी आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में हाल में ही लाग हुई हैं।

तिल्हन उत्पादन का महत्व भी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को ७ फरवरी को हुई एक बैठक में बताया गया था तथा यह निश्चय किया गया था कि १९५९-६० की आगामी खरीफ फसल में अधिक उत्पादन आन्दोलन चलाया जाये।

†**श्री कोडियान :** उत्तर से विदित होता है कि १९५७–५८ में उत्पादन कम होने का आंशिक कारण पांच मुख्य तिल्हन फसलों में से चार का क्षेत्रफल कम होना है। इस कमी का क्या कारण है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वास्तव में हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से आगे है एवं द्वितीय योजना में प्रथम दो वर्षों में हमारी प्रगति बहुत सन्तोषजनक थी। केवल गत वर्ष ही समय पर वर्षा न होने के कारण कुछ कमी हो गई। परन्तु इस वर्ष हमें आशा है कि हम केवल पिछली कमी ही पूरा न करेंगे अपितु आगे बढ़ जायेंगे। बीज बोने के समय असामयिक वर्षा से उपरोक्त तिल्हनों का कृषि-क्षेत्र कम हो गया।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोहम्मद इमाम:** क्या यह सच नहीं है कि एक नये रोग के कारण विशेषरूप से मूंगफली का उत्पादन काफी कम हो गया है। इस रोग के निवारणार्थ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा:** केन्द्रीय तिल्हन समिति को रोग-विशेष का ज्ञान है जो अनन्तपुर और चित्तलदुर्ग आदि मिले हुए स्थानों में फैल गया है। यह काला रोग या और कुछ कहा जाता है एवं हम इसकी रोकथाम के लिए कुछ विकास कार्य कर रहे हैं।

†**श्री तंगामणि:** उत्तर से विदित होता है कि तिल्हन विस्तार योजना जिस पर केन्द्रीय तिल्हन समिति व्यय कर रही है, कई राज्यों में आरम्भ हो गई है परन्तु मद्रास, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में नहीं। यह विशेषकर दक्षिणी राज्यों में कब आरम्भ होगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा:** यदि यह आरम्भ नहीं हुई है तो हम ध्यान रखेंगे कि सरकार इस आगामी वर्ष आरम्भ करने के लिये कुछ कार्यवाही करे। हमने उन्हें आधे-आधे के आधार पर अनुदान दे दिया है। कुछ विलम्ब बराबर का अनुदान पाने में होता है और कुछ उसके कारण उसे लागू करने में।

रेलवे के रियायती यात्रा नियमों में परिवर्तन

*२७३. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों में रियायती किराये के नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड के द्वारा दिये गये जहाज़ों का मूल्य

†*२७४. **श्री मुरारका :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून १९५५ से दिसम्बर, १९५६ तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा दिये गये जहाजों के मूल्यों के बारे में कोई विवाद है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) शिपयार्ड में निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व मूल्य तथा ठेके की अन्य शर्तों को अन्तिम रूप से निश्चित क्यों नहीं किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) आजकल बन रहे कुछ जहाजों के ठेके अभी हस्ताक्षरित नहीं हुए हैं क्योंकि मूल्य के बारे में अभी कोई समझौता नहीं हुआ है।

†**श्री मुरारका :** क्या मंत्री महोदय का ध्यान महा लेखापरीक्षक के हाल के प्रतिवेदन में उल्लिखित इस बात की ओर गया है कि बी० सी० संख्या ११६, ११७, ११९, १२१ और १२२ के विवाद अभी अनिश्चित पड़े हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** मैं माननीय सदस्य की भांति संख्या से जहाजों को नहीं बता सकता । जून १९५५ से दिसम्बर, १९५६ तक चार जहाज़ अर्थात् जल विहार, जल विजय, जल विष्णु स्टेट आफ कछ का निर्माण हुआ । इन के सबके बारे में अब आवश्यकतायें पूरी हो गई हैं ।

†**श्री मुरारका :** क्या इस काल में दिये गये जहाजों के बारे में कोई विवाद था, यदि हां तो वह क्या था ?

†**श्री राज बहादुर :** ऐसा कोई विवाद न था । परन्तु शिपयार्ड को महसूस हुआ कि मूल्य कम है । अत: अनौपचारिक पत्रव्यवहार में उसने नौवहन उपक्रमों से बातचीत की । अन्त में, परस्पर समझौता हो गया जिसके परिणामस्वरूप कुछ मदों का अतिरिक्त के रूप में भुगतान किया गया ।

†**श्री मुरारका :** महालेखापरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में कहा है "भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के लिये यह अति आवश्यक है कि निर्माण आरम्भ होने के पूर्व ही ठेका निश्चित हो जाये ।" प्रतीत होता है कि इस मामले में ठेके निश्चित नहीं हुए थे । हम जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति थी ।

†**श्री राज बहादुर :** यह सच है कि ये ठेके निर्माण कार्य आरम्भ होने से पूर्व निश्चित नहीं हुए थे, परन्तु इन जहाजों के निर्माण के बारे में बहुत सी बातें लिखित रूप में पत्रव्यवहार में निश्चित हो गई थीं एवं इस बारे में कोई कठिनाई न थी कि किसका क्रमादेश दिया जा रहा है तथा शिपयार्ड में क्या बन रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या महालेखापरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में इसे, इसका कुछ आधार न होने पर, विवाद रहा है ?

†**श्री राज बहादुर:** श्रीमान् "कहे गये विवाद" शब्दों का प्रयोग है। मैं कह चुका हूं कि ऐसा कोई विवाद न था। परन्तु शिपयार्ड ने महसूस किया कि मूल्य कम था । फिर, वास्तव में जो हुआ वह यह है । हम इन जहाजों को "इंगलैण्ड समान मूल्य" पर बेचते हैं । लिए जाने मूल्य से शिपयार्ड में निर्माण-लागत काफी अधिक है । "इंगलैण्ड समान मूल्य" निश्चित करने के लिये शिपयार्ड और जहाजों के निर्माण के लिये क्रमादेश देने वाले नौवहन समवायों के बीच वार्ता होती है । इस वार्ता में समय लगता है । इसी बीच में, यह भी होता है कि समवाय समय-समय पर अपने विशेष विवरण बदल देते हैं । इन सब में समय लगता है और कुछ विलम्ब हो जाता है । हम इसे विवाद नहीं कह सकते । ऐसे सौदों की ये सामान्य बातें हैं ।

†**श्री दासप्पा :** क्या यह सच नहीं है कि महा लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में कोई पैरा सम्मिलित करने के पूर्व वह पैरा पहिले मन्त्रालय को भेजा जाता है एवं मन्त्रालय की अनुमति प्राप्त होने पर ही वह पैरा प्रतिवेदन में सम्मिलित होता है ? क्या इससे यह विदित नहीं होता कि स्वयं मंत्रालय ने वह पैरा स्वीकार किया है ?

†**श्री राज बहादुर :** अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि किसी विशिष्ट बात या स्थिति का उल्लेख करने में कुछ त्रुटि थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एयर इंडिया इन्टरनेशनल के लिये कोमेट हवाई जहाज़

+

†*२७५. { **श्री सम्पत :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया इन्टरनेशनल के लिये कोमेट ४ हवाई जहाज़ खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो १९५९ में कितने खरीदे जायेंगे ; और

(ग) इन जहाज़ों की खरीद के बाद क्या कुछ और देशों के लिये विमान सेवा आरम्भ करने का विचार है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) एयर इंडिया इंटरनेशनल के लिए कोमेट ४ जहाज़ खरीदने का कोई प्रस्ताव आजकल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (ग), प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री सम्पत :** माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि कोमेट हवाई जहाज़ खरीदने का आजकल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । परन्तु, क्योंकि और सभी विमान समवाय अपने हवाई जहाज़ों के स्थान पर कोमेट हवाई जहाज़ ले रही है इसलिये क्या हमारे विमान समवायों के लिये भी इस प्रस्ताव पर विचार करना लाभदायक न होगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है । परन्तु, मैं सभा को बता दूं कि ए० आई० आई० ने "बोइंग्ज़" खरीद लिये हैं जो १९६० की प्रथम तिमाही से प्राप्त होंगे ।

जहाज़ों की खरीद के लिये जापान से ऋण

†*२७७. **श्री सुब्बया अम्बलम :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन के लिये जापान सरकार द्वारा दिये गये यान-ऋण का पूर्ण प्रयोग कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि के आधार पर दिये गये क्रमादेशों की तफसील क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जापान से जहाज़ खरीदने के लिये दी गई ५० अरब यान की धनराशि में से १८.९ अरब यान की धनराशि का प्रयोग हो चुका है तथा ३१.१ अरब यान का प्रयोग सम्भवत: द्वितीय योजना काल में होगा ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख)

नौवहन समवाय का नाम	जिन जहाजों के लिये आर्डर दिये गये उनका प्रकार व आकार	मूल्य यान
(१) वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन (प्रा०) लि०	१०,००० डी० डब्ल्यू० टी० का एक तेलवाहक जहाज ।	८,१५,५००,०००
(२) सिंदिया स्टीम नैवीगेशन क० लि०	९५००/१२,००० डी० डब्ल्यू० टी० का एक मालवाही पोत ।	१०,७६,४००,०००
		१८,९१,९००,०००

†**श्री सुब्बया अम्बलम :** विवरण से विदित होता है कि आर्डर दो जहाजों के लिये दिये गये हैं। ये जहाज संभवत: कब आयेंगे तथा क्या ये पुराने जहाज हैं या नये बने हुए ?

†**श्री राज बहादुर :** ये नये जहाज हैं। वे जापानी शिपयार्डों में बन रहे हैं एवं इस वर्ष के अन्त तक उनके यहां आने की आशा है।

मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†*२८१. **श्री तंगामणि :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के मदुरई डिवीजन में तिरुवेलंगाडु और विरुधुनगर जंक्शनों के बीच १७ जनवरी, १९५९ को एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने माल डिब्बे उलट गये ;

(ग) कितनी हानि हुई;

(घ) क्या पटरी से उतरने के कारण एक्सप्रेस गाड़ियों को विलम्ब हुआ ; और

(ङ) इस भाग में माल गाड़ियों के पटरी से उतरने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) हां।

(ख) एक डिब्बा उलट गया और पांच पटरी से उतर गये।

(ग) लगभग १,४०० रु०।

(घ) नम्बर १०५ डाउन मद्रास-त्रिवेंद्रम सेन्ट्रल एक्सप्रेस और नम्बर ११९ डाउन मद्रास-तिन्नेवेली एक्सप्रेस गाड़ियों को मदुरई और तिरुमगंलम पर क्रमानुसार १५७ मिनट और १८६ मिनट तक रोका गया।

(ङ) इस विशिष्ट भाग में पटरी से उतरना रोकने के लिए कोई विशेष कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है। दुर्घटनाओं के निवारणार्थ सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों का विस्तृत वर्णन "भारतीय सरकारी रेलों पर दुर्घटनाओं की वास्तविक समीक्षा" नामक पम्फ्लेट में दिया है। इसकी एक प्रति इस सभा के माननीय सदस्यों को दी गई थी।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** १९५७–५८ के लिए प्रशासन प्रतिवेदन से विदित होता है कि १२२४ मालगाड़ियों या शंटिंग इंजन तथा २१६ सवारी गाड़ियाँ पटरी से उतरीं । क्या चालू वर्ष में इनका यही अनुपात है अथवा इस में कमी हो गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री कृप्या इस प्रश्न का उत्तर दे दें ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** स्थिति सुधर गई है तथा सुधर रही है । हम स्थिति सुधारने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्

†*२६१. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्कम सरकार ने भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् में उपलब्ध गवेषणा सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) हां ।

(ख) परिषद् की प्रबन्ध समिति ने पहिले ही अपना कार्य-क्षेत्र सिक्कम राज्य तक बढ़ाने का निश्चय कर लिया है एवं परिषद् के सीमा नियमों में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

मुश्क हिरन

†*२६३. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि वन-जन्तु विशेषज्ञों के मतानुसार इस देश में मुश्क-हिरन खत्म हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस जानवर की नसल खत्म न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मुश्क-हिरन जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है । उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने इसे रक्षित जानवर घोषित कर दिया है । अन्य राज्यों से ऐसी ही कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे में भोजन व्यवस्था

†*२६९. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व तथा मध्य रेलवे पर खोमचा और भोज-व्यवस्था अपने हाथ में लेने के बाद, रेलवे प्रशासन को हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो १९५७ और १९५८ में कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस हानि के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) हां।

(ख) तथा (ग).

रेलवे	१९५७–५८ (असल हानि)	१९५८–५९ (पुनरीक्षित प्राक्कलन)
	(हानि हज़ार रुपयों में)	
पूर्व	६,७०	५,२३
मध्य	१,४७	२,४४

नोट :—आंकड़े वित्तीय वर्षों के लिए दिये गये हैं, क्योंकि खाते कलेन्डर वर्ष के लिए नहीं रखे जाते।

विभागीय भोजन-व्यवस्था में हानि होने के मुख्य कारण हैं :—

(१) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को निश्चित वेतन क्रम के भुगतान पर किया गया व्यय।

(२) उत्तम भोज्य वस्तुओं की बिक्री करना।

(३) उत्तम सेवा का रखना।

विजयवाडा में दूध पाउडर का कारखाना

†*२७२. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री राममः

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में दूध पाउडर का कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय हो गया है ;

(ख) क्या इस में कुछ विदेशी पूंजी भी लगेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विजयवाड़ा में सूखे दूध का कारखाना खोलने का निर्णय किया है।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना पर भारत सरकार इसके लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने की दृष्टि से विचार कर रही है।

दामोदर घाटी निगम में तृतीय ताप विद्युत केन्द्र के लिये स्थान

†*२७६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के तृतीय ताप विद्युत केन्द्र के लिये डुग्डा स्थान को चुना गया है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की क्या क्षमता होगी और उस पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि सारा खर्चे पानी का पर्याप्त संभरण सुनिश्चित करने और डुग्डा से ताला तक 'ट्रांसमिशन लाइनें' बनाने के लिये दामोदर में एक जलाशय का निर्माण करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक पर कितनी लागत आयेगी और कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी ;

(ङ) क्या कोई अन्य स्थान चुनने के बारे में भी विचार किया गया था ; और

(च) यदि हां, तो वह कौन सा स्थान था और उसे न चुनने के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) डुग्डा वाशरी के निकट चन्द्रपुर स्थान पर तृतीय ताप विद्युत संयंत्र लगाने का निश्चय किया गया है।

(ख) ताप विद्युत केन्द्र की क्षमता १२५० लाख वाट होगी और इस पर ११.२५ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) और (च). अन्य कई स्थानों विशेषकर दुर्गापुर के बारे में विचार किया गया था। इन बातों को ध्यान में रखते हुये कि निम्न ग्रेड का ईंधन उपलब्ध और निकट होगा और डुग्डा वाशरी से, जिसका निर्माण हो रहा है, दरम्यानी किस्म के कोयले का प्रयोग ताप विद्युत संयंत्र में किया जा सकेगा इसे चन्द्रपुर में ही लगाने का निश्चय किया गया।

उर्वरक के आयात का लक्ष्य

†*२७८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० में उर्वरक के आयात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना आयात किया जाना है और इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). १९५९–६० के लिये १८.८२ लाख टन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की मांग है और देश में ५.६८ लाख टन अमोनियम सल्फेट तैयार होगा। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के आयात के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है परन्तु यह कोशिश की जा रही है कि जहां तक संभव हो मांग और संभरण के अन्तर को पूरा कर लिया जाये। दरअसल कितना आयात किया जाता है वह इस बात पर निर्भर करेगा कि उर्वरक के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है। अब तक अक्तूबर, १९५८ से सितम्बर, १९५९ तक उर्वरक के आयात के लिये अब तक १३.३१ करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जिनमें वे संभरण भी शामिल हैं जो विभिन्न व्यापार करारों के अन्तर्गत प्रविधिक सहयोग करार सहायता कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध होंगे। इस राशि में से ११.१० करोड़ रुपये अप्रैल–सितम्बर, १९५९ की अवधि के दौरान में उर्वरक के आयात के प्रयोग के लिये अलग रखे गये हैं। इस अलग की गई राशि में से २.२१ लाख टन अमोनियम सल्फेट की व्यवस्था की जा चुकी है जिसका मूल्य ६.०२ करोड़ रुपये है। और संभरण की व्यवस्था की जा रही है। अक्तूबर, १९५९ से मार्च, १९६० तक के लिये अपेक्षित उर्वरक का आयात करने के हेतु विदेशी मुद्रा का आवंटन करने का मामला विचाराधीन है।

शिकार तथा यात्रा अभिकर्ता

†*२७९. { **श्री वीरेन्द्र सिंहजी :**
श्री वाडीवा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मान्यता-प्राप्त शिकार अभिकर्ताओं ने विदेशी पर्यटकों के लिये शिकार करने का आयोजन करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में जो ज्ञापन भेजा था क्या उसका परीक्षण किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) पर्यटन विकास परिषद ने जो वह सिफारिश की थी कि संबंधित राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार, शिकार और यात्रा अभिकर्ताओं के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाये, क्या इस संबंध में राज्य सरकारों की राय का पता चल गया है ; और

(घ) यदि हां, तो यह सम्मेलन कब किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). इंडियन शिकार आऊटफिटर एसोसियेशन द्वारा भेजे गये ज्ञापन पर विचार किया गया है परन्तु उसमें ऐसी कई बातें हैं जिनका निर्णय राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ परामर्श करके करना पड़ेगा इसलिये शिकार अभिकर्ताओं, यात्रा अभिकर्ताओं के प्रतिनिधियों राज्यों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का एक सम्मेलन बुलाया गया है जो दिल्ली में इस मास की २३ तारीख को होगा। यह सम्मेलन पर्यटन विकास परिषद की सिफारिशों के अनुसरण में किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आंध्र में चावल की वसूली

†*२८०. **श्री महन्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र में चावल की वसूली बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आंध्र सरकार ने आंध्र में चावल की वसूली का मूल्य बढ़ाने के लिये आगे और बातचीत की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों से की गई बातचीत के फलस्वरूप उस राज्य में कुछ बढ़िया किस्म के चावल और धान का अधिकतम नियंत्रित मूल्य बढ़ा दिया गया है ।

काक्रापाड़ा परियोजना

†*२८२. **श्री जाधव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य सरकार द्वारा काक्रापाड़ा परियोजना के अन्तिम रूप से पुनरीक्षित प्राक्कलन भेज दिये गये हैं ;

(ख) परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है और इससे कितनी भूमि में सिंचाई की गयी है ; और

(ग) क्या कार्य में निश्चित समय सूची के अनुसार प्रगति हो रही है और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिसम्बर, १९५८ तक परियोजना पर १०.६३ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। जनवरी, १९५९ के अन्त तक २२,७५६ एकड़ भूमि में सिंचाई की गयी ।

(ग) बम्बई सरकार का कहना है कि कार्य में निर्धारित समय सूची के अनुसार प्रगति हो रही है और यह आशा है कि परियोजना तृतीय योजना के अन्दर पूरी हो जायेगी ।

"भारत आइये वर्ष"

†*२८३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१ को "भारत आइये वर्ष" मनाने के लिये प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन सी विशेष व्यवस्थायें की जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी नहीं। सरकार अभी भी भारत सरकार के विभिन्न विभागों और संबंधित अभिकरणों से परामर्श करके इस विषय पर विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे डाक सेवा के डिब्बे

†*२८४. **श्री गोरे** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मांगों पर रेलवे डाक सेवा के डिब्बों में डाक कर्मचारियों को कठिनाइयां होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो डिब्बों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या किये जाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पटिल)** : (क) जी, हां।

(ख) बड़ी लाइन की गाड़ियों पर लगने वाले डाक के डिब्बों के नये नमूने तैयार किये गये हैं और जो भी डिब्बे नये बनेंगे वे इस नमूने के होंगे। मीटर गेज और छोटी लाइन के डिब्बों के नमूने के पुनरीक्षण का अध्ययन किया जा रहा है।

२. रेलवे बोर्ड से मंत्रणा कर के डाक के डिब्बे बनाने के लिये एक प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम बनाया गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह आशा की जाती है कि द्वितीय योजनाकाल के समाप्त होने से पहले डाक के डिब्बों की कमी की वर्तमान कठिनाइयों को बहुत हद तक पूरा कर लिया जायेगा।

स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

†*२८५. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक में १२०० लाइन वाले एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की योजना कार्यान्वित की गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). स्वचालित उपकरणों के स्थापना के लिये परियोजना प्राक्कलन अभी स्वीकृत किये गये हैं। क्योंकि भूमि का अर्जन, उपयुक्त भवन निर्माण और फिर उपकरण लगाना आवश्यक है, अतः इस कार्य के पूरा होने में लगभग तीन वर्ष लगेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

"जनता विमान सेवा"

†*२८६. **श्री दशरथ देब :**
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री बांगशी ठाकुर :
श्री हेम बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वी जोन में १५ जनवरी, १९५९ से "जनता विमान सेवा" लागू करने का निश्चय किया गया था जिसको कि पहले छोड़ दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री महीउद्दीन) :** (क) और (ख). कलकत्ता—अगरताला—खवाई—कमालपुर—कैलाशहर मार्ग का जिस पर इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की १५ जनवरी से एक विमान सेवा लागू करने की योजना थी, १ फरवरी, १९५९ को उद्घाटन किया गया ।

अनाज

*२८७. **श्री खादीवाला :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन प्रान्तों में अधिक अनाज पैदा होता है उनकी निकासी अन्य प्रान्तों में की जाती है, जिससे उन प्रान्तों में अनाज की कमी हो जाती है ;

(ख) क्या इस निकासी से उन्हीं प्रान्तों में अनाज की कमी हो जाने पर वही अनाज उन्हीं प्रान्तों में वापस भेजा जाता है, जिससे अनाज की कीमत बढ़ जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस प्रान्त से केवल अधिक अनाज की ही निकासी करने पर शासन विचार कर रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). साधारणतः व्यापारिक आयात निर्यात, भिन्न २ प्रान्तों में समय २ पर जो भाव होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं । और ऐसे आयात निर्यात से प्रायः भावों की असमता दूर हो जाती है । परन्तु जब कभी मांग और पूर्ति तथा कमी और अधिकता वाले राज्यों की समीपता के कारण से यह समझा गया कि क्षेत्र बनाने से और अनाज आयात निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से सार्वजनिक लाभ होगा तो इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

(ग) जब कभी सरकार खरीद करती है तो साधारणतः उसकी नीति सम्बन्धित राज्य तथा क्षेत्र की उचित आवश्यकता से बचे हुए माल का निर्यात करने की होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एकीकृत स्वास्थ्य योजनायें

†*२८८. श्री हेमराज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम कृष्ण :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये एकीकृत स्वास्थ्य योजनाओं को अधिकांश राज्य कार्यान्वित नहीं कर सके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश, बम्बई, मद्रास और मैसूर राज्यों के सदर मुकामों के अतिरिक्त सब राज्यों में नीरोगकारी और निरोधक स्वास्थ्य सेवाओं का हैडक्वार्टर स्तर और खंडस्तर पर एकीकरण है । सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा ऐसे एकीकरण को जिला स्तर पर कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

उड़ीसा से चावल का क्रय

†*२८९. **श्री पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघीय सरकार ने हाल ही में उड़ीसा से चावल के क्रय के लिये करार को अन्तिम रूप देने के लिये पदाधिकारियों का एक दल उड़ीसा भेजा था ;

(ख) क्या पदाधिकारी दल ने इस बारे में उड़ीसा सरकार से बात की ;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा से चावल के क्रय के सम्बन्ध में संघीय सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच क्या अन्तिम निर्णय हुए हैं ; और

(घ) क्या उड़ीसा में खाद्यान्न में राज्य व्यापार योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये संघीय सरकार ने उड़ीसा में एक पृथक् खाद्यान्न निदेशालय खोला है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह फैसला किया गया है कि उड़ीसा सरकार केन्द्रीय सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा निश्चित दरों पर चावल और धान का समाहार करेगी और केन्द्रीय सरकार किस्म का परीक्षण करने के बाद राज्य सरकार के क्रय अभिकर्ताओं से चावल और धान लेगी। केन्द्रीय सरकार समय समय पर राज्य सरकार को धन देगी जिससे वे अपने क्रय अभिकर्ताओं को भुगतान कर सके और राज्य सरकार द्वारा यह भुगतान विहित विवरणी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों द्वारा उड़ीसा में चावल और धान के किस्म निर्धारण के आधार पर किया जायेगा ।

(घ) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने राज्य में समाहृत खाद्यान्न के प्राप्त करने और चावल और धान की किस्म के परीक्षण के लिये उड़ीसा में एक संगठन स्थापित किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रियायती डाक दरें

†*२९०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सावधिक पत्रों के प्रकाशकों से रियायती डाक दरों के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या फैसला किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक अन्तिम रूप से फैसला नहीं किया गया है; परन्तु इस समय ऐसे प्रकाशकों को १–१–१९५९ से तीन महीनों की अवधि के लिये वर्तमान रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी गयी है ।

चीन से चावल का आयात

†*२९१. **श्री आसर :**
श्री रामी रेड्डी :
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार भारत को चावल देने के लिये सहमत हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (ग). खाद्यान्न, मूल्य इत्यादि के प्रस्ताव के बारे में जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

विमान भाड़ा दरें

†*२९२. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उचित विमान भाड़ा दरों के सम्बन्ध में वायु परिवहन परिषद् द्वारा की गयी सिफारिशों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में क्या फैसला किया गया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : जिन जिन रास्तों पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चलते हैं, वहां पर यह देखने के लिये कि कहां से, कहां तक और कितनी मात्रा में माल लाया ले जाया जाता है, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अध्ययन कर रहा है और भाड़ा दरों में परिवर्तन के सम्बन्ध में उनके प्रस्तावों को अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्सरकारी समुद्रीय परामर्श संगठन

†*२९३. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बाजपेयी :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लन्दन में हुई संयुक्त राष्ट्र अन्तर्सरकारी समुद्रीय परामर्श संगठन सभा की कार्यवाही के दौरान भारत को मत नहीं देने दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विरोध किया गया ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ङ) क्या भारत हाल ही में इस संगठन का सदस्य बन गया है ; और

(च) यदि हां, तो इसके सदस्य होने से क्या फायदे होने की आशा की जाती है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (च). एक विवरण नीचे दिया जाता है :

विवरण

भारत सरकार ने अन्तर्सरकारी समुद्रीय परामर्श संगठन के अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है । संगठन की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इसको सदस्य राज्यों को परिचालित करना पड़ता था और उनकी स्वीकृति पर ही भारत पूर्ण सदस्य बन सकता था । स्वीकृति पत्र महासचिव को ६ जनवरी, १९५९ को दिया गया था जबकि अन्तर्सरकारी समुद्रीय परामर्श संगठन की लन्दन में पहली बैठक हो रही थी । हमारे प्रतिनिधि ने इस बात का जिक्र किया कि क्योंकि भारत ने अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को स्वीकृति पत्र दे दिया, अतः भारत पूर्ण सदस्य बन गया । तथापि शर्त के परिचालन के लिये लम्बित रहते हुए संगठन की सभा ने भारतीय प्रतिनिधि को चर्चा में पूर्ण भाग लेने और मताधिकार के बगैर परिषद् में बैठने की आज्ञा दे दी । इस सम्बन्ध में सभा ने उन सब राज्यों के बारे में पहले से चले आ रहे दृष्टान्तों का अनुसरण किया जिन्होंने शर्त के साथ अभिसमय का अनुसमर्थन किया था ।

अन्तर्सरकारी समुद्रीय परामर्श संगठन एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ठ अभिकरण के स्तर का होने जा रही है और इस प्रकार का पहला अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन है । यह समुद्रीय सुरक्षा की समस्याओं पर ध्यान देगी जिसमें भारत समेत विश्व के समुद्रीय देश अभिसचिव होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेवा निवृत्ति योजना

†*२९४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने रेलवे कर्मचारियों ने अब तक सेवा निवृत्ति योजना के पक्ष में विकल्प किया है ; और

(ख) इस निरुत्साही उत्तर के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २३७२२ ।

(ख) विकल्प करने की अन्तिम तिथि ३१-३-१९५९ है परन्तु उत्तरों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ रही है । यह आशा की जाती है कि कल्याण निरीक्षकों के अतिरिक्त यदि कार्मिक संघों द्वारा भी रेलवे कर्मचारियों को, विशेषतः चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, योजना के लाभ समझाने के कार्य में दिलचस्पी ली गई तो और अधिक संख्या में लोग इस योजना के पक्ष में राय देंगे ।

कारखानों से निकले गन्दे पानी से भारतीय नदियों का गन्दा होना

†*२९५. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री बाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नरसिंहन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, क्या सरकार का ध्यान एक अमरीकी इंजीनियर और व्यापारी—श्री जार्ज ए० रोबिसो द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है कि यदि समय पर कार्यवाही न की गयी तो कारखानों से निकले गन्दे पानी से भारतीय नदियों के गन्दे हो जाने का खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है या किये जाने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण नीचे दिया जाता है :

विवरण

कारखानों से निकले गन्दे पानी से नदियों के गन्दा होने की समस्या के लिये सरकार की भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् के अन्तर्गत एक यूनिट है जिसको सितम्बर, १९५७ में अखिल भारतीय स्वास्थ्यकारी और लोक स्वास्थ्य संस्था में स्थापित किया गया था । तब से यह यूनिट उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में इस समस्या का अध्ययन कर रही है । यह आशा की जाती है कि इस यूनिट के कार्यों के परिणामस्वरूप कारखानों से

†मूल अंग्रेजी में

निकले गन्दे पानी और नदियों के गन्दा होने के बारे में कार्य करने और गन्दे पानी के गलत ढंग से निबटारे के कारण अस्वच्छ दशाओं का उपशमन करने के लिये उचित प्रशासनिक प्रक्रिया बनाने के लिये एक उचित संगठन और प्रयोगशाला स्थापित करना सम्भव हो सकेगा। इस प्रयोजन के लिये धाराओं के संतोषजनक व्यवहार के तरीके और स्तर बनाने के लिये विस्तृत परिमाप और गवेषणा कार्य आवश्यक हैं ।

पिछले तीन वर्षों में इस समस्या के अध्ययन के विभिन्न पहलुओं में कुछ प्रगति हुई है । उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में कारखानों की गन्द का परिमाप करने और नदियों के गन्दा किये जाने का अध्ययन करने के लिये और नदियों को गन्दा होने से रोकने के लिये उपचारात्मक उपाय करने के लिये क्षेत्रीय यूनिटों का संगठन किया गया है । गन्द का विश्लेषण करने के लिये इन प्रत्येक यूनिटों में पूरी तरह से सज्जित प्रयोगशाला स्थापित की गयी है ।

बिहार यूनिट ने राज्य के तीन जोन में से दो में सवक्षण पूरा कर लिया है । उत्तर प्रदेश यूनिट ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है । सर्वेक्षण के आंकड़ों से गन्दगी के स्रोत, प्रकार और मात्रा और उनके स्वच्छता से निबटाये जाने का पता चलता है । इससे राज्य के विभिन्न क्षत्रों में गन्दगी के निबटारे की समस्या के स्वरूप और महत्ता के बारे में सूक्ष्म जानकारी मिलती है । गन्दगी का सर्वेक्षण पश्चिमी बंगाल में भी किया जा रहा है ।

कलकत्ता और पटना यूनिटों में चीनी और आसवनी की गन्दगी के निबटाये जाने के बारे में प्रयोगशाला और पाइलट प्लांट में अध्ययन जारी रखा गया है ।

जजमऊ क्षेत्र (कानपुर) में जहां कि समस्या कुछ समय से तीक्षण है चमड़ा कमाने के कारखानों की गन्दगी के उचित रूप से निबटाये जाने के लिये एक योजना बना ली गई है । तुलिन गांव (पश्चिमी बंगाल) में, जहां ४००० लोग कुटीर उद्योग के रूप में लाख बनाने में लगे हुए हैं, लाख की गन्दगी निबटाने के लिये एक सामान्य ट्रीटमेंट प्लांट भी बना लिया गया है ।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों के बारे में विशेष कार्य पदाधिकारी का प्रतिवेदन

†*२९६. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के बारे में विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा की गयी और कौन कौन सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) कौन कौन सी सिफारिशें अभी कार्यान्वित की जानी हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सिफारिशों पर सरकार के फैसले २० जुलाई, १९५८ के संकल्प में बताये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें फैसले को कार्यान्वित करने में ३१ जनवरी, १९५९ तक की गयी प्र.ति बतायी गयी है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८३]

खाद्यान्नों का समाहार

*२९७. श्री वाजपेयी :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५ पर पूछ गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों में अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अधिनियम, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गेहूं और चावल उपलब्ध किया है और इस प्रकार उपलब्ध हुई स्टाक की अलग-अलग मात्रा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अधिनियम के अधीन जिन राज्यों ने लगभग जितना गेहूं और चावल उपलब्ध किया है, उसका एक विवरण इस प्रकार है :

विवरण

राज्य	लगभग परिमाण (मनों में)	
	गेहूं	चावल
१. मध्य प्रदेश	७,७००	..
२. पंजाब	८९७,२००	..
३. उत्तर प्रदेश . . .	२५,९००	..
४. पश्चिमी बंगाल . . .	..	२,६३,२००
५. राजस्थान	४०,९००	..

उत्तर प्रदेश व बिहार में अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवायें

*२९८. श्री भक्त दर्शन :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश व बिहार में अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवायें फिर से चालू करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): उत्तर प्रदेश और बिहार म अन्तदशीय जल परिवहन सर्विस को फिर से जारी करने की योजना जो सरकार के विचाराधीन थी, वह आर्थिक कारणों और यातायात की मात्रा अनिश्चित होने के कारण चलने योग्य नहीं समझी गयी ।

उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन के यातायात की मात्रा का निर्धारण करने के लिए यातायात सर्वेक्षण का इन्तजाम अप्लाइड इक्नामिक रिसर्च की नेशनल कौंसिल की मार्फत हाल ही में किया गया है। चार पांच महीनों में इस सर्वेक्षण के परिणामों के मिल जाने की सम्भावना है। किस प्रकार की सर्विस जहां आवश्यक होगी यह उन परिणामों पर ही निर्भर होगा।

तब तक के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड ने प्रयोगात्मक रूप में बक्सर और राजमहल के बीच में माल ढोने के लिए पुश–टगों द्वारा एक सर्विस चलाने का निश्चय किया है। यह सर्विस सम्भवत : अप्रैल, १९५९ के शुरू में चलने लगेगी।

नागार्जुनसागर परियोजना

†*२९९. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री दे० वें० राव :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई पूर्ण परियोजना का नागार्जुनसागर परियोजना की विद्युत् योजना के साथ विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई योजना और केन्द्रीय सरकार के निर्णय में मतभेद की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) आन्ध्र और हैदराबाद की सरकारों ने १९५४ में नागार्जुनसागर परियोजना के बारे में एक संयुक्त प्रतिवेदन दिया जिसके अन्तर्गत विद्युत् विकास का विषय भी आता था। फरवरी, १९५५ में हुए अन्तर्राज्यीय सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि केवल वर्तमान परियोजना पर ही कार्यवाही की जाये। आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई और प्रस्ताव नहीं मिले हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भविष्य निधि लेखे

†*३००. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि एक रेलवे कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने से छ : महीने पहले भविष्य निधि लेखे के निबटारे जाने के लिये कागजात तैयार हो जायें, क्या प्रयत्न किये गये हैं कि उसके लेखे का अन्तिम रूप से निबटारा सेवा निवृत्त होने के १० दिन के अन्दर-अन्दर कर दिया जाये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : रेलवे प्रशासन को छ : महीने बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों का कार्यपालिका और लेखा कार्यालयों में एक देशना-पंजी (इंडैक्स रजिस्टर) रखने के लिये और उनमें प्रत्येक मामले में देय राशि का निबटारा करने के लिये की गयी विभिन्न कार्यवाही दर्ज करने के आदेश जारी किये गये हैं जिससे प्रत्येक मामले पर विस्तार से और क्रम से विचार किया जा सके।

---

†मूल अंग्रजी में

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

†*३०१. **श्री तंगामणि :**
श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९५८ और जनवरी, १९५९ में मालगाड़ियों का पटरी से उतरने की घटनाएं बढ़ गई थीं ;

(ख) गाड़ी के पटरी से उतरने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे पर हावड़ा से मुगलसराय जाने वाली मालगाड़ी के २८ डिब्बे १९ जनवरी, १९५९ को पटरी से उतर गये थे ;

(घ) दुर्घटना के कारण और ब्यौरा क्या हैं ; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जनवरी, १९५९ के लिये अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । तथापि नवम्बर और दिसम्बर, १९५८ में जिनके लिये अन्तिम रूप से आंकड़े उपलब्ध ह, भारत सरकार की रेलवे पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने की संख्या में पिछले महीनों की अपेक्षा अर्थात् अप्रैल, १९५८ के बाद से कमी हुई है ।

(ख) निर्दिष्ट कालावधि के लिये अन्तिम रूप से आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ). १९-१-५९ को लगभग १७.०५ बजे, जब कि विशेष मालगाड़ी संख्या ९ पूर्वी रेलवे के सैदराजा और चन्दौली-मझवार स्टेशनों के बीच जा रही थी, इसका एक डिब्बा दाहिने अगले पहिये का टायर टूट जाने के कारण पटरी से उतर गया जिसके परिणामस्वरूप बाकी पिछले २७ डिब्बे भी पटरी से उतर गये ।

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये जो कार्यवाही की गयी है उनका ब्यौरा भारत सरकार की रेलवे पर दुर्घटनाओं का वास्तविक पुनरीक्षण नामक पुस्तिका में दिया गया है, जिसकी प्रति माननीय सदस्यों को भी दी गयी है ।

आसनसोल और रूरकेला के बीच बिजली की रेलगाड़ी

†*३०३. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल और रूरकेला के बीच बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी चलाने के लिये प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पूरा काम कब तक समाप्त हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) योजनानुसार यह १९६० की समाप्ति से पूर्व समाप्त हो जाना चाहिये ।

टेलीफोन डायरेक्टरी

†*३०४. { **श्री खादीवाला :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन डायरेक्टरी अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किस-किस प्रादेशिक भाषा में छपायी गयी है ; और

(ख) क्या प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में टेलीफोन डायरेक्टरी को छपवाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) हिन्दी और गुजराती में ।

(ख) जी, हां ।

भुंटार (कुलू) में हवाई पट्टी[१]

†*३०५. { **श्री हेमराज :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुलूघाटी के भुंटार नामक स्थान पर एक हवाई पट्टी बनाने के सम्बन्ध में असैनिक उड्डयन के महानिदेशक से रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के पानी-घर (वाटर वर्क्स)

†*३०६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के पानी-घर (वाटर वर्क्स) के नवनिर्माण तथा जल निस्सारण योजना के लिये कितनी राशि मांगी गयी है ; और

(ख) उसके लिये अभी तक कितनी राशि दी जा चुकी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १ करोड़ रुपये ।

(ख) १९५८–५९ के लिये निर्धारित ५ लाख रुपयों की राशि में से राज्य सरकार को ३१ दिसम्बर, १९५८ तक ३.७५ लाख रुपये अदा किये जा चुके थे । शेष राशि चालू वित्तीय वर्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Airstrip.

की समाप्ति से पहले इस आधार पर दी जायेगी कि हैदराबाद और सिकन्दराबाद के निगमों द्वारा वास्तव में कितनी राशि व्यय की गयी है ।

पश्चिम रेलवे के प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूल का उदयपुर भेजा जाना

†*३०७. **श्री बाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूल को अजमेर से उदयपुर ले जाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चीनी का निर्यात

†*३०८. **श्री राम कृष्ण :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री जाधव :
श्री सूपकार :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में कुल कितनी चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी गयी थी ;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक देश को वास्तव में कितनी-कितनी चीनी भेजी गयी थी ; और

(ग) उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा का शुद्ध लाभ हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जून, १९५८ में १९५७–५८ के उत्पादन में से ३१ जनवरी, १९५९ तक के निर्यात के लिये ५०,००० टन चीनी रिलीज़ की गयी थी। १९५८–५९ के उत्पादन में से एक लाख टन चीनी निर्यात करने का निश्चय किया गया है।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८४]**

(ग) अब तक लगभग २.३ करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में कमाये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

वातानुकूलित रेल डिब्बे

†*३०९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल कुछ गाड़ियों में ही वातानुकूलित डिब्बे और भोजन सम्बन्धी डिब्बे, रखने के बारे में विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह प्रतिबन्ध किन-किन सेक्शनों में लागू किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं। परन्तु इस बात की निरन्तर जांच की जा रही है कि विभिन्न गाड़ियों में संभरित वातानुकूलित स्थान और भोजन व्यवस्था का कितना उपयोग किया जाता है ताकि समय-समय पर इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की जा सके।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रूरकेला–भिलाई रेलवे मार्ग पर दोहरी लाइन का बिछाया जाना

†*३१०. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रूरकेला से भिलाई इस्पात कारखाने तक दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है?

पंजाब में वन्य पशुओं की सुरक्षा

†२७७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में पंजाब के वन्य पशुओं की सुरक्षा के लिये पंजाब राज्य को कितनी राशि दी गयी थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : क्योंकि राज्य सरकार ने वन्य पशुओं की सुरक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार से कुछ भी सहायता नहीं मांगी थी, इसलिये १९५८–५९ में कुछ भी राशि नहीं दी गयी थी।

उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्ष

†२७८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के छोटी लाइन के सेक्शन में १९५८–५९ में अभी तक कितने नये प्रतीक्षा कक्ष बनाये गये हैं, किस किस स्टेशन पर बनाये गये हैं और उन पर कितनी लागत आई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने प्रतीक्षा कक्षों की मरम्मत की गयी है और उन पर कितना खर्च आया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) इलनबाद और राजलदेसर में दो प्रतीक्षा कक्ष बनाये गये हैं जिन पर लगभग १२,००० रुपये खर्च आये हैं।

(ख) प्रतीक्षा कक्षों की मरम्मत पर आने वाले खर्च का अलग हिसाब नहीं रखा जाता क्योंकि वे स्टेशन की इमारत का एक भाग ही समझे जाते हैं।

बिना टिकट के यात्रा

†२७९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी की सी०ओ०डी० फैक्टरी में काम करने वाले बहुत से सरकारी कर्मचारी दिल्ली और रेवाड़ी के बीच चलने वाली गाड़ियों पर बिना टिकट के यात्रा करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसकी रोक थाम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) **प्रश्न** उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे कर्मचारियों में तपेदिक के रोगी

†२८०. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५९ को रेलवे के प्रथम द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितन-कितने कर्मचारी तपेदिक से पीड़ित थे ; और

(ख) उन्हें उपयुक्त मेडिकल सुविधायें देने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १ फरवरी, १९५९ को तपेदिक से पीड़ित कर्मचारियों की संख्या :—

प्रथम श्रेणी	१
द्वितीय श्रेणी	२
तृतीय श्रेणी	१,१६०
चतुर्थ श्रेणी	३,४१८

(ख) उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयी हैं :—

(१) रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिये प्रतिष्ठित तथा अभिस्वीकृत टी० बी० सेनेटोरियम में ७४८ शैयायें निर्धारित कर दी गयी हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

और ९० शैयायें और भी प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त १७३ शैयायें अस्पतालों में तथा ४८ चेस्ट क्लिनिक्स में तपेदिक के रोगियों के इलाज के लिये रखी गयी हैं।

(२) तपेदिक से पीड़ित कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को अस्पताल से बाहर रह कर चिकित्सा की सुविधाएं भी दी जाती हैं जिनमें एण्टी-बाएटिक्स, और केमोथेरापिओटिक औषधियां की निःशुल्क सप्लाई, एक्स-रे तथा प्रयोगशाला निदान आदि सम्बन्धी सुविधाएं शामिल हैं। तपेदिक से पीड़ित कर्मचारियों एवं उनके परिवार वालों को न्यूमोथरेक्स[1], न्यूमोपेरिटेनियम[2], प्रेनिक क्रशिंग[3], तथा थारेसोप्लास्टी[4], कोलेप्स थेरेपी[5], आदि के समान 'सर्जिकल मेजर्स' की सुविधायें भी दी जाती हैं?

(३) उसके अतिरिक्त कुछ एक अस्पतालों में कैमरा यूनिट भी संभरित किये गये हैं जिनमें १०० एम० ए० तथा उसके अधिक शक्ति की एक्स-रे की मशीनें लगी हुई हैं।

(४) उपरोक्त सभी सुविधाओं के अतिरिक्त, अभिस्वीकृत आरोग्य शालाओं में अनिश्चित शैयाओं में किये गये इलाज पर आने वाला खर्च भी सरकार की ओर से अदा किया जाता है।

(५) ३०० रुपये या उससे कम वेतन के कर्मचारियों को, जब वे तपेदिक से पीड़ित होकर किसी रेलवे अस्पताल या आरोग्य शाला में दाखिल होते हैं तो उन्हें निःशुल्क भोजन भी संभरित किया जाता है।

(६) जो कर्मचारी तपेदिक से पीड़ित हो कर आधे वेतन अथवा बिना वेतन की छुट्टी पर अस्पतालों अथवा आरोग्य शालाओं में दाखिल होते हैं, उन्हें कर्मचारी हित निधि में से ५० रुपये से १०० रुपये प्रतिमास तक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

उर्वरक का आयात

†२८१. **श्री नागी रेड्डी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८ में विभिन्न देशों से देशवार कितना-कितना उर्वरक आयात किया गया था, और उन पर कितनी-कितनी लागत आयी थी;

(ख) उनके आयात पर नौपरिवहन के भाड़े के रूप में कितना खर्च आया था; और

(ग) उस उर्वरक के लिये धन किस प्रकार से अदा किया जायेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Pneumotherat.

[2] Pneumoperitoneom.

[3] Phrenic crushing.

[4] Thoracoplasty.

[5] Collapse therapy.

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८५**]

राज्यों में पुलों का निर्माण

†२८२. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य सड़कों पर नदियों पर पुल बनाने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि खर्च की गयी है ; और

(ग) आंध्र प्रदेश और पंजाब में कितने पुल पूरे हो चुके हैं और कितने अभी तैयार हो रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वंशधारा पारयोजना

†२८३. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री रामम् :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने गुदारी पर वंशधारा परियोजना के निर्माण के लिये अनुसन्धान का काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र को उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ;

(ग) परियोजना पर लगभग कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) क्या परियोजना का काम १९५९–६० में प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) वंशधारा के लिये बांध बनाने के लिये गुदारी नामक स्थान की उपयुक्तता के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा अनुसन्धान किया जा रहा है , आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा नहीं । अनुसन्धान का काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). अनुसन्धान के पूरा होते ही केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अग्रिम प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अभी यह बताना कठिन है कि क्या १९५९–६० में कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा या नहीं । अग्रिम प्रतिवेदन के तैयार होने पर और उसके योजना आयोग द्वारा मंजूर कर लिये जाने के उपरान्त ही वास्तविक कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

सहकारी कृषि समितियां

†२८४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कितनी सहकारी कृषि समितियां थीं और इस समय कितनी समितियां हैं ;

(ख) अभी तक कुल कितनी सहकारी कृषि समितियां काम कर चुकी हैं ; और

(ग) सहकारी कृषि क्षेत्रों के प्रत्येक एकड़ का उत्पादन व्यक्तिगत रूप से चलाये जा रहे खेतों के प्रति एकड़ के उत्पादन की तुलना में कैसा है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क)

३१–१२–१९५६ को १५६०* ।

१९५७–५८ के अन्त में २०२०* ।

(ख) राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गयी है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सहकारी खेतों और व्यक्तिगत रूप से चलाये जा रहे खेतों के प्रति एकड़ तुलनात्मक उत्पादन का कोई व्यवस्थित हिसाब नहीं लगाया गया है और योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रकाशित "स्टडीस इन कोओपरेटिव फार्मिंग" नामक प्रकाशन संख्या १८ में दी गयी जानकारी के अतिरिक्त और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सड़क निर्माण पर गवेषणा

२८५. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्था, नई दिल्ली में अब तक किये गये प्रयोगों के परिणामस्वरूप क्या सड़कों को अधिक सस्ता और टिकाऊ बनाने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस विधि का विवरण क्या है ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप, खर्च में कितनी कमी की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*इन में संयुक्त खेती, सामूहिक खेती, किसान खेती तथा बेहतर खेती समितियां सम्मिलित हैं ।

बम्बई में खाद्यान्नों का उत्पादन

†२८६. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के द्वारा बम्बई राज्य में कितने अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार १९५७–५८ में अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के परिणामस्वरूप कुल लगभग १·८० लाख टन की उत्पादन क्षमता उत्पन्न हुई थी ।

भूमि का कटाव

†२८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार कुल कितना क्षेत्र भूमि कटाव निवारण योजनाओं के अन्तर्गत आता है ; और

(ख) १९५८–५९ में प्रत्येक राज्य पर उस सम्बन्ध में अभी तक कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में टेलीफोन के कनक्शन

†२८८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन लगाने के लिये वेटिंग लिस्ट में अभी तक कितने लोगों के नाम बकाया हैं ;

(ख) उन्हें अभी तक टेलीफोन कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन लोगों को कब तक टेलीफोन दे देने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क)

दिल्ली क्षेत्र

एक्सचेंज का नाम	आवेदन पत्रों की संख्या
तीस हजारी	८,१२३
शाहदरा .	३५०
करोल बाग	२,४३३

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली क्षेत्र

एक्सचेंज का नाम	आवेदन पत्रों की संख्या
सेक्रेटेरिएट	१,५००
कनाट प्लेस	७,०१८

(ख) दिल्ली में टेलीफोन विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राशि रखी गयी है परन्तु जब तक तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी पर्याप्त राशि नहीं रखी जायेगी तब तक मांगों को पूरा करना संभव नहीं है ।

(ग) दिल्ली की समस्या को उपेक्षित नहीं किया जा सकता और उस पर एक अखिल भारतीय आवश्यकता के समान ही विचार करना पड़ेगा। हम आगामी योजना में स्थिति को यथासम्भव अधिक से अधिक मात्रा में सुधारने का प्रयत्न करेंगे, परन्तु उसकी उन्नति तो उपलब्ध धन तथा अन्य प्रकार के साधनों पर निर्भर होगी ।

बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†२८९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा उपलब्ध साधनों के सम्बन्ध में किये गये नवीन मूल्यांकनों को दृष्टि में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी कितनी राशि का पुनः आवंटन किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : योजना आयोग के परामर्श से बाढ़ निमन्त्रण योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को दी जाने वाली राशियों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और उन्हें शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

पंजाब में वनरोपण

†२९०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में वनरोपण के काम को विकसित करने के लिये पंजाब राज्य को कितनी वित्तीय तथा प्रविधिक सहायता दी गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५८–५९ में पंजाब में वनों के विकास के लिये २,००,००० रुपये ऋण के रूप में और १४,००० रुपये अनुदानों के रूप में दिये गये थे ।

राज्य सरकार द्वारा कोई प्रविधिक सहायता नहीं मांगी गयी थी।

दिल्ली सर्कल के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में दिल्ली सकल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में दिल्ली सर्कल में कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :**

(क)	१९५७–५८ . .	४० यूनिट
	१९५८–५९ . .	८४ यूनिट क्वार्टर तैयार किये जा रहे हैं ।
(ख)	१९५६–५७ में तैयार किये गये . . .	७६ यूनिट
	१९५७–५८ में तैयार किये गये .	४० ,,
	१९५८–५९ में तैयार किये जा रहे . . .	८४ ,,
	१९५९–६०–६१ में जितने क्वार्टरों का निर्माण करने की योजना है	९९४ ,,
	कुल .	११९४ यूनिट

स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

†२९२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में नई दिल्ली और दिल्ली के क्षेत्र में विजीलैंस स्टाफ (सतर्कता कर्मचारियों) द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ दफ्तरों के कितने कर्मचारी भ्रष्टाचार के अपराध में पकड़े गये थे ; और

(ख) उन्हें क्या दण्ड दिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) कोई भी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राज्यों में सिंचाई परियोजनायें

†२९३. **श्री जाधव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक राज्य में कितनी मुख्य तथा मध्यम श्रेणी की परियोजनायें प्रारम्भ की गयी थीं ;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनायें पूरी हो गयी हैं ;

(ग) कितनी अभी अधूरी हैं ;

(घ) उन पर कितनी कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ङ) काम लगभग कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(च) उक्त परियोजनाओं से क्या क्या लाभ हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) :** (क) से (च). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८६]**

†मूल अंग्रेजी में

बिजली का उत्पादन

†२९४. **श्री सम्पत :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ तथा १९५८ में प्रत्येक राज्य में विद्युत् शक्ति का कितना उत्पादन किया गया था ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य के लिये कितनी विद्युत् परियोजनायें सम्मिलित की गयी हैं और उनमें से कितनी परियोजनायें प्रारम्भ कर दी गयी हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) :** (क) सभा-पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८७]**

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८८]**

कच्चे पटसन की कीमतें

†२९५. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विभिन्न केन्द्रों में जनवरी, १९५९ में कच्चे पटसन के क्या भाव थे और उसकी तुलना में जनवरी १९५८ में क्या भाव थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८९]**

टेलीफोन रेवेन्यू कार्यालय (उत्तर प्रदेश) में क्लर्कों की भर्ती के लिये परीक्षा

२९६. **श्री नारायणदीन :**
श्री वाजपेयी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन रेवेन्यू कार्यालय (उत्तर प्रदेश) लखनऊ में लोअर डिवीजन क्लर्कों की भर्ती के लिये आयोजित परीक्षा में कथित दुराचार के सम्बन्ध में जो जांच हो रही थी, क्या वह इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) जांच-पड़ताल के फलस्वरूप यह पता चला है कि (१) इस परीक्षा के संचालन में न तो किसी प्रकार का दुराचरण देखने में आया है और न ही परीक्षा के होने से पूर्व तत्सम्बन्धी प्रश्न-पत्र के पता लग जाने की कोई सूचना मिली है ;

(२) इस आरोप में भी कोई सचाई नहीं है कि कुछ-एक परीक्षार्थियों को इस प्रश्न-पत्र के हल करने में किसी प्रकार की सहायता दी गयी थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) वस्तुतः बात यह है कि प्रातः १०.५० के लगभग लेखा अफसर टेलीफोन के कार्यालय के मशीन-कक्ष में कुछ-एक व्यक्तियों को अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र को हल करते पाया गया, जिसे उन्होंने उस परीक्षार्थी से ले लिया था, जो प्रातः १०.३० के कुछ मिनट बाद परीक्षा-भवन से बाहर आ गया था । परीक्षा-भवन में किसी व्यक्ति को इस प्रश्न पत्र के हल को पहुंचाये जाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । फिर भी, निरीक्षण के कार्य में और भी अधिक सतर्कता रक्खी गयी थी और साथ ही किसी व्यक्ति को परीक्षा-भवन में इसकी कोई भी सूचना पहुंचने नहीं पायी थी ।

टेलीफोन रेवेन्यू कार्यालयों का हटाया जाना

२९७. **श्री नारायणदीन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीफोन रेवेन्यू कार्यालयों को दिल्ली से हटाकर नागपुर और लखनऊ ले जाने में सरकार द्वारा कितना धन खर्च किया गया ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : इन कार्यालयों को नागपुर ले जाने में १७,६१४ रुपये और लखनऊ ले जाने में ४९,२२७ रुपये खर्च किये गये हैं ।

लखनऊ के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान

२९८. **श्री नारायणदीन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) टेलीफोन रेवेन्यू (उत्तर प्रदेश) कार्यालय लखनऊ के कर्मचारियों को अभी तक सरकारी निवास-स्थान न देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ मकान खरीदने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से बात-चीत चल रही है ;

(ग) इन कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी समस्या कब तक हल हो सकेगी ;

(घ) क्या लखनऊ में डाक तथा तार कालोनी बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित किये जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क). से (ग). लखनऊ के टेलीफोन आय कार्यालय के कर्मचारियों के लिये वहां की राज्य सरकार से कुछ-एक क्वार्टर खरीद लेने का प्रस्ताव है । इस खरीद की शर्तों तथा उपबन्धों के विषय में उक्त सरकार से बातचीत चल रही है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) आशा है कि जमीन १९५९–६० के बीच प्राप्त कर ली जायेगी ।

नौकरी से निकाले गये तथा मुअत्तल किये गये कर्मचारी

†२९९. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अब तक कितने कर्मचारी नौकरी से निकाले गये तथा मुअत्तल किये गये हैं और कितने कर्मचारी (श्रेणीवार) ऐसे हैं जिन्हें मुअत्तल हुए तीन मास से अधिक समय बीत चुका है ;

(ख) तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को वैध रूप से किन नियमों के अन्तर्गत मुअत्तल किया जा सकता था ; और

(ग) क्या मुअत्तल किये रखने की कोई अवधि निश्चित है या नहीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

(ख) १७११ (१) नियुक्त करने वाला पदाधिकारी, अथवा उससे उच्च कोई पदाधिकारी अथवा वह पदाधिकारी जिसे यह शक्ति प्रदान की गई हो, किसी रेलवे कर्मचारी को मुअत्तल कर सकता है जब कि :

(क) उस के आचरण की जांच की जा चुकी हो अथवा की जा रही हो; या

(ख) उस के खिलाफ किसी दाण्डिक अपराध की जांच हो रही हो अथवा मुकदमा चल रहा हो ।

(२) वह रेलवे कर्मचारी जो किसी दाण्डिक अथवा अन्य अपराध के कारण ४८ घंटे से अधिक हवालात में रखा गया हो वह इन नियमों के अन्तर्गत मुअत्तल किया गया समझा जायेगा ।

(३) उपनियम (१) के अन्तर्गत मुअत्तल करने के लिये जारी किये गये आदेश का खंडन किसी भी समय वही अथवा उस से उच्च पदाधिकारी कर सकता है ।

(ग) जी नहीं, जब तक मामले का फैसला नहीं होता तब तक कर्मचारी मुअत्तल रहता है बशर्ते कि भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान संहिता, खंड १ के नियम १७११ (३) के अन्तर्गत आदेश का खंडन न किया गया हो ।

समाज शिक्षा संयोजक

†३००. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाज शिक्षा संयोजकों के बारे में यह शिकायतें मिली हैं कि सामुदायिक विकास खंडों में उन के बारे में बड़ी गलतफहमियां फैली हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार गलतफहमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: (क) और (ख). वास्तव में कोई शिकायतें तो नहीं मिली हैं परन्तु सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संचालन सम्बन्धी प्रतिवेदनों में यह संकेत किया गया है कि समाज शिक्षा संयोजकों के कृत्यों के बारे में कोई निश्चित धारणा नहीं है। अप्रैल, १९५७ में मसूरी में हुए विकास आयुक्तों के छठे सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया गया था और समाज शिक्षा की धारणा तथा क्षेत्र की और समाज शिक्षा आयोजकों के महत्व की परिभाषा की गई थी। समाज शिक्षा आयोजकों को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिये अधिक कुशल बनाने के हेतु उनके प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का भी पुनरीक्षण किया गया है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड को हुई हानि

†३०१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखपटनम् को जहाज बनाने के काम में अब भी काफी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि उत्पादन पर होने वाली अधिक लागत को पूरा करने के लिये सरकार प्रत्येक वर्ष राजसहायता देती रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस समय भारी हानि के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी हां। यार्ड को कुछ हानि हो रही है।

(ख) यार्ड को १९५२ में हिन्दुस्तान शिपयार्ड (प्राइवेट) लिमिटेड को सौंपे जाने के बाद, दी गई राज सहायता के अतिरिक्त कुल १२,०८,१४९ रुपये हानि पहुंची।

(ग) जी हां।

(घ) अभी शिपयार्ड का विकास हो रहा है और वहां अधिकतम क्षमता से उत्पादन नहीं हो पाया है। जहाजों के निर्माण पर इसलिये भी अधिक खर्च हो रहा है कि मशीनों और उपकरण आदि के आयात पर अधिक खर्च होता है।

पश्चिमी बंगाल में मलेरिया महामारी

†३०२. **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१७ के उत्तर और बाद में १८ दिसम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है कि पश्चिमी बंगाल में मलेरिया महामारी में कितने प्रतिशत कमी हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २३ जून, १९५८ से मलेरिया उन्मूलन सप्ताह मनाने पर राज्य में लगभग कितना खर्च किया;

(ग) राज्य के मलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों में अब तक कृमिनाशक औषधियों का कितनी बार छिड़काव किया गया;

(घ) क्या यह सच है कि जिन क्षेत्रों में कृमिनाशक औषधियां छिड़की गई थीं वहां 'क्यूलेक्स' प्रकार के मच्छर बड़ी संख्या में पैदा हो गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या तेज कृमिनाशक औषधियों के छिड़काव से 'क्यूलेक्स' तथा अन्य कीड़े मर जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) ८,६३२ रुपये ।

(ग) ६ से १२ बार; प्रत्येक यूनिट वर्ष में दो बार।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर राज्य में बीज फार्म

†३०३. **श्री केशव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक मैसूर राज्य में कितने बीज फार्म खोले गये हैं; और

(ख) १९५९-६० में और कितने फार्म बनाने का विचार है और वे किन-किन स्थानों पर होंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) दिसम्बर, १९५८ तक २६ बीज फार्म।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ५६ बीज फार्मों के लक्ष्य को पूरा करने के लिये १० फार्म और बनाये जायेंगे। अभी इन फार्मों के स्थानों के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

कृषि योग्य बंजर भूमि

†३०४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भारत में (राज्यवार) कितनी कृषि योग्य भूमि बंजर पड़ी हुई थी ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक इस में से कितनी भूमि (राज्यवार) भूमिहीन काश्तकारों में बांटी गई है;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक जमीन प्राप्त करने वालों को इस जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिये सहायता देने में कुल कितना खर्च (राज्यवार) किया गया ; और

(घ) इस भूमि का वितरण करने से खाद्य की उपज में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९०]**

(ख) और (ग). कुछ एक राज्य सरकारों ने भूमिहीन कृषि श्रमिकों को जमीन देने की व्यवस्था द्वितीय योजना में की थी और अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९१]**

(घ) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । अनुमान है कि लगभग ४२०० टन की अतिरिक्त उपज हुई है ।

दुग्ध उत्पादन

†**३०५. श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या यह कार्यवाही करने के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) पशुपालन का सुधार तथा विकास राज्य सरकारों को करना होता है जिन्हों ने अपने क्षेत्रों के उपयुक्त कई योजनायें आरम्भ की हैं । उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित योजनायें आरम्भ की हैं जिन के द्वारा वह राज्यों को टैक्नीकल तथा वित्तीय सहायता देती रही है:—

(१) भारतीय पशुओं की दूध देने की क्षमता और वहन क्षमता में सामान्य सुधार करने के लिये अखिल भारतीय मूल ग्राम योजना ।

(२) कुछ प्रवर गोशालाओं का पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिये गोशाला विकास योजना ।

(३) पहाड़ी और अधिक वर्षा वाले स्थानों में भिन्न जाति के नर मादा से प्रजनन् करने की योजना ।

(४) 'रिंडरपेस्ट' रोग के उन्मूलन की योजना ।

(५) सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड क्षेत्रों में पशुपालन सुधार योजना ।

(६) पशुपालन के विकास के लिये पिछड़े हुए तथा आदिम जातियों के क्षेत्रों को आर्थिक सहायता ।

(७) नगरीय क्षेत्रों में डेरी विकास तथा दुग्ध सप्लाई योजनायें ।

(८) विभिन्न योजनाओं के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये नये पशु चिकित्सा कालेज खोलना और वर्तमान कालेजों का विस्तार करना ।

(ख) और (ग). दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे । योजना काल में दुग्ध उत्पादन का कोई वार्षिक सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है । द्वितीय योजना के अन्तर्गत एक योजना चालू की गई है जिस के द्वारा दुग्ध उत्पादन के आंकड़ों का पता लगाया जायेगा और परोक्ष रूप से यह भी पता चलेगा कि दुग्ध का कुल कितना उत्पादन होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुरदासपुर और पठानकोट स्टेशनों पर आय

†३०६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में उत्तर रेलवे के गुरदासपुर और पठानकोट स्टेशनों पर माल और सवारी गाड़ियों से अलग-अलग, मासवार, कितनी आय हुई ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९२]**

पंजाब में क्षय रोग नियंत्रण

†३०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अब तक पंजाब को क्षय रोग निरोध के लिये कुल कितनी राशि दी गई है; और

(ख) क्या उस सरकार ने और सहायता मांगी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अब तक ३,८३,००० रुपये के अनुदान स्वीकृत किये गये हैं ।

(ख) जी हां । ये प्रस्ताव तैयार किये गये हैं :—

(१) गुलाब देवी टी० बी० अस्पताल, जालंधर में तपेदिक के रोगियों को अलग रखने के लिये ५० बिस्तरों की व्यवस्था करना; और

(२) जिन ७ टी० बी० क्लिनिकों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है उन के लिये ऐक्स-रे और प्रयोगशाला का उपकरण प्राप्त हो चुका है और उसका अनुमोदन भी किया जा चुका है । इमारत और कर्मचारियों के उपलब्ध हो जाने पर ऐकस-रे और प्रयोगशाला के उपकरण देने की प्रार्थना पर विचार किया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश में ऋणिता

†३०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय काश्तकारों की प्रति व्यक्ति ऋणिता कितनी है;

(ख) क्या सरकार इस ऋणिता को कम करना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) अखिल भारतीय ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण के नवीनतम प्रतिवेदन (खंड १) १९५१-५२ के अनुसार हिमाचल प्रदेश में ऋणग्रस्त कृषक परिवारों का औसत ऋण ३५२ रुपये है ।

(ख) और (ग). ऋणिता को कम करने के लिये और कोई कार्यवाही करने का इस समय कोई विचार नहीं है क्यों कि इस प्रयोजना के लिये विधि पुस्तक में "हिमाचल प्रदेश ऋण घटाना अधिनियम, १९५३" पहले से मौजूद है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिनियम में उपबन्धित है कि "ऋणग्रस्त व्यक्ति का मूलधन और ब्याज समेत ऋण किसी हालत में निम्नलिखित से नहीं बढ़ेगा —

(क) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व दिये गये ऋण के सम्बन्ध में मूल धन की दोगुनी राशि में से वह राशि घटा कर जो ऋण देने वाला प्राप्त कर चुका है . . . . .

(ख) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् मूलधन को दोगुनी राशि में से वह राशि घटा कर जो ऋण देने वाला वसूल कर चुका है ।"

खाद्य उत्पादन

†३०९. **श्री राम कृष्ण :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वोडयार :
श्री जाधव :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में चावल तथा अनाज की अन्य फसलों की (राज्यवार) क्या स्थिति है;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष चावल की अधिकतम उपज की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो हमारे खाद्य के आयात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) चावल पैदा करने वाले लगभग सभी राज्यों में इस वर्ष चावल की फसल अच्छी हुई है। खरीफ की फसलों की राज्यवार उपज के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस वर्ष चावल की पैदावार बढ़ाने का देश में खाद्य के संभरण पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा परन्तु आगामी खरीफ फसल पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि रबी फसल भी अच्छी रही तो शायद उतना अधिक अनाज आयात न करना पड़े जितना कि अन्यथा करना पड़ता ।

केरल में सार्वजनिक टेलीफोन

†३१०. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय योजना काल में अब तक केरल राज्य में किस-किस स्थान पर और कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये हैं; और

(ख) योजना की शेष अवधि में और कितने लगाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९३]**

†मूल अंग्रेजी में

डाक व तार घर

†३११. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना काल में चन्ननूर जिला में किन-किन स्थानों पर और कितने नये डाक घर, तार घर खोले गये और सार्वजनिक टेलीफोन लगाय गये हैं;

(ख) क्या योजना की शेष अवधि में कोई और ऐसे कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस जिला में वर्तमान सुविधाओं में यदि कोई सुधार करने का प्रस्ताव है तो वे क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या ९४]**

(ग) ३० नये डाक घर, ६९ नये लेटर बक्स, ८ शाखा कार्यालयों का ग्रेड ऊंचा करना। २ डाक मोटर सेवायें बढ़ाना, कन्ननूर के वर्तमान एक्सचेंज में १०० नई लाइनें लगा कर उसका विस्तार करना और कन्ननूर में एक दूर संचार इमारत का निर्माण करना।

नदी बेसिनों के लिये बाढ़ नियन्त्रण की वृहत् योजनायें

†३१२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलग-अलग नदियों की बेसिनों के लिये बाढ़ नियंत्रण की बहुत योजनाओं के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) उत्तर नाकारात्मक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी हिसाब में वहन किया गया माल

†३१३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितने प्रतिशत सरकारी माल का परिवहन भारतीय जहाजों में किया गया; और

(ख) उसी अवधि में जो कुल सामान आयात अथवा निर्यात किया गया उसका कितने प्रतिशत का परिवहन भारतीय जहाजों में किया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली परिवहन उपक्रम (डी० टी० यू०) की बसें

†३१४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम (डी० टी० यू०) की बहुत सी बसें खराब रहती हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि विशेषकर अल्बियन टाइप की बसों की मरम्मत करने में असाधारण विलम्ब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन बसों के न चलने से कितनी हानि हो रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें पहले बहुत खराब रहती थीं परन्तु अब उनकी संख्या कम हो गई है । १-२-१९५९ को वर्कशाप में मरम्मत होने वाली ७५ बसें थीं । बसों की मरम्मत, विशेषकर अल्बियन टाइप की बसों की मरम्मत में इस लिये विलम्ब हो रहा था कि पुर्जे उपलब्ध नहीं थे । अब पुर्जे मिलने लगे हैं और मरम्मत होने वाली बसों की संख्या और भी कम होने की संभावना है । इस कारण आय की हानि हुई है परन्तु उसका ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है ।

रामगुंडम निजामाबाद रेल सम्पर्क

†३१५. **श्री त० ब० वट्टुल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री १४ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगुंडम और निजामाबाद में रेल सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है;

(ख) क्या इस बात को देखते हुए कि जनवरी, १९५९ में रामगुंडम में कोयला खानें खोली गई हैं जिन से प्रति वर्ष १० लाख टन कोयले का उत्पादन होगा, सरकार ने अपने पहले के इस निर्णय पर पुनः विचार किया है कि द्वितीय योजना में यह सम्पर्क स्थापित नहीं किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) परिवहन सर्वेक्षण प्रतिवेदन के परीक्षण से पता चला कि इस परियोजना से कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा ।

(ख) क्योंकि कोई ऐसी निश्चित तिथि नहीं बताई गई है जब तक कि रेल परिवहन बढ़ने की सम्भावना हो इस लिये पुनर्विचार का कोई अवसर ही पैदा नहीं हुआ ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ढले लोहे के स्लीपर

†३१६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में ढले लोहे के स्लीपरों का संभरण करने के लिये कोई टेंडर मांगे गये थे;

(ख) यदि हां, तो टेंडर का क्या भाव स्वीकृत किया गया और उस से पहले किस भाव पर सप्लाई प्राप्त की गई थी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि मैसर्ज हनुमान फाऊंडरीज लिमिटेड, लिलूहा कलकत्ता को भी स्लीपर सप्लाई करने के लिये कहा गया है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हों ने खराब स्लीपर सप्लाई किये थे; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कितने मूल्य के स्लीपर सप्लाई करने के लिये कहा गया है ?

†**रेलव उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। अक्तूबर, १९५८ में एक टेंडर वर्ष १९५९ में ढले लोहे के स्लीपर सप्लाई करने के लिये जारी किया गया था।

(ख) टेंडर के निम्नलिखित भाव स्वीकृत किये गये :—

बड़ी लाइन के स्लीपर—३५५ रुपये प्रति टन भेजने के स्टेशन तक।

मीटर लाइन के स्लीपर—३८० रुपये प्रति टन भेजन के स्टेशन तक।

पहले किसी और आधार पर आदेश दिये गये थे इस लिये दोनों में तुलना नहीं की जा सकती।

(ग) जी नहीं, उन के बारे में विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ की लम्बाई

†३१७. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री वाजपेयी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अब तक उत्तर प्रदेश में कितने मील लम्बी राष्ट्रीय राजपथ की सड़कें बनाई गई हैं;

(ख) कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजपथ के द्वारा नेपाल को मिलाने की योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) उत्तर प्रदेश में अब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई नया राष्ट्रीय राजपथ नहीं बनाया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश में तामकुही से सलीमगढ़ तक पुराने राष्ट्रीय राजपथ संख्या २८ (कुल लम्बाई ८ मील) बनाने की नई योजना है। यह सड़क कसिया तथा बिहार सीमा को मिलाती है। योजना में इसके लिये ३.६० लाख रुपये की राशि रखी गई है।

(ग) राष्ट्रीय राजपथ संख्या २८क सगौती तथा रक्सौल से गुजरती हुई बिहार से नेपाल सीमा तक जाती है। उत्तर प्रदेश को नेपाल से मिलाने वाले किसी राष्ट्रीय राजपथ की कोई योजना नहीं है।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ें

३१८. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिये मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में गंगा के किनारों पर बांध निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई अनुदान मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : (क) उत्तर नहीं में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्वालियर स्टेशन के रेलवे यार्ड का नवनिर्माण

३१९. **श्री वाजपेयी** :
श्री पांगरकर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर स्टेशन के यार्ड के नवनिर्माण की सम्पूर्ण योजना पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब का क्या कारण है; और

(ग) निर्माण कार्य पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) बड़ी और छोटी लाइनों के यार्डों के रिमाडलिंग के लिये माल गोदाम और उसके प्लेट-फार्मों को गिराने और दूसरी जगह बनाने की जरूरत होती है। इसके अलावा रेल-पथ में भी बहुत हेर-फेर करना पड़ता है। अभी तक सिर्फ १० प्रतिशत काम पूरा हुआ है। कुल काम पूरा होने में २ साल का समय लग सकता है क्योंकि इस काम को कई हिस्सों में करने की जरूरत है ताकि यार्ड के संचालन में बाधा न पड़े ।

(ग) २,२१,००० रुपये। पूरे काम पर लगभग २१,१२,१०० रुपये खर्च का अनुमान है ।

सर्वदलीय खाद्य समिति

†३२०. **श्री वाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने सर्वदलीय खाद्य समिति स्थापित करने के लिये असमर्थता जाहिर की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). सर्वदलीय समिति बनाने के लिये राज्य सरकारों से कहा तो गया था,परन्तु इस बारे में अन्तिम निर्णय उनको ही करना है। आसाम, बम्बई, केरल, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में एसी समितियां बना ली गई हैं जबकि अन्य राज्यों ने ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा ।

अमृतकौरपुरी की गन्दी बस्ती के निवासियों का पुनः बसाया जाना

३२१. **श्री वाजपेयी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमृतकौरपुरी की गन्दी बस्ती के निवासियों को फिर से बसाने की योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : और अधिक मकान बनाना सम्भव नहीं हो सका क्योंकि इस जमीन पर लोग अनधिकृत रूप से बसे हुए हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऐसे व्यक्तियों को हटाने के सारे प्रयास असफल रहे। दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार है कि वह इन लोगों को पहले अस्थायी रूप से किसी दूसरे स्थान पर हटा देगा और तब निर्माण कार्य शुरु करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

३२२. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री केशव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने की प्रस्थापना के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : दिल्ली छावनी में काम करने वाले प्रतिरक्षा विभाग के सभी श्रेणियों के असैनिक कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने की प्रस्तावना प्रतिरक्षा मंत्रालय के परामर्श में अभी तक विचाराधीन है ।

कृषि भूमि

†३२४. **श्री राम गरीब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कितनी ही कृषि भूमि इस प्रकार की है जिन में सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण वर्ष में एक ही फसल होती है;

(ख) कुल कितने क्षेत्र में ऐसी खेती होती है; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों में कूंए खोद कर सिंचाई कराने के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें क्या कार्य कर रही हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जो बात पूछी गई है उसका पता नहीं है। परन्तु भूमि उपयोगिता सांख्यकी १९५५-५६ (अन्तर्कालीन) के अनुसार प्राक्कलित क्षेत्र जिसमें एक फसल होती है, २७८.८ लाख एकड़ है।

(ग) प्रथम योजना में ९५ लाख एकड़ भूमि में विभिन्न छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई किये जाने का प्राक्कलन किया गया था। द्वितीय योजना में लक्ष्य बनाया है कि नलकूप, कूएं आदि की समस्त छोटी सिंचाई योजनाओं को ७६ करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत से ९० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जाये।

सांप के काटने के मामले

†३२५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में भारत में सांप के काटने से कितने व्यक्ति मरे ;

(ख) अस्पतालों में कितने व्यक्ति भरती किये गये तथा उन में से कितने ठीक हो गये तथा कितने मर गये; और

(ग) क्या भारतीय विशेषज्ञों अथवा औषध गवेषणा संस्था ने सांप के काटे की कोई अचूक औषधि बनाई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त नहीं है। परन्तु ऐसा अनुमान है कि भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग २ लाख व्यक्तियों को सांप काटते हैं और लगभग ८ प्रतिशत मर जाते हैं। लगभग १५,००० से २०,००० व्यक्ति प्रत्येक वर्ष मर जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में सर्प विष का प्रभाव दूर करने की औषधि भारत में बनाई जा रही है ।

देवरिया छावनी स्टेशन पर दुघटना

३२६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ जनवरी, १९५९ को प्रात: ४ बज कर ३२ मिनट पर ६ अप इलाहाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन देवरिया छावनी स्टेशन पर भट जाने वाली एक मालगाड़ी से टकरा गई;

(ख) क्या यह सच है कि एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन ने मालगाड़ी के इंजन को कई मील तक पीछे ढकेल दिया; और

(ग) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है ?

रेलव उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ग). ४–१–५९ को सुबह लगभग ४ बज कर ३२ मिनट पर जब नं० ६ अप इलाहाबाद सिटी-गोरखपुर एक्सप्रेस देवरिया सदर स्टेशन में दाखिल हो रही थी तो वह गलती से लाइन नं० ४ पर चली गयी और एक माल गाड़ी के इंजन से टकरा गयी जो उस लाइन पर पहले से खड़ा था । इसकी वजह से मालगाड़ी के इंजन को कुछ नुक्सान पहुंचा ।

किसी को चोट नहीं आयी ।

एक घंटा और पन्द्रह मिनट रुकी रहने के बाद एक्सप्रेस गाड़ी स्टेशन से रवाना हुई ।

(ख) जी नहीं । धक्का लगने से मालगाड़ी का इंजन सिर्फ ५२ फुट के करीब आगे सरक गया था ।

रीडगंज-मुगलसराय मालगाड़ी की दुर्घटना

३२७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ दिसम्बर, १९५८ की रात्रि को उत्तर रेलवे के रीडगंज (फैजाबाद)-मुगलसराय मालगाड़ी के तीन डिब्बे उलट गये जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियों का आना-जाना साढ़े पांच घंटे तक रुका रहा; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ३१–१२–५८ को रात में लगभग ९ बज कर १५ मिनट पर मोगलसराय जाने वाली एक मालगाड़ी रीडगंज स्टेशन पर मुख्य लाइन से लूप लाइन पर लायी जा रही थी ताकि ७४ डाउन पंजाब मेल पहले भेजी जा सके । उस समय स्टेशन यार्ड में मालगाड़ी के दो डिब्बे उलट गये और एक डिब्बा पटरी से उतर गया, जिसकी वजह से ४ घंटे तक गाड़ियों का आना-जाना रुका रहा ।

(ख) इस बात का अन्तिम रूप से फैसला किया जा रहा है कि दुर्घटना क्यों हुई ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के प्रोफेसरों के वेतनक्रम

†३२८. **श्री वें० प० नायर :**
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में स्नातकोत्तर गवेषणा के भिन्न भिन्न विभागों के प्रोफेसरों के वेतन भिन्न भिन्न हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के भिन्न भिन्न विभागों के प्रोफेसरों के पदों के लिये समान वेतनक्रम, अर्थात् १३००–६०–१६००–१००–१८०० तथा ४०० रुपये मासिक प्राइवेट प्रैक्टिस न करने का प्रतिकर भत्ता है। १ अगस्त, १९५७ को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त किये गये गैर-चिकित्सकीय व्यक्तियों को प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जाता है। संस्था में स्नातकोत्तर गवेषणा के लिये कोई अलग पद नहीं है।

खरीफ फसल

†३२९. **श्री सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी राज्यों में खरीफ की फसल अच्छी होने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करने पर इसका क्या असर पड़ा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) वर्ष का आयात कार्यक्रम अभी बनाया जायेगा। रबी की फसल के कट जाने तक गेहूं की आवश्यकताओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। चावल के आयात का बर्मा से दीर्घकालीन समझौता है।

दिल्ली के ग्रामों में बिजली लगाना

३३०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के ग्रामों में बिजली लगाने की योजना के अन्तर्गत अभी तक कुछ भी व्यय नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : (क) नहीं। वास्तव में नीचे दिये गये १० गांवों मे बिजली लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इस काम पर चालू वित्त वर्ष में अनुमानित लागत २,५०,००० रुपये है और जनवरी १९५९ तक लगभग २५,००० रुपये खर्च हो चुके थे।

(१) बदली
(२) समासपुर
(३) अलीपुर
(४) खामपुर

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) चौखन्डी (८) बेगमपुर

(६) चिराग दिल्ली (९) कालू सराय

(७) अधिचीनी (१०) छत्तरपुर

(ख) गांवों में बिजली लगाने का काम कुछ देर से शुरू किया गया क्योंकि विस्तृत योजना तैयार करने, जिसके अन्तर्गत गांवों का भार सर्वेक्षण (लोड सर्वे) भी होना था, और खर्चे के एस्टिमेट बनाने में समय लग गया ।

छोटी सिंचाई योजनायें

†३३१. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटी सिंचाई परियोजनाओं तथा कार्य क्रमों के लिए पंजाब, राजस्थान, तथा मध्य प्रदेश राज्यों में वर्तमान वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय आवश्यकतायें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** पंजाब, राजस्थान, तथा मध्य प्रदेश को 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं समेत छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए वर्तमान वर्ष में दिए जाने वाली स्वीकृत धन राशि नीचे दी जाती है :—

	(लाखों में रुपये)
१. पंजाब . . .	१७७.७०
२. राजस्थान	१२९.५८
३. मध्य प्रदेश . . .	२६८.४९

रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृह

†३३२. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के हाबड़ा, सियालदह, आसनसोल तथा बर्दवान स्टेशनों पर कितने विश्राम गृह हैं ;

(ख) १९५८ में प्रत्येक महीने में कितने दिनों तक रेलवे पदाधिकारी स्टेशनवार इन विश्राम गृहों में रहे ; और

(ग) क्या यह सच है कि क्योंकि इन में रेलवे पदाधिकारी रहें इसलिए जनता को यह गृह नहीं मिले ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) संभवतया माननीय सदस्य जनता के लिए निश्चित रिटायरिंग रूम के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं । यदि ऐसा है तो रिटायरिंग रूम इस प्रकार हैं :—

हावड़ा	७ कमरे (१८ पलंग)
सियालदह .	३ कमरे (६ पलंग)
आसनसोल	३ कमरे (६ पलंग)
बर्दवान	३ कमरे (८ पलंग)

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हावड़ा	दिसम्बर	३ कमरे रोज़ ८ दिन
सियालदह	जुलाई	१ कमरा ४ दिन
आसनसोल	जनवरी	१ कमरा १ दिन
	मई	१ कमरा ४ दिन
	जून	१ कमरा २ दिन
	जुलाई	१ कमरा १ दिन
	सितम्बर	१ कमरा २ दिन
बर्दवान		कोई नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

राजस्थान में बीज फार्म

†३३३. **श्री मुरारका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राजस्थान में कुल कितने बीज फार्म खोले ;

(ख) किन केन्द्रों में उनको खोला गया ; और

(ग) इन फार्मों पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) ३१ बीज फार्म जो प्रत्येक १०० एकड़ का है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९५]**

(ग) १४,८०,०९० रुपये ।

डिब्बों में बन्द फल

†३३४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में भारत में कितने डिब्बों में बन्द फलों का उत्पादन किया गया तथा कितने डिब्बों का निर्यात किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** १९५८–५९ में फल उत्पादनों के उत्पादन आंकड़े प्राप्य नहीं हैं। १९५८ में २५२३ टन फल उत्पादनों समेत १२७ टन डिब्बों में बन्द फलों का निर्यात किया गया था ।

त्रिपुरा में कृषि ऋण

†३३५. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में कृषि ऋण लेने वाले व्यक्तियों को जिस प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है वह बड़ी उत्पीड़क है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसको सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पठानकोट तथा गुरदासपुर नगरों में पीने के पानी का संभरण

†३३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने पठानकोट तथा गुरदासपुर नगर में पीने के पानी का संभरण करने की कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्योरे क्या हैं तथा योजना किस प्रकार की है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना स्वीकार करली है ;

(घ) यदि हां , तो प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की हुई है ; और

(ङ) द्वितीय योजना की शेष अवधि के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में रसायनिक उर्वरकों का वितरण

†३३७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में पंजाब में रसायनिक उर्वरकों के वितरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५८-५९ में इस कार्य के लिए २५००० रुपये की केन्द्रीय सहायता देना स्वीकार किया है । १९५८ के दिसम्बर के अन्त तक किए गए व्यय तथा जनवरी से मार्च १९५९ तक किए जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक स्वीकृति दी जायेगी ।

जांच इकाइयां

†३३८. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री कुम्भार :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २९ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित तथा भविष्य की परियोजनाओं की सिंचाई और विद्युत् योजनाओं की जांच शीघ्र पूरा करने के लिये क्या राज्यों ने अध्ययन दल नियुक्त कर दिए हैं ; और

(ख) इन जांच इकाइयों ने कितनी प्रगति की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : (क) और (ख) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९६**]

लखनऊ-कानपुर सेक्शन का विद्युतीकरण

†३३९. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के लखनऊ-कानपुर विभाग के विद्युतीकरण के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम हुए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) . जी नहीं । विद्युतीकरण के लिए अधिक धन चाहिए क्योंकि ईंजन तथा डिब्बे और अन्य उपकरणों के लिए विदेश में धन व्यय किया जायेगा । विद्युतीकरण करना उन्हीं विभागों पर उचित है जहां पर इतना अधिक यातायात है कि भाप इंजनों द्वारा उनकी आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती है । लखनऊ-कानपुर विभाग पर अभी वैसी स्थिति नहीं आई है ।

उत्तर-प्रदेश में तपेदिक का सर्वेक्षण

†३४०. **श्री वाजपेयी :**
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को राष्ट्रीय प्रारंभिक तपेदिक सर्वेक्षण में शामिल कर लिया गया था ; और

(ख) क्या उत्तर-प्रदेश में तपेदिक के रोगियों का निर्धारण अन्य किसी तरीके से किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख) . नमूने के तौर पर १९५५–५८ में राष्ट्रीय प्रारंभिक सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित गांवों का सर्वेक्षण किया गया था :—

१.	अड़ींग	मथुरा जिला
२.	गन्ठोली	
३.	पहाड़ीपुर	अलीगढ़ जिला
४.	बरौला जफराबाद	
५.	रामगढ़ पंजूपुर	
६.	दुसोनी	
७.	बद्रुद्दीन नगर नानू	मेरठ जिला
८.	बदाबपुर थीरा	
९.	ककरा	— मुज़फ्फर नगर जिला
१०.	इस्माइलपुर माजरा	— सहारनपुर जिला

जहां तक केन्द्रीय सरकार को जानकारी है, उत्तर प्रदेश में तपेदिक के रोग का पता लगाने का पहले कभी प्रयत्न नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बंगलौर में तपेदिक नियंत्रण संस्था

†३४१. **श्री वाजपेयी :**
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में तपेदिक के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या कोई विदेशी सहायता ली जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां । यह निर्णय किया गया है कि डब्ल्यू० एच० ओ० और यूनीसैफ की सहायता से बंगलौर में राष्ट्रीय तपेदिक संस्था स्थापित की जाये ।

(ख) राष्ट्रीय तपेदिक संस्था दो उद्देश्यों, अर्थात्, गवेषणा और प्रशिक्षण, का आधार लेकर स्थापित की जायेगी । इस में एक समन्वय ईकाई होगी जो सांख्यकी तथा रोगाणु इकाइयों की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनायेगी और उसे संचालित करेगी । प्रशिक्षण में नगरीय कार्यक्रम होगा तथा देहाती कार्यक्रम होगा । नगरीय कार्यक्रम तीन नमूना तपेदिक केन्द्रों, जिन को राज्य सरकार स्थापित करेगी, में होगा तथा देहाती कार्यक्रम ऐसे ही चुने गए ५० से १०० गांवों तथा सामुदायिक विकास खण्डों में होगा ।

पहले साल में लगभग १० डाक्टरों, १० स्वास्थ्य वीक्षिकाओं[1], १० एक्सरे प्रवधिज्ञों, तथा १० लेबोरेटरी प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । दूसरे साल में प्रत्येक वर्ग के परीक्षार्थियों की संख्या दुगुनी कर दी जायेगी तथा तीसरे में १०० कर दी जायेगी । प्रशिक्षण की अवधि डाक्टरों तथा स्वास्थ्य वीक्षिकाओं के लिए ९ माह, लैबोरेटरी प्रविधिज्ञों के लिये ६ से ९ माह तथा एक्सरे प्रविधिज्ञों के लिए ९ माह होगी ।

(ग) और (घ) डब्ल्यू० एच० ओ० दो वर्ष के लिये सात विशेषज्ञों तथा यूनीसैफ २८२,००० स्टर्लिग के यन्त्र देगा ।

मनीपुर में चिकित्सा की होम्योपैथी पद्धति का बोर्ड

†३४२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में चिकित्सा की होम्योपैथी पद्धति का कोई बोर्ड है; और

(ख) क्या विधि के अधीन होम्योपैथी पद्धति के अनुसार चिकित्सा करने वाले व्यक्तियों को पंजीबद्ध कराने की अपेक्षा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क), जी नहीं ।

(ख) होम्योपैथ चिकित्सकों के पंजीयन के बारे में इस समय कोई विधि लागू नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Health Visitors

पंजाब में सिंचाई की भूमि

†३४३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में चालू वित्तीय वर्ष में सींची गई भूमि के एकड़ों की जानकारी एकत्र की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की जानकारी इकट्ठी की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम) :** (क) जी हां।

(ख) भाखड़ा नहरों से १९५८–५९ में लगभग १४,९२,२१२ एकड़ भूमि की सिंचाई करने की आशा है ।

भाखड़ा बांध

†३४४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए तथा उसको पूरा करने के लिए और ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम) :** (क) भाखड़ा नंगल परियोजना का निर्माण व्यय पूरा करने के लिए पंजाब सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय आय-व्ययक में से ९.२५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस राशि का बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार का कोई अनुरोध नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

नई दिल्ली में लावारिश पशु

†३४५. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका समिति को लावारिश पशुओं की समस्या की बहुत चिंता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो कुछ कार्यवाही की गई है वह अपर्याप्त सिद्ध हुई ; और

(ग) यदि हां तो समस्या को हल करने के लिये और क्या उपाय किए गए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां ।

(ख) नई-दिल्ली नगरपालिका समिति ने बताया है कि ३० चौकीदारों के दल के द्वारा घूमते हुए पशुओं को काजी हौज़ में पकड़ कर ले जाने से गड़बड़ी एक सीमा तक कम हो गई है परन्तु समस्या तो अभी वैसी ही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका निम्नलिखित सुझावों पर विचार कर रही है :—

(एक) पिलानजी गांव जो विनय नगर के बीच में अवस्थित है, में से अनधिकृत दुग्ध-शालायें हटाना ।

(दो) पशुओं को पकड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना ।

(तीन) विनय नगर तथा रोबर्ट रोड के काज़ी हौज़ों को स्थायी बनाना तथा लोदी कालोनी में नया काज़ी हौज़ बनाना ।

(चार) बार बार अपराध करने को दण्ड देने के लिए उपयुक्त विधान बनाना ।

रेलवे वर्दी समिति

†३४६. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री १५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्दी समिति के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि सरकार द्वारा इस दिशा में कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :**

(क) से (ग). रेलवे वर्दी समिति का प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है और उस पर कोई निर्णय शीघ्र ही किया जायेगा ।

कटक में सिटी बुकिंग आफिस

†३४७. **श्री पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कटक नगर में जन सुविधा के लिए सिटी बुकिंग आफ़िस खोल दिया गया है ;

(ख) क्या उसने कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) से (ग) .कटक में सिटी बुकिंग आफिस अब काम नहीं कर रहा है, परन्तु सिटी बुकिंग आफिस खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

मनीपुर में पुलों का निर्माण

†३४८. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में कितने पुलों का निर्माण किया गया ;

(ख) उन पुलों के नाम जिनका का निर्माण आरम्भ किया गया है और जिनका निर्माण पूर्ण कर लिया गया है ; और

† मूल अंग्रेजी में

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने प्रमुख पुलों का निर्माण किया जाना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). भारत सरकार के अनुसार बड़े पुल का प्रमाप यह है कि उसकी लम्बाई ३०० फीट है और उसके निर्माण पर ५ लाख रुपये अथवा इससे अधिक राशि खर्च हो। मनीपुर में ऐसे किसी बड़े पुल के निर्माण का कार्य हाथ में नहीं लिया गया, परन्तु चालू योजना में नई कचार रोड पर मनीपुर में ऐसे चार पुलों का निर्माण किया जाना है । प्रशासन द्वारा इन पुलों के प्राक्कलनों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

छोटे पुलों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(१) पूर्ण कर लिये गये पुल

(एक) ५ मील पर पुखाव रोड का खोंग्बा पुल

(दो) ५ मील पर इम्फाल—यारीपोक रोड का इरिलबंग पुल

(२) बन रहे पुल

(एक) इम्फाल में कैसम्परा का पुल

(दो) म्यांग—इम्फाल में मायोंग इम्फाल पुल, और

(तीन) जल विद्युत केन्द्र के पास लेमाखोंग पुल

(३) चालू वर्ष में जिन १८ अन्य पुलों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाना है उसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है और आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं ।

मद्रास से पश्चिमी तट तक जाने वाली अर्ध साप्ताहिक जनता एक्सप्रैस

†३४९. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत वाणिज्य मंडल और रेलवे उपभोक्ता परामर्श समिति ने रेलवे प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया है कि मद्रास से पश्चिमी तट की ओर एक अर्ध साप्ताहिक जनता एक्सप्रैस के चलाये जाने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या करना चाहती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां, यह मद्रास और मंगलौर तथा मद्रास और कोचीन हार्बरटर्मिनस के बीच अर्धसाप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में था ।

(ख) मद्रास -मंगलौर अथवा मद्रास—कोचीन हार्बर टर्मिनस सेक्शन पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाना सम्भव नहीं है। इसका कारण यह है कि अरकोणम – इरोड सेक्शन पर लाइन क्षमता उपलब्ध नहीं है और साथ ही गाड़ियों और इंजिनों की भी कमी है । फिर भी, मद्रास और कालीकट अथवा शोरानूर के बीच वर्तमान गाड़ियों को मिलाती हुई एक सीधी यात्री गाड़ी इस सेक्शन

† मूल अंग्रेज़ी में

पर चलाने के प्रश्न का परीक्षण किया जा रहा है और यदि सम्भव हुआ तो इसे १-४-५९ से कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।

रेलवे की विभागीय भोजन व्यवस्था

†३५०. **श्री वें० प० नायर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ के अन्त में रेलवे की विभागीय भोजन व्यवस्था का वित्तीय परिणाम क्या रहा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** रेलवे की विभागीय भोजन व्यवस्था का हिसाब वित्तीय वर्षों के लिये रखा जाता है । १९५८–५९ के वित्तीय वर्ष (अर्थात् १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक) का पुनरीक्षित प्राक्कलन निम्न प्रकार है :—

	(हजार रुपयों में)
आय . . .	२,०६,०४
व्यय	२,२४,२०
शुद्ध हानि	१८,१६

मैसूर द्वारा चावल की वसूली

†३५१. **श्री वोडयार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मैसूर सरकार को चावल की वसूली के सम्बन्ध में कुछ आदेश दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां तो यह विस्तार से क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). मैसूर सरकार राज्य में चावल और धान की खरीद का प्रबन्ध कर रही है । बढ़िया सामान्य कोटि के चावल व धान के अधिक से अधिक नियंत्रित दाम निम्न प्रकार से निर्धारित किये गये हैं :—

किस्म	धान	चावल
१ **बढ़िया**		
कोयम्बटूर सन्ना	११.११	१७.५०
बागेर सन्ना	१२.००	१८.८४
नागपुरी सन्ना	१२.००	१८.८४
रत्नचूड़ी किस्म के अतिरिक्त अन्य किस्में .	१०.७७	१७.००
२ **मोटा**		
मालनादा गादा	९.२८	१५.००
डब्बनसाला	९.६१	१५.५०
अन्य मोटी सफेद	९.६१	१५.५०

† मूल अंग्रेजी में

उपरोक्त मूल्य बंगलौर नगर निगम क्षेत्र की सीमा और कोलार गोल्ड फील्ड सैनीटरी बोर्ड की सीमा में लागू नहीं होंगे ।

परादीप पत्तन

†३५२. **श्री महन्ती :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के निमन्त्रण पर गत नवम्बर में विश्व बैंक का पत्तनों सम्बन्धी जो शिष्ट-मंडल भारत आया था, वह यह देखने उड़ीसा भी गया था कि पूर्वी तट पर परादीप को पत्तन के रूप में विकसित करने की कोई सम्भावनायें ह;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस दिशा में कोई प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सभा–पटल पर रखी जायेगी?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) श्री पोस्थ्यूमा ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पागलों की चिकित्सा

३५३. **श्री पद्म देव:**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रतिवर्ष पागलों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी देखभाल व चिकित्सा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अभी तक अखिल भारतीय आधार पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है; अत: यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि पागलों की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है अथवा नहीं ।

(ख) जी हां । भारत के सभी मानसिक रोगियों की देखभाल व चिकित्सा के लिए इस समय व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यह विषय मुख्यत: राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है उसके प्रशासकीय नियन्त्रण में एक ही मानसिक चिकित्सालय है और वह है 'मानसिक रोग चिकित्सालय, रांची' । इस अस्पताल की व्यवस्था को, जो पहले एक प्रन्यासी बोर्ड द्वारा की जाती थी, अब १ जून, १९५४ से भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया

† मूल अंग्रेजी में

है। इस अस्पताल को ठोस आधार पर पुनर्गठित करने तथा मानसिक विकारों की चिकित्सा का एक आदर्श केन्द्र बनाने के अभिप्राय से ही ऐसा किया गया है। इस अस्पताल में बिस्तरों की संख्या ४२० है। ८.२५ लाख रुपये की कीमत पर इस अस्पताल की एक योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दी गई है।

२. शाहदरा में एक मानसिक चिकित्सालय के निर्माण की एक योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दी गई है।

३. मानसिक स्वास्थ्य में अधिस्नातक अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए भी भारत सरकार ने बंगलौर में एक अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान संस्था स्थापित की है। २६ लाख रुपये की कीमत पर इस संस्था के विस्तार की एक योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दी गई है और वह क्रियान्वित हो रही है।

४. २० लाख रुपये की कीमत पर शिशु पथ-प्रदर्शन क्लीनिकों तथा मानसिक रोग चिकित्सा विभागों को शैक्षणिक अस्पतालों में स्थापित करने की एक योजना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है। इस योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार इन क्लीनिकों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को अनावर्ती खर्च का ७५ प्रतिशत तथा आवर्ती खर्च का ५० प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देगी। जिन राज्य सरकारों की सीमा में इन क्लीनिकों को स्थापित किया जाना है, उनके सहयोग तथा सहायता से सामूहिक चिकित्सा के तरीके द्वारा आचरण-व्यक्तित्व, बच्चों की बुरी आदतों तथा मनोदैहिक उत्पातों, बाल-मनस्ताप और मनोविक्षिप्ति का इलाज करना ही इन क्लीनिकों का उद्देश्य है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक सात ऐककों की स्थापना स्वीकृति दी जा चुकी है। विभिन्न राज्य सरकारों को अब तक १.७४ लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

हिमाचल प्रदेश में भावर घास

३५४. **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में भावर घास की खेती के प्रसार में क्या प्रगात हुई है;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह घास पोण्टा (जिला सरमौर) के अतिरिक्त महासू और मण्डी में भी बहुतायत से पाई जाती है; और

(ग) १९५८-५९ में अब तक भावर घास से कितनी आय हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (ग) . आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा को टेबिल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय राज पथ संख्या ९ का पुल

†३५५. **श्री सोनावने :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३००७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या ९ के पूना-शोलापुर सेक्शन पर बल्ला गांव के पास नाले पर पुल के निर्माण सम्बन्धी संशोधित योजनायें तथा प्राक्कलन राज्य सरकार से प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) परियोजना के लिए संशोधित योजनायें और प्राक्कलन अक्तूबर १९५८ में बम्बई के लोक निर्माण विभाग से प्राप्त हुये थे। परन्तु छानबीन करने पर उनमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता समझी गयी थी। उन्हें पुनः ११ दिसम्बर, १९५८ को कुछ सुझावों के साथ राज्य लोक निर्माण विभाग के पास भेज दिया गया था। नयी योजनायें और प्राक्कलनों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) आशा है कि १९५९–६० में कार्य आरम्भ हो जायेगा।

भद्रावती रेलवे स्टेशन

†३५६. **श्री मोहम्मद इमाम :** क्या **रेलवे** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे पर स्थित भद्रावती रेलवे स्टेशन को नये ढंग से बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** सामान के सम्भरण में देर हो जाने से अब यह कार्य फरवरी १९५९ में पूर्ण न होकर मई १९५९ में पूर्ण होगा।

कांगड़ा घाटी रेलवे

†३५७. **श्री हेमराज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा घाटी रेलवे पर आने जाने वाली गाड़ियों को पूरा करने के लिए कितनी यात्री गाड़ियों की स्वीकृति दी गयी है;

(ख) क्या यह भी ठीक है कि इन यात्री गाड़ियों के साथ माल गाड़िया भी लगाई जाती हैं ;

(ग) क्या यह सत्य है कि इससे कांगड़ा घाटी यात्री गाड़ियों में भीड़–भाड़ बढ़ जाती है; और

(घ) यात्री गाड़ियों में यात्रियों के सारे डिब्बे न लगाये जाने का क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) सामान्यतः जो यात्री गाड़ियां पठानकोट-बैजनाथ पपरोला की ओर जाती हैं उनमें ८ डिब्बे होते हैं। जो बैजनाथ-पपरोला से योगेन्द्र नगर जाती है उनमें ५।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) जब सामान अधिक हो जाता है और सामान्य माल गाड़ियां उन्हें पूर्ण रूप से नहीं ले जा पातीं तो इन गाड़ियों द्वारा भी माल ले जाया जाता है। पठानकोट से योगेन्द्र नगर तक जाने वाली यात्री गाड़ियां मिली जुली होती हैं।

(ग) नहीं, यात्रियों के मुकाबले में माल को प्राथमिकता नहीं दी जाती।

(घ) इस विभाग पर सामान्य अवस्था में गाड़ियां चलती रहती हैं।

रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†३५८. **श्री कालिका सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिए आज तक कितना व्यय किया गया है ;

(ख) इन क्वार्टरों की संख्या क्या है और ये किन स्थानों पर स्थित हैं और बने हुये अथवा बन रहे क्वार्टरों की अलग अलग लागत क्या है ;

(ग) इसी काल में, इस उद्देश्य के लिए अर्जित भूमि का कुल कितना दाम था;

(घ) क्या कर्मचारियों के लिए बनाये जाने वाले क्वार्टरों के लिए विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता पड़ी थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) अनुमानतः लगभग ३१.३२ करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(ख) योजना के प्रथम दो वर्षों में २५००० क्वार्टर बनाये गये और ११००० क्वार्टर १९५८–५९ के अन्त तक पूरे हो जायेंगे। बन गये और बनाये जा रहे क्वार्टरों और उनके स्थान तथा अलग अलग से व्यय का ब्यौरा इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी इस प्रकार विस्तार से उपलब्ध नहीं है और इसका पता करना पड़ेगा। इसमें समय और परिश्रम लगेगा। क्वार्टरों के स्थानों का रेलवे वार ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) क्वार्टरों के निर्माण के लिए अर्जित की गयी भूमि के मूल्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की योजना के लिये रेलवे सामूहिक रूप में ही भूमि अर्जित करती है, जैसा कि कारखानों को बनाने, यार्डों को नया रूप देने अथवा नयी लाइनों का निर्माण करने के लिये भूमि ली जाती है। केवल क्वार्टर बनाने के लिए जो भूमि उपयोग में लाई गयी उसकी वास्तविक कीमत निकालने के काम में काफी समय और परिश्रम लगेगा।

(घ) और (ङ) सामान्यत : इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु एक मामले में बिजली के तारों पर २०,००० रुपये खर्च हुआ था जो कि सामान्य रोशनी व्यवस्था योजना के अर्न्गतत मुख्य खम्भों को मिलाने के लिये आवश्यक थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

चंदौसी स्टेशन पर डिब्बों का पटरी से उतर जाना

†३५९. **श्री प्र० च० बोस :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ जनवरी १९५९ को पूर्व रेलवे के चंदौसी स्टेशन के पास कुछ डिब्बे पटरी से उतर गये थे, जिससे २४ घंटे तक सीधी जाने वाली गाड़ियों का आना जाना रुका रहा और रेलवे सम्पत्ति को भी हानि पहुंची; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें. वें. रामस्वामी) :** (क) पूर्व रेलवे पर कोई चंदौसी नाम का स्टेशन ही नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

धान उत्पादन

†३६१. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी को केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों के पास चावल का कुल कितना स्टाक था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०प्र० जैन):** स्टाक के सम्बन्ध में जानकारी बताना लोक हित में नहीं है ।

डाक-तार विभाग की इमारतें

†३६२. **श्री बै० च० मलिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के डाक-तार विभाग के निर्देशक के कार्यालय के लिये और भुवनेश्वर में कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिय अपेक्षित भूमि अर्जित कर ली गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस देरी का कारण क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) १९५९-६० के आय-व्ययक में जो अभी आने वाला है भूमि अर्जन करने की व्यवस्था है ।

धान के बीजों का सम्भरण

†३६३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५७-५८ और १९५८-५९ में जिलेवार धान के बीजों के सम्भरण की कुल मात्रा क्या है ;

(ख) उनसे कितनी कीमत वसूल की गयी है ; और

(ग) क्या कुछ मात्रा में बीज कर्ज के तौर पर भी दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क)

	जिला	१९५७–५८	१९५८–५९
		(मनों में मात्रा)	
१.	बिलासपुर	६४	१९
२.	चम्बा	२८७	३३
३.	मण्डी	१८२	३९६
४.	महायु	०	३८
	कुल . . .	५३३	४८६

(ख) मण्डी के प्रत्येक तहसील के चालू दरों पर ही कीमत वसूल की गयी है और एक रुपया प्रति मन अतिरिक्त लिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

राष्ट्रीय राजपथ

†३६४. **श्री ओझा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद और कांडला तथा अहमदाबाद और पोरबन्दर के बीच राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण करने के कार्य के कब तक समाप्त होन की आशा है ; और

(ख) वर्तमान प्रगति क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) तीसरी योजना के अन्त तक ।

(ख) प्रगति निम्न प्रकार है :

(१) अहमदाबाद बामनबोर––कांडला रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ क)

	किया जाने वाला काम	हो चुका काम	काम प्रगति में
नया निर्माण	१३७ मील	६६ मील	१६ मील
मरम्मत .	९९ मील	४९ मील	२१ मील
पुल	८	—	—

(२) बामनबोर––पोरबन्दर रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ ख)

	किया जाने वाला काम	हो चुका काम	काम प्रगति में
नया निर्माण .	—	—	—
मरम्मत .	१२९ मील	१५ मील	६९ मील
पुल	३	—	१*

†मूल अंग्रेजी में

*मिसार पुल पर काम प्रगति पर है ।

कोजिकोड में हवाई अड्डा

†३६५. {**श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :}

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोज़िकोड की, जहां कि हवाई अड्डा बनाने की प्रस्थापना है, बस्ती के निवासी मछुओं से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या कहा गया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). पुडियनगाडी के मछुओं के संघ ने यह अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें उठाया न जाय और इस बस्ती की जमीन को अर्जित करने का सरकार अपना विचार त्याग दे और बनाये जाने वाले हवाई अड्डे के लिये कोई अन्य स्थान ढूंढ लिया जाय । मछुओं का भय निराधार है क्योंकि प्रस्थापित हवाई अड्डे के लिए जो स्थान चुना गया है वह मछुओं की बस्ती के पास नहीं है ।

बंडकपुर स्टेशन

†३६६. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कटनी-बीना सेक्शन पर बंडकपुर एक धार्मिक स्थान है, जहां कि लाखों यात्री आते हैं ;

(ख) क्या नीचे प्लेटफार्म और विश्रामगृह के छोटा होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाई होती है ; और

(ग) यदि हां, तो प्लेटफार्म को ऊंचा करने और वहां एक बड़ा विश्रामगृह बनाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) यात्रियों को कोई कठिनाई नहीं होती, रोशनी और सफाई का समुचित प्रबन्ध है और मेलों के दिनों में वहां दो अस्थायी विश्रामगृह भी बना दिये जाते हैं ।

(ग) जैसा कि उपभोक्ता सुविधा समिति ने स्वीकृत किया है वर्तमान विश्रामगृह को १९५९-६० के दौरान में बढ़ा दिया जायेगा ।

करनूल-हुबली रेल सम्पर्क

†३६७. {**श्री अगाड़ी :**
श्री सिद्धनंजप्पा :}

क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा नहर क्षेत्र के रास्ते से करनूल, रायचूर गडग अथवा हुबली से रेलवे लाइन बनाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गाजियाबाद में हड़ताल

†३६८. श्री वाजपेयी :
श्री साधन गुप्त :
श्री खुशवक्त राय :
श्री आसर :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ जनवरी, १९५९ को गाजियाबाद में उत्तर रेलवे के यातायात कर्मचारियों ने काम करना छोड दिया था;

(ख) यदि हां, तो यह हड़ताल किस परिस्थिति में हुई;

(ग) इससे कितनी हानि हुई; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क), (ख) और (घ). २९/३० जनवरी को एक शंटिंग जमादार पर आधी रात को हमला हुआ। ३०-१-५९ को कर्मचारियों ने अभ्यावेदन किया कि रात के समय में उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय। यदि ऐसा न किया गया तो वे रात को काम नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी मांग की कि रेलवे सुरक्षा बल के एक सब-इंस्पैक्टर को जिसका कि इस हमले में हाथ है तब्दील कर दिया जाय। और इस हमले की जांच की जाये।

यह निश्चय किया गया कि हमले की जांच तुरन्त तीन अधिकारियों द्वारा की जाये और यह बात सब को बता दी गयी। फिर भी ४४ कर्मचारियों ने ३१ जनवरी को ६ बजे शाम को हड़ताल कर दी और अगले दिन ६ बजे प्रातः काम पर आ गये। जांच प्रथम फरवरी को हुई। कर्मचारियों को बताया गया कि जांच के पश्चात् सब-इंस्पैक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इससे सन्तुष्ट न होकर कर्मचारियों ने १ फरवरी को छः बजे शाम पुनः हड़ताल कर दी। परन्तु यह हड़ताल उसी दिन बिना शर्त ११-३० पर वापिस ले ली गयी।

जांच समिति के प्रतिवेदन पर समुचित विचार किया जायेगा और समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(ग) लगभग ४९,००० रुपये इसमें उस आय की हानि भी है जो रेलों को बन्द करने के कारण यात्रियों से न हो सकी। यात्री गाड़ियों के लम्बे रास्ते से मार्ग परिवर्तन पर अतिरिक्त व्यय किया गया। यात्री गाड़ियों को खड़ा करना पड़ा और माल गाड़ियों

†मूल अंग्रेजी में

को रोकना पड़ा। इसमें वह अप्रत्यक्ष हानि सम्मिलित नहीं है जो कि यात्री अथवा माल गाड़ियों के अन्य स्टेशनों और उत्तर रेलवे के बड़े यार्डों तथा अन्य क्षेत्रीय रेलों पर चालन रूक जाने के प्रभाव से हुई। क्योंकि इस समय यह आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में सर्वदलीय खाद्य समिति

†३६९. **श्री वाजपेयी :**
श्री आसर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सर्वदलीय खाद्य समिति के निर्माण के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). दिल्ली के संघ क्षेत्र में संसद सदस्यों और सार्वजनिक व्यक्तियों की एक जन सम्पर्क समिति कार्य कर रही है। और दिल्ली प्रशासन के विचार में अलग सर्वदलीय खाद्य समिति निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

रामपुर की चीनी मिलों में हड़ताल के बारे में

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : श्रीमान, आपको स्मरण होगा कि आपने १२ तारीख को भी संसद् कार्य मंत्री से कहा था कि वे माननीय श्रममंत्री से कहें कि रामपुर में चीनी की मिलों में हड़ताल के मामले में छानबीन करने के बाद एक वक्तव्य दें। आज हड़ताल का १६वां दिन है।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : वह एक वक्तव्य दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : श्रीमान्, श्री के० दे० मालवीय की ओर से मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(१) उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का वर्ष १९५६–५७ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे सहित।

---

†मूल अंग्रजी में

(२) दिनांक १७ दिसम्बर, १९५७ का पत्र संख्या २१३८–रिप/३३०–५७, जिसमें प्रतिवेदन पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणी दी हुई है।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १२०३/५९]

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्भम्) : मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष १९५६–५७ का प्रतिवेदन इतने समय के बाद अब वर्ष १९५९ में क्यों रखा जा रहा है और इतनी देर क्यों हुई है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : कोई देर नहीं हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन १९५७–५८ में तैयार हो गया होगा, फिर इतनी देर कैसे हो गई?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : ऐसा विचार है कि प्रतिवेदन के लेखा–परीक्षण में काफी समय लग गया। यदि माननीय सदस्य इस विषय में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो मैं पता लगा कर एक वक्तव्य देने को तैयार हूं।

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें

†**सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्ति)** : श्री सु० कु० डे की ओर से मैं कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ५२ की उप–धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(१) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ३ जनवरी, १९५९ की जी० एस० आर० सख्या १५ और १७ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६४।

(२) दिनांक १७ जनवरी, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६५ से ६८।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १२०४/५९]

चीनाकुरी कोयला खान दुर्घटना

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं ६ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५३१ में प्रकाशित चीनाकुरी कोयला खान दुर्घटना की जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १२०५/५९]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ११८३।

---

† मूल अंग्रेजी में

(२) दिनांक १७ दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १२१६।

(३) दिनांक २० दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १२१७, जिसमें चावल और धान (आसाम) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश १९५८ दिया हुआ है।

(४) दिनांक २२ दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १२२७, जिसमें मिल से कुटा हुआ चावल (बिहार) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया हुआ है।

(५) दिनांक २३ दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १२२९, जिसमें चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया हुआ है।

(६) दिनांक २४ दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १२३३, जिसमें उत्तर प्रदेश धान (यातायात पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५८ दिया हुआ है।

(७) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १२३७।

(८) दिनांक ३ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या २३, जिसमें पंजाब धान (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ दिया हुआ है।

(९) चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ७ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ४४।

(१०) दिनांक ८ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ४५, जिसमें दिल्ली गेहूं (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ दिया हुआ है।

(११) उत्तर प्रदेश धान (यातायात पर नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १० जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ४६।

(१२) चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १५ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ७१।

(१३) चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २२ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ११०।

(१४) चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २४ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ११३।

(१५) दिनांक २४ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ११४, जिसमें चावल और धान (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ दिया हुआ है।

(१६) दिनांक २ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १३४, जिसमें चावल और धान (मद्रास) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ दिया हुआ है।

(१७) दिनांक २ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १३५, जिसम पंजाब रोलर मिलें (गेहूं के प्रयोग का विनियमन) आदेश, १९५९ दिया हुआ है।

(१८) दिनांक ४ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १६७, जिसमें चावल और धान (मैसूर) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ दिया हुआ है।

(१९) चावल और धान (आन्ध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ४ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १६८।

(२०) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं यातायात नियंत्रण आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ७ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १७१।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १२०६/५९]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें

†**श्री अ० म० थामस** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:—

(१) कृष्णा जिले (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये उनके पास विद्यमान भण्डार की घोषणा करवाने के लिये ४२८ आदेशों के तीन विवरण।

(२) पूर्व गोदावरी जिले (आंध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये उनके पास विद्यमान भण्डार की घोषणा करवाने के लिये ३७९ आदेशों के तीन विवरण।

(३) पश्चिम गोदावरी जिले (आंध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये उनके पास विद्यमान भण्डार की घोषणा करवाने के लिये ५३६ आदेशों के तीन विवरण।

(४) गुन्टुर जिले (आंध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये उनके पास विद्यमान भण्डार की घोषणा करवाने के लिये ३० आदेशों का एक विवरण।

(५) कृष्णा जिले (आंध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के २५८ आदेशों के चार विवरण।

(६) पश्चिमी गोदावरी जिले (आंध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के ३९४ आदेशों के दस विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १२०६/५९]

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका

†**सचिव** : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १६७ के अधीन मुझे सभा को बताना है कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक, १९५८, के संबंध में एक याचिका प्राप्त हुई है।

---

† मूल अंग्रेजी में

विवरण

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक, १९५८ (संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित) के सम्बन्ध में याचिका

याचिका संख्या	हस्ताक्षरकर्त्ताओं की संख्या	जिला या नगर	राज्य
२२	१	जिला चित्तूर	आन्ध्र प्रदेश

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के अनुपूरकों के उत्तरों को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : श्रीमान्, सर्वश्री तंगामणि और संगण्णा द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों का जो मैंने उत्तर दिया था उसके संबंध में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने बताया था कि जिन गावों में मोटर बसें नहीं पहुंच सकतीं, उनमें जहां भी संभव है, डाक पहुंचाने के लिए स्कूटरों का उपयोग किया जा रहा है।

मैं कहना यह चाहता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं डाक पहुंचाने के लिए स्कूटरों का उपयोग किया जाना संभव हो, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। इस समय स्कूटरों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। स्कूटरों के उपयोग की संभावना पर मैं विचार करूंगा। योजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के बारे में इस उत्तर के पश्चात् जो उत्तर दिया गया था वह स्कूटर सर्विसों के संबंध में नहीं था बल्कि सामान्य रूप से मोटर सर्विसों को चालू करने के संबंध में था।

नदी बोर्डों के नियमों के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : श्रीमान्, नदी बोर्ड अधिनियम, १९५६ की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों को सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित है। इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नदी बोर्ड नियम, १९५८ २ दिसम्बर, १९५८ को सभा पटल पर रख दिये गये थे। (इस संबंध में दूसरी लोक सभा के पांचवे सत्र, १९५८ में दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों व प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही बताने वाला अनुपूरक विवरण संख्या २ देखिये)

---

† मूल अंग्रेजी में

रामपुर की रजा और बुलन्द शूगर मिल्स में श्रम विवाद के बारे में वक्तव्य

†**श्रम उपमंत्री (श्री आविद अली)** : श्रीमान्, माननीय सदस्य रामपुर की दो चीनी मिलों के संबंध में जानकारी चाहते हैं। चीनी उद्योग के औद्योगिक विवाद राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अतः रामपुर की रजा और बुलन्द शुगर मिलों के विवाद के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गयी है। स्थिति इस प्रकार है:—

२० जनवरी, १९५९ को बुलन्द शुगर मिल के मजदूर संघ ने मिल के प्रबन्धकों को एक नोटिस दिया जिसमें ३६ मांगें थीं और यह कहा गया था कि १५ फरवरी, १९५९ से हड़ताल आरंभ हो जायेगी। पर दोनों मिलों के मजदूरों ने वास्तव में २ फरवरी, १९५९ को ही हड़ताल आरंभ कर दी। अतः उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ६—एस० के उपबन्धों के अन्तर्गत यह हड़ताल अवैध थी। सम्पत्ति को हानि पहुंचने से बचाने तथा उपद्रव को टालने की दृष्टि से मिल मालिकों ने ४ फरवरी, १९५९ से मिल में तालाबन्दी की घोषणा कर दी। अवैध हड़ताल के परिणाम स्वरूप तालाबन्दी करना एक वैध कदम है। फिर भी, मालूम होता है कि यदि निम्नलिखित दो मांगें स्वीकार कर ली जायें, तो मजदूर संघ अपनी अन्य सब मांगें वापस लेने को तैयार है:—

(१) मिल बन्दी के संबंध में दो दिन की छूट्टी की प्रणाली का पुनः चालू किया जाना; यह प्रणाली एक पुराने समझौते के अनुसार बन्द कर दी गयी थी, जिसके बाद १ रु० ५० नये पैसे प्रति मास की वृद्धि कर दी गयी थी।

(२) सभी कर्मचारियों के वेतनों में १० प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि।

हड़ताल द्वारा उत्पन्न स्थिति के कारण जनवरी १९५९ का वेतन नहीं दिया जा सका था।

हड़ताल करने वाले मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी को क्षेत्रीय समझौता पदाधिकारी ने परामर्श दिया था, कि वह समझौता प्रणाली द्वारा अपनी शिकायतों को दूर कराने का प्रयत्न करें। पर वह इस मामले में अपने रवैये पर अडिग रहे।

जिलाधीश के निवासस्थान पर धरना देने तथा मिल के दरवाजे पर अनुचित रुकावट पैदा करने के अपराध में ११ फरवरी, १९५९ को ७१ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

चीनी उद्योग के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक मजूरी बोर्ड पहले ही नियुक्त कर दिया है जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। बोर्ड ने ९—१२—५८ को सर्व सम्मति से सिफारिश की है कि जिन कर्मचारियों की उपलब्धियां १०० रु० प्रति मास तक हैं, उन सबको न्यूनतम ३ रु० के अधीन ५ प्रतिशत की दर से अन्तरिम सहायता दी जाये।

†**श्री स० म० बनर्जी** : (कानपुर): मेरे स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य था कि केन्द्र इस मामले में जांच करे। माननीय मंत्री का कहना है कि तालाबन्दी वैध है और हड़ताल अवैध। पर इस बात का निर्णय कौन करेगा? इसकी जांच होनी चाहिए। मैं माननी मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र कोई पदाधिकारी नियुक्त कर चुका है या नियुक्त कर रहा है इस मामले की जांच करने के लिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या केन्द्र ने जांच के लिए कोई आदेश दिया है ?

†**श्री आबिद अली** : श्रीमान्, यह कैसे संभव हो सकता है ? यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री कासलीवाल द्वारा १३ फरवरी, १९५९ को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर और आगे चर्चा करेगी :—

> "कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो कि उन्होंने ९ फरवरी, १९५९ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

स्वामी रामानन्द तीर्थ अपना भाषण जारी रखें ।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** (औरंगाबाद) : मैंने कल कहा था कि हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने और तृतीय योजना को कार्यान्वित करने में कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिये ।

इसकी अविलम्बनीयता इस बात से प्रकट हो जाती है कि ग्रामों की जनता अब अधिक धैर्य रखने के लिये तैयार नहीं है ।

पिछला अनुभव हमें बताता है कि हमें अपने कई तरीकों में सुधार करना पड़ेगा । हमारी प्रशासकीय व्यवस्था कुछ ऐसी रही है कि वह अपनी इच्छा से श्रमदान करने या सहकारी समितियां बनाने के लिये भी लोगों को पंजीयित नहीं करती, उसमें प्रक्रिया सम्बन्धी कई कठिनाइयां उनके सामने आ जाती हैं । इस तरह प्रशासकीय व्यवस्था योजनाओं की सफलता के आड़े आती है ।

नालागढ़ समिति के प्रतिवेदन में भी यही बात कही गई थी कि प्रशासकीय व्यवस्था को इस पूरे प्रश्न की अविलम्बनीयता महसूस करनी चाहिये । पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता इसी पर निर्भर करती है । और, तृतीय योजना की असफलता से हमारे देश में लोकतांत्रिकता का भाग्य खतरे में पड़ जायेगा ।

पंचवर्षीय योजनाओं की कार्यान्विति में एक दूसरी त्रुटि यह है कि उनके लिये जनता का सहयोग तो मांगा जाता है, लेकिन जनता को यह विश्वास नहीं होता कि इन योजनाओं से हाल में उनकी दशा में कोई सुधार होगा । योजना आयोग के सदस्य, श्री श्रीमन् नारायण ने भी इसकी ओर इशारा किया है कि दो पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति तक भी यदि गांवों की जनता की मोटी-मोटी आवश्यकतायें भी पूरी नहीं होतीं, तो उनके लिये यह सोचना स्वाभाविक है कि एक बहुत लम्बे अर्से तक उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रहेगी । क्या हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इन दो वर्षों में कुछ राशि ग्रामीण जनता के लिये पीने के पानी के अच्छे कुएं बनाने पर खर्च नहीं कर सकते ? इससे उन्हें विश्वास होगा कि उनके लिये कुछ तो हो रहा है । इसलिये तृतीय योजना की रूपरेखा बनाते समय हमें ग्राम पंचायतों से पूछना चाहिये कि वे किन चीजों को

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राथमिकता देना चाहते हैं । तभी हमें ग्रामीण जनता का सहयोग मिल सकेगा । यदि ग्रामीण जनता सिर्फ यही महसूस करती रहेगी कि बड़ी-बड़ी योजनायें तो हैं, लेकिन अभी हाल में उसके लिये कुछ भी नहीं होने वाला है, तो लोकतांत्रिक प्रणाली पर से उनका विश्वास उठ जायेगा ।

मुझे श्री रंगा के उस भाषण पर बड़ा आश्चर्य हुआ, जो उन्होंने पंजाब में दिया था । वह नागपुर कांग्रेस के उन संकल्पों को गलत समझते हैं जो कृषि सुधारों, भू-सीमा, सहकारी समितियों इत्यादि के सम्बन्ध में पारित किये गये हैं ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मैं सीमा निर्धारित करने के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ भूमि ही नहीं, सभी चीजों की सीमा निर्धारित की जाये ।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** : श्री रंगा सहकारी समितियों के भी पक्ष में नहीं हैं । लेकिन वह इसके लिये विकल्प क्या रखते हैं ?

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम असमानतायें मिटाना चाहते हैं । प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कह दिया है कि जोतों की सीमा निर्धारित करने से उनकी उत्पादकता बढ़ाने में कोई बाधा नहीं आयेगी । कृषि-आय की तो कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा रही है । भारत एक खेतिहर देश है, और ग्रामों में असमानता दूर करना सामाजिक न्याय की ओर पहला कदम बढ़ाना होगा । इसलिये सहकारी समितियों का रास्ता ही मात्र रास्ता है ।

इस समय सब से बड़ी चिन्ता खाद्यान्नों के मूल्यों की वृद्धि की है । कहा गया है कि दो महीनों बाद रबी की फ़सल आने पर यह खाद्य संकट दूर हो जायेगा । लेकिन हो तो यह रहा है कि जहां फसल अच्छी हुई है वहां भी मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री देशमुख ने भी इस पर आश्चर्य प्रकट किया है कि ७ लाख टन फसल होने के बावजूद देश में खाद्य संकट क्यों है, मूल्य क्यों चढ़ रहे हैं । क्या इन मूल्यों में स्थायित्व लाया जायेगा ?

एक और भी समस्या की ओर मुझे सभा का ध्यान आकर्षित करना है । राज्य पुनर्गठन के बाद, उन सरकारी कर्मचारियों को बड़ी शिकायत है जिन्हें नये राज्यों में भेजा गया था । क्या गृह-कार्य मंत्रालय उनकी उचित शिकायतें दूर करने में कुछ सहायता कर सकता है ?

एक चीज मुझे और यह कहनी है कि सरकार को अध्यादेशों का सहारा इतने जल्दी-जल्दी नहीं लेना चाहिये । अध्यादेश जारी करने का अधिकार तो लोकतांत्रिक सरकार को मिलना ही चाहिये, लेकिन बार-बार उसका प्रयोग करना जनता में यह भावना पैदा करता है कि सरकार बार-बार संकट में पड़ कर ही उसका प्रयोग कर रही है । यह भावना पैदा नहीं होने देनी चाहिये ।

बम्बई के दोभाषीय राज्य के सम्बन्ध में, मेरी अपनी राय यही है कि सरकार को अपना पहले का निर्णय बदलना चाहिये । पहले भी मेरी यही राय थी ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में खाद्यान्नों के मूल्यों की वृद्धि के बारे में इतना ही कहा गया है कि गेहूं और चने के भावों में वृद्धि हुई है, लेकिन रबी फसल आने पर सब ठीक हो जायेगा । क्या इसका मतलब यह है कि लोग तब तक खाद्यान्नों का प्रयोग ही न करें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की सफलताओं की एक बड़ी अच्छी तसवीर पेश की है। लेकिन उन सफलताओं से साधारण जनता के जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जनता की गरीबी तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। हालत तो यह है कि द्वितीय योजना आरम्भ होने से पहले जितनी बेरोज़गारी थी, अब उससे कहीं ज्यादा है। देश में धनिकों के पास और धन बढ़ता जा रहा है और गरीबों की गरीबी।

स्वामी जी के इस प्रश्न का, कि देश में इतनी अच्छी फसल होने के बावजूद खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि क्यों होती जा रही है, उत्तर यही है कि देश में मुद्रा-स्फीति है। जनता को अपनी दैनिक अत्यावश्यक आवश्यकताओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है। साथ ही कर भी बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने अभी तक तो उनके लिये कुछ किया नहीं, आगे के लिये तृतीय योजना की बातें करना शुरू कर दी हैं।

योजना आयोग के किसी सदस्य न कहा है कि तृतीय योजना पर १०,००० करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। उनका कहना है कि इसमें से १०० करोड़ रुपये खाद्यान्नों के राज्य व्यापार से मिलेंगे। हम तो यह समझ बैठे थे कि खाद्यान्नों का व्यापार सरकार अपने हाथ में इसलिये ले रही है कि उससे जनता को कुछ राहत दी जाये। इससे तो पता चलता है कि सरकार उससे मुनाफ़े कमाने की सोच रही है।

बड़ी विचित्र सी बात है कि तृतीय योजना की पहली झांकी हमें यह दिखी है कि उस पर कितना और कैसे व्यय होगा। उसकी यह झांकी हमें नहीं दिखी कि उसमें कौनसी परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी और उनके लक्ष्य क्या होंगे। योजनीकरण का यह गलत दृष्टिकोण है।

और भी विचित्र चीज यह है कि तृतीय योजना के लिये जो सर्वदलीय मंत्रणा समिति बनाई गई है, उसकी बैठक से पहले ही तृतीय योजना के आंकड़े जनता के सामने आ गये हैं।

पूंजी संसाधनों के सम्बन्ध में जनता से सदा यही कहा जाता है कि विदेशी ऋणों की अपेक्षा अपने देश के संसाधनों को ही विकसित करना चाहिये और उसके लिये मितव्ययता करनी चाहिये। जिन लोगों को दिन में दो बार भी भरपेट भोजन नहीं मिलता, वे मितव्ययता क्या करें? लेकिन ऊंचे तबके के लोग कितनी मितव्ययता कर रहे हैं?

राष्ट्रपति भवन में तो पहले जैसा ही राजसी ठाठ बना हुआ है। बड़े-बड़े मंत्रियों और प्रतिष्ठित लोगों का ठाठ वैसा ही बना हुआ है। उनका जनता से कोई सम्पर्क ही नहीं।

विभिन्न प्रदर्शनों और तमाशों पर खर्च बढ़ता जा रहा है। यह फैशन बनता जा रहा है। अन्य देशों में साल भर में एक राष्ट्रीय छुट्टी होती है, हमारे देश में दो।

हम योजनीकरण की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके लिये सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि योजना तैयार करने वाले राजनीतिज्ञ देश के पुनर्निर्माण के आदर्शों से प्रेरित हों। उसके लिये दूसरी बड़ी जरूरत यह है कि योजनाओं को कार्यान्वित करने वाला प्रशासन कार्यक्षम और ईमानदार होना चाहिये। लेकिन हमारे प्रशासन में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का जोर है।

मंत्रिगण और प्रशासक कहते हैं कि नीचे के लोगों में, कर्मचारियों में, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है। लेकिन साधारण जनता तो उनके ही सम्पर्क में आती है।

इसीलिये जनता को प्रशासन पर कोई भी विश्वास नहीं है। जनता प्रशासन के साथ तभी सहयोग कर सकती है जब कि प्रशासन उनके दुख तकलीफ में उनका साथ दे। लेकिन इसकी प्रशासन को परवाह ही नहीं।

मैं गांधी आश्रम का सभापति हूं । मुझे ऐसी शिकायतें सुनने को मिली हैं कि जब गांधी आश्रम के कर्मचारी स्टेशनों पर माल बुक कराने जाते हैं तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है नहीं तो उनका माल बुक ही नहीं किया जाता । इसकी शिकायत करने से भी कोई सुनवाई नहीं करता । हमें रिश्वत देनी पड़ती है ।

देश में जो कुछ हो रहा है, यदि इतने पर भी कांग्रेस वाले उससे संतुष्ट हैं, तो मैं कहूंगा कि वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं ।

†**श्री रंगा** : हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करायें ।

†**आचार्य कृपालानी** : मैंने सभा के सामने यह उदाहरण इसलिये रखा है कि सरकार इस पर ध्यान दे ।

दूसरी चीज़ यह है कि जब भी कभी पुस्तकों या समाचारपत्रों में किसी की निन्दा का समाचार प्रकाशित होता है, तो कोई भी यह कोशिश नहीं करता कि उसका प्रतिवाद करे । इसका अर्थ तो यही है कि यदि किसी प्रशासक या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की निन्दा का प्रतिवाद करने की चेष्टा की जायेगी, तो और भी बड़ी बड़ी गम्भीर चीज़ें जनता के सामने रखी जाने का भय बना रहता है । मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई है कि श्री मथाई अपने निन्दकों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करने को तैयार हैं ।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सरकार श्री मथाई के मामले की जांच करा रही है, विभागीय जांच ही सही । आशा है कि इससे श्री मथाई की प्रतिष्ठा बहाल हो जायेगी ।

हम अक्सर कहा करते हैं कि देश के पुनर्निर्माण के लिये अधिकारियों और जनता के बीच सहयोग होना अत्यावश्यक है । लेकिन जनता पुराने नौकरशाहाना ढंग से काम करने वाले अधिकारियों से सहयोग कैसे कर सकती है ?

राष्ट्रपति ने सार्वजनिक प्रशासन स्कूल के उद्घाटन के समय कहा था कि प्रशासकों को जनता की राय सुननी चाहिये और उसकी ओर एक मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिये । उन्हें जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिये ।

लेकिन हमें त्रुटिपूर्ण संगठन की समस्या पर भी ध्यान देना चाहिये । लेखा-परीक्षा तथा प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों में संगठनात्मक त्रुटियों पर काफी रोशनी डाली गई है । हाल में, ऐसे एक प्रतिवेदन में बताया गया है कि प्रतिरक्षा सेवाओं में कई ऐसी अनियमिततायें हैं जिनसे राजकोष को काफी नुकसान पहुंचता है । कई ऐसे स्टोर्स खरीद लिये जाते हैं जिनका कभी कोई उपयोग ही नहीं होता । १९५२–५३ में शस्त्रों के निर्माण के लिये कुछ सामग्री खरीदी गई थी, और १९५६ तक उसके २४० टन में से केवल ८ टन का ही उपयोग किया गया था ! अब १४८.५ टन को फालतू घोषित कर दिया गया है !! १९५०–५१ में १,५२,५० गैलन वार्निश खरीदी गई थी और १९५६ में उसमें से १,१२,५० गैलन को फालतू घोषित करके, घाटे पर बेच दिया गया था । इससे पता चलता है कि प्राक्कलन कितने गलत ढंग से किये जाते हैं । आपको यह सुन कर अचम्भा होगा कि १९५० में जिस सामग्री के ११,२६० वर्ग फीट खरीदे गये थे, १९५५ में उसके १०,४०० वर्ग गज़ को फालतू घोषित कर दिया गया था, जिसका मूल्य ४०,००० रुपये था और जिसे

†मूल अंग्रेजी में

फालतू होने पर १३,००० रुपये में बेच दिया गया था । इन दो मामलों में ही सरकार को ९ लाख रुपये की हानि हुई थी । १९४९ में अमरीका से एक वैलकनाइजिंग कारखाना ५१,००० रुपये में खरीदा गया था, और १९५६ में उसका कोई उपयोग किये बिना ही १३,००० रुपये में बेच दिया गया था । इसी प्रकार शस्त्र तैयार करने का एक कारखाना स्थापित करने का प्रबन्ध किया गया था, लेकिन निर्धारित तिथि के सात वर्ष बाद तक भी वह चालू नहीं हुआ ।

इतना ही नहीं, प्रतिरक्षा मंत्रालय यह भी निश्चित नहीं कर सका है कि इसके लिये जिम्मेदार कौन था । इस परियोजना की कुल लागत २७० लाख रुपये है । इस प्रकार देश की प्रतिरक्षा की जा रही है ।

सरकारी क्षेत्र में जितने निगम हैं, उनमें स्वायत्तता के नाम पर गैर जिम्मेदारी और उदासीनता पोषित हो रही है । संघ लोक सेवा आयोग से सलाह तक नहीं ली जाती । महालेखा परीक्षक को भी दखलन्दाजी नहीं करने दी जाती । संसद् भी निगमों पर कोई अधिक नियंत्रण नहीं रख सकती । इन निगमों में बड़ी मनमानी चल रही है ।

तीन इस्पात कारखानों में ही कुल मिल कर १०० करोड़ रुपये का अपव्यय हुआ है । इन तीनों इस्पात कारखानों का चलना शुरू होने में एक भी दिन की देर होने की कुल लागत ४० लाख रुपये पड़ती है । रूरकेला कारखाने के जर्मन ठेकेदार ने सरकार से उनका एक उपकरण किराये पर लेने के लिये कहा था । यदि वह नया खरीदा जाता तो उसकी कीमत ६० लाख रुपया होती । लेकिन सरकार ने उसी पुराने उपकरण के लिये ७५ लाख रुपया किराये के रूप में दिया है । पता नहीं विधि और वित्त मंत्रालय इन व्ययों की मंजूरी कैसे दे देते हैं । मैं तो इसमें विश्वास करता हूं कि इन निगमों की आलोचना न करना ही उनके साथ दुश्मनी निभाना है ।

कांग्रेसमैन भी अकार्यक्षमता और त्रुटिपूर्ण संगठन की शिकायतें करने लगे हैं । कांग्रेस के युवक समाजवादी दल ने हाल ही में कहा है कि प्रशासकीय व्यवस्था को सामाजिक आदर्शों, कार्यक्षमता और ईमानदारी और अधिक ध्यान देना चाहिये और तभी योजना के सैद्धांतिक ढांचे को मूर्तरूप दिया जा सकेगा । इसके बिना हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को आत्म-निर्भर नहीं बना सकेंगे ।

कांग्रेस के नये राष्ट्रपति ने सभी भूतपूर्व कांग्रेसमैनों को फिर से कांग्रेस में आने की दावत दी है ।

मुझ पर इस आमंत्रण का काफी प्रभाव पड़ा है । इसलिये उसके उत्तर में मैं यह नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पहले अपने संगठन को तो ठीक कर ले ।

कांग्रेस में अभी जितनी भी चखचख चल रही है वह पदों और विशेषाधिकारों की होड़ के कारण ही है । इसके अलावा कांग्रेस दल और कांग्रेस सरकार ने देश के सामने जो काम रखे हैं वे बहुत बड़े-बड़े हैं । खाद्य की समस्या है, मूल्यों की वृद्धि की समस्या है, कृषीय नीतियों की समस्या है, और इसी तरह की कई अन्य समस्यायें हैं ।

ये समस्यायें हमारे राष्ट्रीय जीवन के सभी विभिन्न पहलुओं से सम्बन्ध रखती हैं । इनके हल होने या न होने पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है । इसीलिये राष्ट्रपति ने सभी दलों का सहयोग मांगा है । इसीलिये प्रधान मंत्री बार-बार कहते रहते हैं कि ये समस्यायें पूरे राष्ट्र की समस्यायें हैं । अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने राज्य सभा में सभी दलों से सहयोग की अपील की थी ।

जब भी देश संकट में होता है तो समूची जनता की एकता की जरूरत पड़ती है। तानाशाही कायम करने से जनता की एकता तो पैदा की जा सकती है, लेकिन वह शक्ति और बल के आधार पर होती है, इसीलिये स्थायी नहीं रह सकती। और लोकतांत्रिक राज्य में जनता की यह एकता राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करके ही हासिल की जा सकती है।

इसलिये सभी दलों से सहयोग की अपील करना व्यर्थ है, क्योंकि विरोधी दल सरकार के कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ओढ़ सकते। सभी दलों का सहयोग तो केवल राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सरकार ही देश के सभी लोगों को, सभी तबकों को, और सभी शक्तियों को संगठित कर सकती है। और देश की सीमित क्षमता को देखते हुये यह अत्यावश्यक है।

इसके विरुद्ध, दलील यह भी दी जा सकती है कि कांग्रेस स्वयं ही एक राष्ट्रीय संगठन है। स्वतंत्रता मिलने से पहले तो था, लेकिन अब नहीं रह गया है। प्रधान मंत्री सभी दलों का सहयोग तो चाहते हैं, पर शायद राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिये तैयार नहीं हैं।

यदि सत्तारूढ़ दल ही देश के संकट की आवश्यकतायें समझने के लिये तैयार नहीं है, तो विरोधी दल कैसे करें। प्रजा समाजवादी दल के सदस्य कांग्रेस दल के साथ संयुक्त समितियों में तो बैठते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन दल की नीति ऐसी नहीं है। संयुक्त समितियों में वे सहयोग इसलिये करते हैं कि अन्यथा उन पर जनता के कल्याण के लिये भी सहयोग न करने का दोष मढ़ा जायेगा।

इसीलिये वे खाद्य समितियों में सहयोग करते हैं। उनके सामने और कोई चारा ही नहीं। वे जानते हैं कि खाद्य संकट का सबसे बड़ा कारण योजनाओं की त्रुटिपूर्ण कार्यान्विति ही है। मूल्यों की वर्तमान वृद्धि का कारण चोरबाज़ारी और कालाबाज़ार ही बताया जाता है। इनको रोकने का कार्य तो कार्यपालिका सरकार ही कर सकती है। लोकतांत्रिक विरोधी दल भी, सत्तारूढ़ दल की भांति, इस पूरी परिस्थिति के तर्क को स्वीकार करने के लिये तब तक तैयार नहीं होते जब तक उनको कम्युनिस्ट दल से ख़तरा महसूस नहीं होता।

मैंने यहां जो भी विचार रखे हैं, वे मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मेरे दल के नहीं। फिर भी मैं समझता हूं की मैंने साधारण जनता के विचारों को ही व्यक्त किया है।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची—पूर्व) : मैं अपने संशोधन संख्या २०८ और २०९ के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं जिनमें यह आशा प्रकट की गई है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा ११ में निर्दिष्ट सहकारिता और भूमि सुधार सम्बन्धी बातों का शासक दल द्वारा संयुक्त सहकारी खेती और भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में हाल में पास किये गये प्रस्तावों से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इस संसद् में कम से कम एक दल तो ऐसा है जो संयुक्त कृषि पद्धति के विरुद्ध है और वह है स्वतंत्र संसदीय दल। यदि अन्य कोई दल नागपुर अधिवेशन में पारित इस प्रस्ताव का विरोध करने को तैयार नहीं है तो यह दल ही इस कार्य को अपनायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं जीवन भर सहकारिता का समर्थक रहा हूं और मैं वास्तविक सहकारिता के सिद्धांतों में प्रबल विश्वास रखता हूं। परन्तु जब हम सहकारिता शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें उसका वास्तविक अर्थ समझते हुये ही वैसा करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब हम यह देखेंगे कि सच्ची सहकारिता क्या है ? उसके अनेक स्वरूप हो सकते हैं जैसे सहकारी ऋण, बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियां तथा विपणन सहकारी समितियां । परन्तु सच्चे सहकार का सार यह है कि किसान अपनी भूमि का स्वयं मालिक हो और स्वयं खेती करे । मैं समझता हूं कि इस बात से सदन के सभी व्यक्ति सहमत होंगे ।

परन्तु सहकारिता का एक अन्य स्वरूप भी है जैसा कि सोवियत रूस तथा चीन में प्रचलित है । चीन की सामूहिक कृषि प्रणाली के सम्बन्ध में मार्शल टीटो ने कहा है कि उसका मार्क्सवाद अथवा समाजवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसका वास्तविक सहकारिता से कोई सम्बन्ध नहीं और उसका सूत्रपात तानाशाही को दृढ़तर करने के लिये किया गया है ।

सहकारिता के विभिन्न स्वरूपों के इस अन्तर को समझ लेने के पश्चात् आप नागपुर के संकल्प पर विचार करें। संकल्प में कहा गया है कि भविष्य में संयुक्त सहकारी कृषि प्रणाली की स्थापना होगी जिसमें भूमि सम्मिलित रूप से जोती जायेगी और किसान को अपनी भूमि के अनुपात से उत्पादन का अंश मिला करेगा। संकल्प में यह भी कहा गया है कि उन लोगों को भी कुछ अंश मिलेगा जिनकी यद्यपि कोई भूमि तो नहीं थी परन्तु जिन्होंने उसमें काम किया और उस पर मेहनत की ।

परन्तु मेरे विचार से यह सब किसान को धोखा देने वाली बातें हैं । जब सम्मिलित रूप से भूमि की जुताई होगी तो खेतों की सीमाबन्दी रह ही न जायेगी इसलिये सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों का क्या महत्व रह जायेगा ? ऐसा ही धोखा चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों में दिया गया था । इस प्रकार पहले तो किसानों को नाममात्र के लिये भूमि का स्वामित्व दिया जाता है पर बाद में धीरे-धीरे उनसे सारी भूमि छीन ली जाती है और उस पर राज्य का स्वामित्व हो जाता है ।

अस्तु जिन व्यक्तियों ने यह संकल्प पास किया है उनसे मेरा अनुरोध है कि वह इस बात को समझें कि उन्होंने सहकारी कृषि की सोवियत-चीनी पद्धति को ही अपनाया है, वास्तविक सहकारी कृषि को नहीं । इसलिये मैं अपने दल सहित सहकारी कृषि की इस अनुचित तरीके से स्थापना का विरोध करता हूं ।

अब हम उन तर्कों को लेंगे जो इस प्रकार की सहकारी कृषि अथवा सामूहिक कृषि की स्थापना के पक्ष में दिये गये हैं । प्रथम तर्क यह है कि इस प्रणाली से उत्पादन बढ़ जायेगा । मुझे खेद है कि हमारी सरकार ने संसार के तथ्यों की ओर से आंखें बन्द कर रखी हैं । इस प्रकार की प्रणाली जिस देश में अपनाई गई है वहां उत्पादन कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है । यह धारणा गलत है कि बड़े खेतों में अधिक उत्पादन होगा । चावल तथा गेहूं के उत्पादन के आंकड़े देखने से यह बात स्पष्ट हो जायेगी । अमेरिका और रूस का प्रति हेक्टेयर उत्पादन ब्रिटेन, डेन्मार्क तथा जापान से कम है जब कि वहां उन देशों की अपेक्षा कहीं बड़े खेत हैं । इन तथ्यों के बावजूद भी यदि लोग यह कहें कि उत्पादन बढ़ जायेगा तो मैं उनकी बात समझने में नितान्त असमर्थ हूं ।

भारत को ही लीजिये । भारतीय कृषि गवेषणा संस्था द्वारा किये गये गन्ना उत्पादन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बैलों द्वारा खेती से ट्रैक्टर की अपेक्षा अधिक उत्पादन होता है । बैलों द्वारा खेती से ४१० मन गन्ने की उपज हुई है, जब कि ट्रैक्टरों से केवल ३६१.५ मन । जिन देशों ने सामूहिक कृषि की स्थापना के प्रयत्न किये वे असफल रहे हैं । सोवियत रूस में प्रति एकड़ उत्पादन अन्य देशों से बहुत कम है । यूगोस्लाविया ने सामूहिक कृषि का १९४८ से

१९५७ तक परीक्षण करके उसे अन्त में छोड़ दिया। पोलैण्ड की साम्यवादी सरकार ने भी सामूहिक कृषि प्रणाली को छोड़ दिया है क्योंकि उससे उत्पादन कम हो गया था। वहां ८० प्रतिशत सहकारी फार्म समाप्त कर दिये गये हैं।

वास्तव में कांग्रेस दल किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा न कर सकने के कारण उनका ध्यान सहकारी कृषि के सैद्धांतिक लाभों में उलझाना चाहता है।

स्वामी रामानन्द तीर्थ का यह विचार गल्त है कि सहकारी कृषि से रोज़गार बढ़ जायेगा। वास्तविकता यह है कि सहकारी कृषि से बेरोजगारी ही अधिक बढ़ेगी। रोज़गार बढ़ाने का तो एक ही तरीका है जो महात्मा गांधी ने बताया था और वह है ग्रामीण उद्योगों की स्थापना। हमारे देश के लिये दोनों प्रकार के उद्योग आवश्यक हैं--केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीयकृत। मैं गांधी जी की तरह विकेन्द्रीयकृत उद्योगों का समर्थक हूं जिनमें विद्युत् शक्ति का प्रयोग हो। मेरे विचार से भविष्य में ऐसी ही व्यवस्था करने से ही लाभ हो सकेगा।

अन्त में, यह कहा गया है कि सहकारी कृषि समाज का उच्चतर स्वरूप है, वह समाजवादी व्यवस्था का अंग है। इसके सम्बन्ध में मेरा विचार है कि संसार के किसी भी भाग में समूहन प्रजातांत्रिक समाजवाद का अंग नहीं है। ब्रिटिश मजदूर दल के नेता श्री बेवन ने हमारे देश को इस सम्बन्ध में चेतावनी देते हुये कहा था कि हमें रूस और चीन द्वारा की गई गल्ती को दुहराना नहीं चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : आपने शुगरकेन के बाबत तो बतलाया लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि गेहूं और चावल की यील्ड क्या है ?

†**श्री मी० र० मसानी:** मेरे पास सब चीजों के आंकड़े नहीं हैं परन्तु मेरा विचार है कि मेरी बात गल्त नहीं होगी।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि भिन्न बातें हैं।

†**श्री मी० र० मसानी :** मेरे विचार से नागपुर संकल्प की "सहकारी" कृषि सामूहिक कृषि ही है। मैं यह कह चुका हूं कि पारिवारिक खेत समाप्त करने से सामूहिक कृषि ही आयेगी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

नागपुर संकल्प में कहा गया है कि संयुक्त कृषि की स्थापना के पूर्व कृषि-सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की जानी चाहिये।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** मैं सेवा सहकारी समितियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य के विचार जानना चाहता हूं।

†**श्री मी० र० मसानी :** माननीय मंत्री उस समय यहां उपस्थित नहीं थे जब मैंने उनका उल्लेख किया था। मैं वास्तविक सहकार का पूर्ण समर्थक हूं। जब तक खेत पर परिवार का स्वामित्व नष्ट नहीं होता मैं सहकार के प्रत्येक कार्य को स्वीकार करता हूं। परन्तु यदि आप किसान से उसकी भूमि का स्वामित्व छीनने का प्रयत्न करेंगे तो मैं आपका विरोध करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में मैं श्री चरन सिंह के विचार आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि एक प्रमुख कांग्रेसी हैं। उनका विचार है कि एक औसत व्यक्ति से यह आशा करना आदर्शवादिता मात्र होगी कि वह अपने हित को अन्य लोगों के हितों में सम्मिलित समझ सके। यह सर्वविदित है कि भूमि के पीछे भाई-भाई का गला काटने में नहीं चूकता। इसलिये स्वेच्छा से तो संयुक्त कृषि प्रणाली नहीं लाई जा सकती। हां, बलप्रयोग द्वारा अवश्य वैसा किया जा सकता है ?

दूसरा उदाहरण ग्रामदान का लीजिये। श्री जय प्रकाश नारायण ने यह स्वीकार किया है कि किसान गांव की भूमि को मिल कर जोतने को तैयार नहीं हैं। वह अपनी अलग भूमि चाहते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव ही है। वह अपनी अलग चीज़ चाहता है।

भारत सरकार ने गत अप्रैल में घोषणा की थी कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक ३००० सहकारी खेत बन जाने चाहिये। इसका क्या तात्पर्य है ? क्या यह ऐच्छिक सहयोग का उपहास नहीं है ? लक्ष्यों की पूर्ति और ऐच्छिक सहयोग साथ-साथ नहीं चल सकते।

अब हम यह देखेंगे कि जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं उसके लिये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है ? सरकार द्वारा नियुक्त की गई कृषि प्रशासन समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि वरिष्ठ योग्य पदाधिकारी बहुत थोड़े से हैं। यही नहीं, सर मैलकम डार्लिग ने भी, जो कुछ समय पूर्व भारत सरकार द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये थे, यही विचार प्रकट किया था कि प्रत्येक राज्य में सहकारिता की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। ऐसी स्थिति में तीन साल के समय में क्या किया जा सकता है ?

सहकारी विधि समिति ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों को अनेक प्रकार की शक्तियां देने की सिफारिश की है। यदि इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाये तो ये सहकारी समितियां उनके हाथ की खिलौना बन जायेंगी जिनको वे अपनी इच्छानुसार हांक सकेंगे। भारतीय सहकारिता संघ ने इन सिफारिशों के सम्बन्ध में ऐसा ही मत प्रकट किया है कि उनकी मान लेने से एक नये प्रकार के "उपनिवेशवाद" का सूत्रपात होगा।

मेरा विचार है कि हमारे सामने दो स्थितियां आ सकती हैं। एक स्थिति तो यह हो सकती है कि तीन वर्ष बाद इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये गम्भीर प्रयत्न किया जायेगा और यह प्रयत्न दबाव और बल के प्रयोग से ही किया जा सकता है। यदि ऐसा किया गया तो गृह-युद्ध छिड़ जायेगा और देश के हजारों व्यक्तियों का खून बह जायेगा। यह सोचना निरी मूर्खता है कि किसान अपनी भूमि का अधिकार सरलता से छोड़ देंगे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि ऐसा प्रयत्न नहीं किया जायेगा।

फिर यदि ऐसा न भी किया जाये तब भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई हानि नहीं होगी। उदाहरण के लिये साम्यवादी पोलैण्ड को ले लीजिये। वहां केवल ९.२ प्रतिशत भूमि का समूहन हुआ था परन्तु उसके प्रभाव-स्वरूप निजी क्षेत्र में भी उत्पादन कम हो गया क्योंकि प्रत्येक किसान सोचने लगा कि अब उसकी बारी आने वाली है। संयुक्त कृषि के सम्बन्ध में बात करने मात्र से पर्याप्त मनोवैज्ञानिक हानि हो सकती है।

प्रधान मंत्री ने अपने एक भाषण में कहा है कि जो लोग आपसे यह कहते हैं कि सहकारी कृषि का तात्पर्य भूमि का जब्त करना है वह आपको गुमराह करते हैं। प्रधान मंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये था क्योंकि श्री राजगोपालाचार्य, श्री जय प्रकाश नारायण और श्री मुन्शी जैसे महान् व्यक्तियों ने वैसा कहा है। वास्तव में वही लोग जनता को गलत बात बता रहे हैं जो यह कह रहे हैं कि उनकी भूमि उनसे नहीं ली जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि समय नहीं रहा है इसलिये भूमि की अधिकतम सीमा के विषय को मैं छोड़े देता हूं । अन्त में मैं यही कहूंगा कि शासक दल ने एक गलत रास्ते पर पैर बढ़ाया है । अल्पमत के हित के लिये बहुमत को दण्डित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । गांवों में रहने वाली अधिकांश जनता के पास अपनी भूमि है, भूमिहीनों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है । इसलिये किसानों से उनकी भूमि नहीं छीनना चाहिये ।

वास्तव में इस समय आवश्यकता यह है कि किसान को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराया जाये, अच्छी खाद दी जाये । और उन्हें अच्छे ढंग से खेती करना सिखाया जाये । परन्तु हम ऐसा न कर उन्हें सामूहिक कृषि के भुलावे में डाल रहे हैं ।

अन्त में मैं यह कह देना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या अधिक है जिनको अपनी भूमि बहुत प्रिय है । उनके लिये भूमि का स्वामित्व ही जीवन है । वे अपनी भूमि को छोड़ने के लिये किसी भी तरह तैयार नहीं होंगे । इसलिये मैं सरकार को ऐसा कदम उठाने के विरुद्ध चेतावनी दे देना चाहता हूं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** (पुदुकोटै): राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश के आर्थिक विकास का उल्लेख करते हुये इस बात पर जोर दिया कि हमें अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिये परिश्रम करना चाहिये । परन्तु गांवों के लोग यह नहीं समझते कि इन योजनाओं से उनका किस प्रकार से हित होगा । बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनायें उनके लिये व्यर्थ हैं यदि उन्हें उनसे पानी नहीं मिलता । वे छोटी-छोटी सिंचाई योजनायें चाहते हैं । यदि योजना आयोग उनके हित के लिये स्थानीय योजनायें बनायें तो वे लोग सहयोग करने के लिये आगे बढ़ेंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने अपनी पदयात्रा के दौरान ऐसा ही अनुभव किया है । अस्तु मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कर देना चाहता हूं कि वह ऐसी योजनायें बनायें जिनसे ग्रामीण जनता उनमें सक्रिय भाग ले ।

एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या भाषा की है । अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की जनता को यह भय है कि उन पर हिन्दी बहुत जल्दी थोप दी जायेगी । इसलिये मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हिन्दी को लागू करते समय अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की जनता की भावनाओं पर विचार करना आवश्यक है ।

सरदार पटेल ने भारत की एकता स्थापित करने में जो प्रयत्न किया था वह हिन्दी के प्रश्न पर व्यर्थ न हो जाना चाहिये । भारत की एकता हिन्दी से अधिक महत्वपूर्ण है इसलिये उसको अक्षुण्ण रखने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये । यदि कुछ समय तक ठहर सकना संभव हो सके तो अधिक सरलता से लोग हिन्दी को अपना सकेंगे । इस समय जब कि हमारी योजनायें चल रही हैं हिन्दी के प्रश्न को उठाकर स्थिति को जटिल नहीं बनाना चाहिये । आर्थिक विकास देश के लिये अधिक आवश्यक है । भाषा का प्रश्न कुछ समय के लिये स्थगित किया जा सकता है ।

राष्ट्रपति ने मद्रास की निवेली योजना का उल्लेख किया है । मेरा निवेदन है कि यह योजना मद्रास के लिये अत्यन्त आवश्यक है इसलिये उसको दूसरी योजना में ही पूर्ण कर देना चाहिये अन्यथा वह लाभकारी नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगीकरण के सम्बन्ध में मद्रास अन्य राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है । मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस राज्य की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दे । मद्रास ने न केवल अभी तक दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा किया है वरन् हमें आशा है कि योजना की समाप्ति के पूर्व ही हम लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे । मैं चाहता हूं कि योजना आयोग राज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर हमें अधिक वित्तीय सहायता दें जिससे इस पिछड़े हुये क्षेत्र का विकास हो सके । योजना आयोग को यहां उद्योग प्रारम्भ कराने चाहिये जिससे लोगों को अधिक रोजगार मिल सके ।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे सदर जम्हुरिया हिन्द के खिताब पर अपने खयालात को इज़हार करने का मौका बख्शा । जनाब वाला, आजादी को हासिल किये हुए हम को अब तक अनकरीब दस साल हुए । इस दस साल के अरसे में हिन्दुस्तान ने जो तरक्की की है यकीनन वह काबिले दाद है ।

जिस वक्त हमने आजादी को हासिल किया उस वक्त हमारे सामने एक नक्शा था कत्लो गारत का, लूट और आतिशजदगी का, हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ कोनों में फसादात का । हमारे सामने मसले थे फिर से लाखों इन्सानों के बसाने के । हमारे सामने मसला था लोगों को काम मुहय्या करने का । हमारे सामन मसला था अपने आजाद मुल्क की हिफाजत करने का । मैं आज यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने उन तमाम मसलों को एक बहुत बड़ी हद तक हल किया है और एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से मैं उस पर फख्र करता हूं ।

जनाब वाला, नुक्ताचीनी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । नुक्ताचीनी में आपका कुछ लगता भी नहीं है सिवाय लब और जबान हिलाने के । मैं ने यह देखा है कि हमारे बहुत से दोस्तों ने अपनी तकरीरों को सिर्फ नुक्ताचीनी पर ही रखा और तमाम चीजों को, हर तरक्की को, जिसका नक्शा हमारे सामने है, बिल्कुल भूल गये । जनाब वाला, दुनिया में आज जो इन दस सालों में हिन्दुस्तान की इज्जत हुई है, चाहे वह हमारी खारिजा पालिसी की वजह से हो या हमारी अन्दरूनी तरक्की से, वह काबिले दाद है । जिस वक्त हमने आजादी हासिल की उस वक्त बहुत से मुमालिक यह समझते थे कि शायद वह कामयाब नहीं होगी, और वह फिर हिन्दुस्तान में कदम रख सकेंगे । बहुत से मुमालिक इस कोशिश में थे कि तकसीमशुदा हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों को हथियारों से मुसल्ला किया जाये, और हमें हमेशा परेशानी और फिक्रमन्दी में रखा जाये । लेकिन हिन्दुस्तान के अजीमुश्शान वजीर आजम की अमन-पसन्द पालिसी ने आज उन तमाम लोगों को मायूस कर दिया । वह आज हिन्दुस्तान को एक खुशहाल मुल्क की सूरत में, आज हिन्दुस्तान को एक अमन पसंद मुल्क की सूरत में, वह आज हिन्दुस्तान को तरक्की की तरफ जाते हुए एक मुल्क की हैसियत में देखते हुए खुद भी अपनी राय बदलने पर मजबूर हैं ।

जनाब वाला, आज से चन्द साल पहल अमरीका और बरतानिया की जो राज्य हिन्दुस्तान की खारिजा पालिसी के मुताल्लिक थी, आज वह नहीं है । यह हमारे वजीर आजम की खारीजा पालिसी का असर है कि अमरीका के फोरेन सेक्रेटरी या सेक्रेटरी आफ स्टेट मिस्टर डलेस यह कहने पर मजबूर हुए कि पाकिस्तान अगर हिन्दुस्तान पर हमला करेगा तो यकीनी सूरत में वह हिन्दुस्तान की हिमायत करेंगे । रूस के वजीर आजम यहां आये और बहुतरे मुल्कों क नुमायन्दे यहां आये । उन्होंने खुशहाल और तरक्की करते हुए हिन्दुस्तान की तारीफ की ।

जनाब वाला, मैं काश्मीर के मसले पर कुछ कहने का इरादा नहीं रखता था लेकिन इस एवान के जीइज्जत मेम्बर मिनिस्टर गोरे ने और इस एवान में कम्युनिस्ट पार्टी के नायब लीडर श्री

[श्री अ० मु० तारिक]

गोपालन ने आज कहीं इलाहाबाद में तकरीर करते हुए काश्मीर का ज़िक्र किया है। जब हम काश्मीर का ज़िक्र करते हैं तो हमको इस बात का अहसास करना चाहिये कि हम एक एसे हिस्से की बात कर रहे हैं जिसकी सरहदों पर दुश्मन खड़ा है जिसकी आजादी को खत्म करने के लिये बहुत से मुमालिक साजिश कर रहे हैं। जनाब वाला, हमको ऐसा करते वक्त सिर्फ अपने सियासी या जम्हूरी नज़रियात को ही मदेनजर नहीं रखना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिये कि काश्मीर कौन से मसायल से गुजर रहा है, काश्मीर ने किस तरह इन मसायल का मुकाबला किया है और किस तरह की तरक्की की है।

इन्सानी फितरत दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। इन्सान बहुत सी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है और बहुत सी ख्वाहिशात में वह दूसरे लोगों को इश्तियाक चाहता है। जब वे ख्वाहिशात पूरी नहीं होतीं तो हम दूसरे आदमी को बुरा तसव्वर करते हैं। हम उसकी हर अच्छाई को भूल जाते हैं और हमारी यह ख्वाहिश अगर किसी बुरे आदमी के हाथों पूरी हो जाती है तो हम उसकी तमाम बुराई भूल जाते हैं।

जनाव वाला, मुझे इन्तहाई अफसोस है कि गोरे साहब ने अपनी तकरीर में यह फरमाया है कि काश्मीर में सब ठीक नहीं है। हुजूर वाला सब ठीक तो कहीं भी नहीं है। खुद गोरे साहब में भी सब ठीक नहीं है। इन्सान खामियों, अच्छाइयों और बुराइयों का मुरक्कब है। लेकिन देखना यह है कि आया काश्मीर की मौजूदा लीडरशिप काश्मीर में तरक्की के लिये, काश्मीर में जम्हूरियत कायम करने के लिए जो कुछ कर रही है, उस में वह कहां तक कामयाब हुई है। उस ने जो कुछ किया है उसकी तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता।

गोपालन साहब ने भी यह फरमाया है कि काश्मीर में जम्हूरियत नहीं है। गोपालन साहब यहां मौजूद नहीं हैं। लेकिन मैं उनकी खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूं :—

इतनी न बढ़ा पाक दामा की हिकायत,

दामन को ज़रा देख ज़रा बन्द कबा देख।

उन इन्सानों को जो शीशे के महल में रहते हों, उन गरीब लोगों पर जो झोंपड़ियों में रहते हैं पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

फंडामेंटल राईट्स का जिक्र किया गया। इस के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि काश्मीर के नागरिकों के भी वे बुनियादी अधिकार मिले जो कि भारत के अन्य नागरिकों को मिले हुए हैं। जनाब वाला सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहां बहुत कुछ चर्चा की जाती है। इस सिलसिले में मैं जनाब की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जूरिसडिक्शन आर्टिकल १३६ को छोड़ कर बाकी मामलों में काश्मीर में लागू कर दिया गया है।

जनाब वाला, ट्रांस्फर आफ सरविसेज़ आन दी यूनियन लिस्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवेज़, टेलीफोन, तार, इनकम टैक्स, ब्रॉड कास्टिंग वगैरा महकमों को केन्द्रीय सरकार के मातहत कर दिया गया है।

जनाब वाला एक्सटेंशन आफ दी अथारिटी आफ दी आडीटर जनरल आफ इण्डिया के बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि स्टेट का एकाउन्ट्स और आडित डिपार्टमेंट अब आडीटर जनरल से नीचे है।

जनाब वाला, एक बहुत बड़ा मसला था इंटीग्रेशन आफ सरविसेज़ का । उसके बारे में आप देखें कि स्टेट में आई० ए० एस० और आई ० पी० एस० अफ़सरों की संख्या बढ़ा दी गई है जो होम मिनिस्ट्री के ज़रिये ट्रेनिंग ले रहे हैं ।

जनाब वाला, यह प्रासेस है, एक नक्शा है हमारी तरक्की का । और ये सब चीजें वजूद में आयी हैं सन् १९५३ के बाद । निहायत ही कलील अरसे में हमने बहुत सी चीजों को किया । हमारे यहां तालीम मुफ्त है । लोगों को जम्हूरियत की तरफ ले जाने के लिये तालीम की बहुत जरूरत है अगर काश्मीर की मौजूदा लीडरशिप गैर जम्हूरी होती तो यकीनन काश्मीर में तालीम को यह आला रुतबान हासिल होता ।

जनाब वाला, और बहुत सी चीजों के बारे में महज सयासी नजरियों की बातें हमारे खिलाफ कही गयी हैं । यह कहना कि वहां जम्हूरी रिवाज कायम नहीं है गलत है । वहां अपोजीशन है । वहां डिमाक्रेटिक नेशनल कानफरेंस है, वहां पर प्रजा परिषद् है । आप सब इस चीज से वाकिफ हैं कि प्रजा परिषद् एक फिरकावाराना जमाअत है । लेकिन बावजूद इसके प्रजा परिषद् को तकरीर करने, अखबार छापने और हुकूमत पर इल्जाम लगाने का हक है । उनके बहुत से नेता हैं और जब चाहें और जो कुछ चाहें कह सकते हैं असेम्बली से बाहर भी उन्हें पूरी आज़ादी हासिल है । लेकिन जनाब वाला, एक बात है जिसकी तरफ में इस ऐवान के मेम्बरान की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । वह यह कि काश्मीर में तखरीबी कार्रवाइयों की इजाजत नहीं दी जायेगी, तखरीबी कार्यवाइयां जो पाकिस्तान के एजेंटों के जरिये क्याम में आती हैं, उन तमाम बातों को हम फायदा भी नहीं पहुंचा सकते । हमने देखना यह है कि इस वक्त हमें काश्मीर के बारे में क्या राए कायम करनी चाहिय । जनाबे वाला, यह कहा जाता है कि काश्मीर तरक्की और जम्हूरियत की तरफ नहीं जा रहा है । मैं इस बारे में चन्द गैर-मुल्की लोगों की राय और नज़रिये, जो कि निहायत आला रुतबे के लोग हैं, आप के सामने रखना चाहता हूं ।

जनाबे वाला, सब से पहले मैं आप के सामने मिस्टर ए० एम० रोज़ेन्थल, जो कि न्युयार्क टाइम्ज़ के कारेसपांडेंट हैं, की राय रखना चाहता हूं । उन्होंने अपने एक डेसपैच में कहा है कि काश्मीर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और लोगों की काफ़ी मांगें पूरी हो रही हैं । इस के बाद मैं "काश्मीर टुडे" में 'ताया ज़िन्कन' की राय का तज़किरा करना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि काश्मीर के प्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद और उनके यहां के लोगों में बड़े अच्छे तालुक्कात हैं; वह एक मर्दे-कलन्दर की तरह लोगों से घुल-मिल जाता है और उनकी शिकायत को सुनता है और उन को सुन कर हतुलमकान उन को दूर करने की कोशिश करता है । और हमारे दोस्त इस जम्हूरियत को भी पसन्द नहीं करते ।

अब मैं आप के सामने रूस के मौजूदा वज़ीर आज़म, मिस्टर ख्रुश्चेव का काश्मीर के बारे में नज़रिया आपके सामने रखना चाहता हूं । उन्होंने फरमाया था कि काश्मीर में अलग-अलग धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं लेकिन वे मिलजुल कर भारत की तरक्की में लगे हुए हैं । काश्मीर भारत की एक स्टेट है, इसका फैसला वहां के लोग कर चुके हैं ।

जनाबे वाला, इस के बाद मैं आप के सामने बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म, मिस्टर एटली, की राय रखना चाहता हूं । वह काश्मीर में तशरीफ लाये थे । उन्होंने अपनी आंखों से काश्मीर के हालात को देखा । जहां उन की तबियत चाही, वहां वह गये और बहुत से लोगों से मिले । आखिर में उन्होंने फ़रमाया कि काश्मीर की मौजूदा सरकार बहुत कामयाब रही है और वह डैमोक्रेटिक भी है । मैं समझता हूं कि काश्मीर भारत के साथ रहने का पक्का फ़ैसला कर चुका है ।

[श्री अ० मु० तारिक]

जनाबे वाला, ये उन लोगों की रायें हैं, जिन के बारे में दुनिया के लोगों का यकीनन यह कहना है कि वह बहुत बड़े आदमी हैं। मैं हज्बे मुखालिफ से पूछूगा कि ख्रूश्चेव साहब ने काश्मीर के बारे में जो कुछ फरमाया है, वह उन्होंने नेक-नीयती से कहा है या नहीं। इस का फैसला मैं उन पर छोड़ता हूं। सारे ऐवान से और खास तौर पर हज्बे-मुखालिफ़ से मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं काश्मीर के मामले में किसी किस्म की भीख नहीं मांगता और न ही किसी खास रियायत की दरख्वास्त करता हूं।

मैं यह भी नहीं चाहता कि इस बात के पेशे-नज़र कि हमारी सरहदों पर बाहर के हथियारों से लैस दुश्मन खड़ा है, मुल्क के किसी हिस्से में जम्हूरियत को पनपने न दिया जाये। लेकिन मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूं कि जमायती नज़रिये की बिना पर, जमायती इख्तिलाफात की बिना पर, जमायती इक्तदार की बिना पर काश्मीर की नुक्ता-चीनी न की जाये। मैं नुक्ता-चीनी से नहीं घबराता हूं। जम्हूरियत ने हमें यह हक बख्शा है कि हम अच्छी और बुरी बात पर अपना नज़रिया सामने रखें।

इस के बाद मैं इस ऐवान और मुअज्जिज़ मेम्बरान की तवज्जह एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। अंग्रेजों ने हमारे मुल्क में फसादात की बुनियाद और तकसीम की बुनियाद इस बात पर रखी थी कि किसी को माइनारिटी करार दिया और किसी को आला जाति करार दिया। मैं चाहता हूं कि अब इस किस्म की तमाम रसूमात को और तमाम नामों को हमारे यहां खत्म कर दिया जाये। हर शख्स को, हर हिन्दुस्तानी को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दोश-ब-दोश चलने का मौका दिया जाये। किसी वक्त यहां फ़िर्कापरस्ती के नाम पर सीटें रखी जाती थीं और उन्हीं बातों ने तक्सीम की बुनियाद डाली। मैं चाहता हूं कि इन तमाम बातों को खत्म कर के इस मुल्क में जम्हूरियत को पनपने का मौका दिया जाये। हमारा यह फर्ज़ हो जाता है कि हम देखें कि छोटी छोटी कम्यूनिटीज़, छोटे छोटे फिर्कों की लीडरशिप खत्म होती जाती है। इस तरफ थोड़ी सी तवज्जह दी जानी चाहिये। यह निहायत जरूरी है कि तमाम छोटे छोटे फिर्कों का एतमाद हासिल किया जाये। उन को इस काबिल बनाया जाये कि वे फिर्के न रहें, बल्कि वे पूरे हिन्दुस्तानी बनें और इस तरह एक मुत्तहिद हिन्दुस्तान को बनने का मौका दिया जाये।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : मुझे यह जानकर दुख होता है कि मेरे सुझावों और अनुरोधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। एक ओर सरकार समाजवादी ढांचे के समाज की बात करती है, दूसरी ओर राष्ट्रपति शाही ठाठ-बाट से यहां पधारते हैं। मेरा सिद्धान्त है कि सभी लोग सभी व्यक्तियों की प्रसन्नता के लिये काम करें। लेकिन मुझे यह बताते हुये दुख होता है कि सरकार ने अभी भी ऋण लेने की आवश्यकता का निराकरण नहीं किया है। इसका परिणाम यह होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कर्जदार रहेंगी। मैंने अपने संशोधन में यह भी कहा है कि मुझे दुख है कि लाभ पर श्रमिकों के बराबर भाग के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह स्वीकार कर लिया गया है कि श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग मिलना चाहिये। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व की तनातनी को कम करने के लिये विश्व संघ बनाने की आवश्यकता का अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया। हमारे देश के प्रधान मंत्री यद्यपि इसकी आवश्यकता को समझते हैं तथापि इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इस विचार को जापान के एक प्रमुख पत्र 'आशाही' ने भी स्वीकार किया है। मेरा विचार है कि छोटी मोटी समस्याओं पर ध्यान देने से अधिक अच्छा यह होगा कि हम इस प्रकार का एक संघ बनाने का प्रयत्न करें। मेरे विचार के

अनुरूप जो इस प्रकार का संघ बनेगा उसकी राजधानी होनोलूलू में होगी और उसका एक सूबा ईरान से ले कर आसाम तक होगा। इस प्रकार हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई की संभावना ही खत्म हो जायेगी। हमारा सिद्धान्त यह होना चाहिये कि सभी व्यक्तियों को काम मिले। आज हम देखते हैं कि हजारों लाखों व्यक्ति बेकार हैं और उन्हें किसी प्रकार के राजनैतिक, नैतिकाया आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। यह प्रणाली अनुचित है हमें चाहिये कि सर्वसधारण को भी कार्य और भोजन मिले।

एक माननीय सदस्य ने सहकारी व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। इसके सम्बन्ध में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सरकार का संचालन करने वाले व्यक्तियों की चाल या कुचक्र है। ऐसा सदैव से ही होता आया है कि जो व्यक्ति एक बार सरकार का संचालन करने लगता है फिर वह अपने स्थान पर दृढ़ता से बैठना चाहता है। अपनी स्थिति को सुरक्षित बनाने के लिये ही उन्होंने पहले महाराजाओं को समाप्त किया, तत्पश्चात् जमींदारों को समाप्त किया, अब उन्होंने देखा कि उन्हें अच्छे धनी किसानों से भी खतरा पैदा हो गया है तो उन्होंने यह सहकारी पद्धति निकाली। इतिहास भी इसका साक्षी है रूस में भी यही हुआ है। जब वहां के यहूदियों ने देखा कि सारी सत्ता पर राजाओं, पुरोहितों और व्यापारियों का ही प्रभुत्व है तो उन्होंने यह सिद्धांत निकाला कि उक्त तीनों वर्गों का खात्मा होना चाहिये। ऐसा हो जाने पर स्वभावतः ही यहूदियों की शक्ति बढ़ गई। इसका यह परिणाम हुआ कि यहूदियों के विरुद्ध स्वयं रूस में प्रबल आन्दोलन हुआ। अन्ततः उन्हें स्टलिन को अपना नेता स्वीकार करना पड़ा। उसने सारी सम्पत्ति और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मेरे विचार से राष्ट्रीयकरण और कुछ नहीं, समस्त सम्पत्ति पर कुछ बुद्धिजीवियों का अधिकार है। यह बात अनुचित है। मेरे विचार से सभी व्यक्तियों को खुले आम व्यापार करने की छूट होनी चाहिये। तथापि उनके व्यय पर नियंत्रण होना चाहिये। जार भी अपना धन नंगे नाचों में व्यय करता था स्टालिन ने भी यही किया। तब उन दोनों में अन्तर क्या रहा। वस्तुतः समाज में नैतिक नियंत्रण रहना चाहिये लेकिन हम देखते हैं कि नई दिल्ली के अखबारों में नाच इत्यादि के विज्ञापन निकलते रहते हैं यह सरकारी कर्मचारियों के लिये लज्जाजनक बात है उन्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिये।

मुझे खेद है कि राष्ट्रपति ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली बात यह थी कि भारत राष्ट्रमंडल से पृथक हो जाय। दूसरी बात यह थी कि ईरान से आसाम तक आर्य प्रदेश बने। श्रमिकों को प्रबन्ध और लाभ में आधा हिस्सा मिले। कलक्टर तथा थानेदारों के स्थान पर गांव के चौधरी या नेता गांव का शासन संभालें। विद्यार्थियों के लिये निशुल्क शिक्षा हो और विद्यार्थी भी अपनी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर सकें।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दोनों संसदों के सदस्यों के सम्मुख दिया है, वह वास्तव में बहुत ऊंचे दर्जे का है तथा वर्तमान भारतीय परिस्थितियों का एक वास्तविक चित्र उन्होंने हमारे सामने रखा है। इस अभिभाषण से पता चलता है कि बहुत सी कठिनाइयों का मुकाबला करते हुये भी देश कितने सुन्दर ढंग से उन्नति कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण के लिये मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं और उनके अभिभाषण का मैं धन्यवाद के साथ स्वागत करती हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में दूसरी पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया है जिसका तीसरा वर्ष समाप्त होने जा रहा है। इन तीन वर्षों में बहुत बड़े बड़े काम हुये हैं। बहुत से उद्योगों

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

में हमारा देश स्वावलम्बी होता जा रहा है, इसकी एक झांकी जनता को १९५८ की प्रदर्शनी में मिली है और संतोष की भावना जनता में पाई जाती है ।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खेती के सुधरे हुये तरीकों को अपनाने का जिक्र किया है । इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी खाद्य स्थिति बहुत कुछ सुधर सकती है अगर इन सुधरे हुये तरीकों को अपनाया जाये । साथ ही साथ सहकारी तरीकों को अपनाने से भी बहुत तरक्की हो सकती है । सहकारी तरीकों को अपनाने से किसानों को बहुत सी आसानियां होंगी । सच्चा समाजवाद लाने के लिये हमें एक और भी कदम उठाना होगा और वह भूमि की सीमा निर्धारित करने का है । यदि ऐसा किया गया तभी सच्चा समाजवाद कायम हो सकता है तथा तभी हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं । इससे, मैं समझती हूं, बेरोजगारी भी काफी हद तक कम हो सकती है । यह एक बहुत ही लाभदायक प्रयोग सिद्ध होगा ।

फ़सलों को भारी हानि पहुचने के बावजूद भी तथा अनेक कठिनाइयों के होते हुये भी, हमारी सरकार ने खाद्य समस्या पर पूरा काबू पा लिया है, यह एक बहुत बड़ी बात है । मैं यह चाहती हूं कि छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं को हाथ में लिया जाये, अच्छे बीज किसानों में वितरित किये जायें तथा और जो सुविधायें किसानों को दी जा सकती हैं, दी जायें, ताकि वे अपनी कड़ी मेहनत का फल पा सकें । भारत एक महान कृषि देश है और इसमें जन-शक्ति है, मेहनत करने की बहुत ताकत है और उसका पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये ।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सामुदायिक विकास योजना का भी जिक्र किया है जिसके अन्तर्गत तीन लाख गांव आ चुके हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि सामुदायिक योजना के जरिये से गांव बहुत गतिशील हुए हैं और जिन गांवों में अच्छी तरह से कार्य हुआ है, वहां पर यह देखने से मालूम होता है कि गांव वालों की जिन्दगी ही बदल गई है । इस चीज़ का पता गांवों में जाकर और गांव वालों से मिल कर और उनसे बातचीत करने से ही लग सकता है ।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में राउरकेला तथा भिलाई की धमन भट्टियों आदि का भी ज़िक्र किया है । यह भी हमारी उन्नति का द्योतक है । हमारे देश में जहां पहले कुछ भी नहीं बनता था अब इतने बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हो रही है और कुछ में तो उत्पादन भी शुरू हो चुका है । इन सब से इस बात की झलक मिलती है कि देश कितनी उन्नति कर रहा है । राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में तेल, प्राकृतिक गैस आदि का भी ज़िक्र किया है । ये दोनों ही बहुत लाभदायक चीज़ें हैं और अगर बाद में इनका निर्यात भी किया जा सके तो यह एक बहुत अच्छी बात सिद्ध होगी और तरक्की का यह भी एक रास्ता सिद्ध होगा । जम्मू और काश्मीर राज्य में भी राजौरी नामक जगह पर एक गांव में, सुना गया है, कुछ तेल की खोज हुई है । मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वह जल्दी से जल्दी उसकी तरफ ध्यान दे ताकि उन लोगों को भी कुछ फायदा हो सके और साथ ही साथ रियासत में भी कुछ आमदनी का ज़रिया खुल सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से अब मैं कुछ शब्द जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं । भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ हमारा राज्य भी काफी तरक्की कर रहा है, वहां भी काफी तरक्की हो रही है और वह हर पहलू से आगे बढ़ रहा है । शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, विद्युत् आदि का विस्तार करने की कई योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं । काश्मीर उद्योगों की स्थापना की दिशा में भी काफी आगे बढ़ा है । वहां जाने वाले यात्रियों के लिए काफी अच्छे प्रबन्ध किये गये हैं

जिससे यात्रियों को काफी फायदा और सन्तोष हुआ है। सहकारिता का काफी तेज़ी से विस्तार हो रहा है और इस दिशा में काफी सफलता भी मिली है। रावी तथा प्रताप की टैक्नीकल और आर्थिक उपयोगिता की जांच हो चुकी है। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो कि बेकार पड़ी है, जब यह योजना पूरी हो जायेगी तब उसमें अन ज की पैदावार होने लग जायेगी। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति भी बड़े सन्तोषजनक ढंग से हो रही है और वहां की जनता का जीवनस्तर बहुत ऊंचा उठा है। इस बात का तभी पता चल सकता है जबकि हम गांव वालों से मिलें और उनसे बातचीत करें और उनसे इस बारे में पूछें कि कितनी तरक्की हुई है। मैं कहना चाहती हूं कि भारत के और राज्यों के साथ काश्मीर में भी तरक्की हुई है। जम्मू और काश्मीर राज्य में मैं घूमी हूं और गांव वालों से मिली हूं। अपने राज्य में मैंने गांव वालों से बातचीत की है, मैं उनसे मिली हूं और मैंने पाया है कि वे खुशी से और सन्तोष के साथ अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। वर्तमान सरकार पर उनका पूरा भरोसा है। विरोधी दलों की तरफ से समय समय पर काश्मीर के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है। मेरी समझ में नहीं आता हैं कि ऐसी कौनसी बात है जो किसी से छिपी हुई है या ऐसी कौनसी बात वहां हो रही है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। काश्मीर में आज तक जितने भी लोग यहां से विदेशों से गये हैं और उनमें बड़े बड़े नेता भी गये हैं, जैसा कि हमारे भाई तारिक ने भी कहा है और उन्होंने वहां पर हुई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरक्की की बहुत तारीफ की है। हज़ारों की तादाद में यात्री वहां जाते हैं, काश्मीर की कोई भी बात किसी से छिपी नहीं रह सकती है और सभी ने देखा है कि कितनी अच्छी तरह से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है और काश्मीर दिन प्रति दिन तरक्की कर रहा है। मैं तो कहूंगी कि हमारे संसद् सदस्यों को अधिक से अधिक तादाद में वहां जाना चाहिये और वहां के हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिये और यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें खुद मालूम हो जायेगा कि किस बात में कितनी सच्चाई है और सच्चाई क्या है, वहां की जनता कितनी उन्नति कर रही है। किसी को भी किसी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव में आकर सच्चाई को भूलना नहीं चाहिये।

प्रजातन्त्र तथा चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र उस राज्य तक बढ़ाने की बात भी कही जाती है। इसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। भारतीय संविधान द्वारा काश्मीर को कुछ अधिकार और कुछ रियायतें दी गई हैं। आन्तरिक शासन के मामले में काश्मीर स्वतन्त्र है और उस स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए काश्मीर को उन रियायतों पर गर्व है। केन्द्रीय निर्वाचन आयोग का उस राज्य पर अधिकार लागू होने से सब कठिनाइयां दूर नहीं हो जायेंगी। अगर कोई समझता है कि सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी तो मैं समझती हूं वह बहुत गलती पर है। वहां के संविधान को जो हिन्द सरकार की तथा भारतीय संविधान की स्वीकृति प्राप्त है उसके अनुसार वहां जो चुनाव होते हैं, वे निष्पक्षता से होते हैं। विरोधी दलों को वहां पर कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता है। संविधान सभा में विरोधी दल भी था। विरोधी दलों को वहां पर अपने विचार प्रकट करने की पूरी आज़ादी है, वहां पर प्रेस को पूरी आज़ादी है और वहां पर जो समाचार पत्र निकलते हैं, उनमें से कुछ विरोधी दलों के भी हैं। काश्मीर में प्रजातन्त्र अभी बच्चा है। केवल तीन वर्ष हुए हैं जबकि वहां पर उस संविधान को लागू किया गया था। इन सब बातों को देखते हुए, काश्मीर के लिए सब कुछ एक दम करना सम्भव नहीं है और इससे कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। वहां पर चुनावों की पूरी स्वतन्त्रता है। जनता स्वतन्त्रतापूर्वक अपने प्रतिनिधि चुनती है और उन पर उसको पूरा भरोसा है। जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही संसद के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, ऐसी वहां प्रणाली है। वहां के संविधान के अनुसार चुनाव होता है। नेशनल कान्फ्रेंस के प्रतिनिधि अधिक तादाद में चुने जाते हैं, उसी पार्टी के लोग संसद् के लिए भी सदस्य चुनते हैं। नैशनल कान्फ्रेंस पर जनता का पूरा भरोसा है वहां की जनता ने जो कुर्बानियां दी हैं और जो कुछ वह अपने मुल्क के लिए कर रही है इसलिये आज जनता अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रही है।

बहुत सी चीजें हैं जिनको समझना और जिन के बारे में सोचना हमारे लिये आवश्यक है। मुझे आशा है कि सदन उस सरकार का, जो इस समय वहां सत्तारूढ़ है, पूरा साथ देगा, ताकि जो बहुत सी कठिनाइयां इस समय उसके सामने हैं, वे दूर हो सकें। सबसे बड़ी बात जो काश्मीर की जनता के सामने इस वक्त है वह उस हिस्से की तरफ बहुत रहती है जिस पर अभी भी दुश्मनों का कब्जा है। मेरी प्रार्थना है कि इसकी तरफ जरूर ध्यान दिया जाय। मुझे वे दिन याद हैं जब मुझे उस इलाके में कई दिन रहने का मौका मिला था। वे लोग बार बार मुझ से कहते थे कि जब कभी तुम को मौका हो तुम यह सन्देशा उन लोगों तक पहुंचा देना कि हम भारत सरकार का साथ देना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करूंगी कि इसके लिये जो भी जरूरी कदम हों, जल्दी से जल्दी उठाये जायें।

मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया।

†**श्री बा० चं० कामले** (कोपरगांव): राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की सामान्यतः आर्थिक अवस्था अंकित की गई है। उसमें देश की सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। वस्तुतः दोनों व्यवस्थाओं पर समान रूप से जोर दिया जाना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद ३८ में तक इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश के सामाजिक कल्याण की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा। तथापि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसी बात का जिक्र भी न होना अनुचित है।

यद्यपि हम अपने देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं तथापि अभी तक हमारे देश में एकरूप व्यवहार संहिता भी नहीं है। सभा में जब बौद्धों का प्रश्न उठा था तो हमारे गृहमंत्री ने यह कहा था कि बौद्ध हिन्दू लोगों से पृथक् हैं। इसीलिये हम देखते हैं कि देश के भिन्न भिन्न भागों में सामाजिक आन्दोलन उठ खड़े हुए हैं। उदाहरण के लिये मराठी और गुजराती भाषा भाषी प्रदेशों का जो आन्दोलन है वह सामाजिक आन्दोलन ही है। इसी प्रकार मद्रास में आत्म सम्मान आन्दोलन चल रहा है। यह भी सामाजिक आन्दोलन है। इसी प्रकार अकाली दल भी एक प्रकार का सामाजिक आन्दोलन ही है। देश के बौद्धों में भी आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा है। मेरे कथन का तात्पर्य है कि हम सामाजिक व्यवस्था की अवहेलना कर ही नहीं सकते हैं। वस्तुतः इसी पर राज्य की बुनियाद आधारित है।

इतना ही नहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण में राजनैतिक व्यवस्था का भी कोई उल्लेख नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं दो उदाहरण दे सकता हूं। पहिला यह है कि जय प्रकाश नारायण जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ यह कह रहे हैं कि हमारे देश में संसदीय लोकतन्त्र असफल रहा है। क्या सरकार इस बात पर गम्भीरता से विचार करने का कष्ट करेगी? दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति उपेक्षा का बर्ताव किया जा रहा है। उन्हें नौकरियों, प्रशासन तथा कल्याण कार्यों इत्यादि में उचित संरक्षण नहीं दिया जाता है। निस्सन्देह धनी व्यक्तियों पर कर लगाया जा रहा है। किन्तु इस कर का लाभ गरीब और पिछड़े वर्गों को नहीं मिल रहा है। वास्तविक बात तो यह है कि गरीब और अमीर दोनों ही वर्गों को लाभ से वंचित किया जा रहा है। तब आश्चर्य का विषय यह है कि यह सारा धन कहां जा रहा है।

अब मैं पिछड़े वर्ग को लेता हूं। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है। लेकिन आयोग के प्रतिवेदन पर कये जाने वाले कार्य सम्बन्धी ज्ञापन में गृह मंत्री ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये पंचवर्षीय योजनाओं में ही २०० करोड़ रुपयों की राशि रख दी गई है। किन्तु कुछ पता नहीं लगता है कि यह राशि किस प्रकार व्यय की जा रही है। बम्बई में एक अधिनियम है जिसे बम्बई पैतृक पद अधिनियम कहते हैं। उसके अधीन उन लोगों की भूमि आती है जो पहिले अनुसूचित

†मूल अंग्रेजी में

जाति के लोग थे। डा० अम्बेडकर के नेतृत्व में हमने २० वर्ष से यह आन्दोलन चलाया कि इस भूमि का स्वामित्व हमें प्रदान कर दिया जाये। और हमसे इसकी पूरी रकम ली जाये। इस कार्य के लिये सरकार को उक्त २०० करोड़ रुपयों में से सहायता देनी चाहिये। तथापि ऐसा नहीं किया जा रहा है और जमीनों का नीलाम किया जा रहा है। इस प्रकार सारा रुपया पिछड़े वर्गों के लाभ के लिये व्यय नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में ६०० करोड़ एकड़ के लगभग बंजर जमीन है। यदि सरकार सहकारी प्रणाली प्रारम्भ करना चाहती है तो उसे चाहिये कि वह इस प्रणाली को इस बंजर जमीन को भूमिहीन किसानों को देकर प्रारम्भ करे। मेरा यह मत है कि यदि आप बंजर जमीन को भूमिहीन किसानों को देकर उन्हें खेती करने के लिये उकसा सकते हैं तो खाद्य की समस्या बहुत कुछ अंशों में सुलझ जायेगी।

प्रधान मंत्री ने १३ मई १९५८ को कांग्रेस के खुले अधिवेशन में भाषण देते हुए यह कहा था कि कि यदि अल्पसंख्यक वर्गों को उचित अवसर नहीं दिये जायेंगे तो कांग्रेस संस्था समाप्त हो जायेगी। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सेवाओं में अल्पसंख्यक वर्गों के लिये संरक्षण रखना आवश्यक है क्योंकि यह उनके लिये रोटी का प्रश्न है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति बहुमत की इच्छानुसार नहीं अपितु अल्पसंख्यकों के प्रति आदरभाव रख कर न्याय किया जाये। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि अल्पसंख्यक वर्गों का विचार रख कर कार्य किया जाना चाहिये और उन्हें उनका उचित भाग दिया जाये।

पिछड़े वर्ग आयोग ने इस सम्बन्ध में यह सिफारिश की है कि सामान्य रूप से पिछड़े वर्ग कहे जाने वाले लोगों के लिये प्रथम श्रेणी की सेवाओं में २५ प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी में ३५ प्रतिशत और तृतीय व चतुर्थ वर्ग में ४० प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाने चाहियें। हम सभा में धर्मपरिवर्तित बौद्धों के लिये संरक्षण की मांग करते रहते हैं परन्तु होता यह है कि केवल बौद्ध होने के कारण ही कभी कभी तो आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में सरकार को निश्चित नीति अपनानी चाहिये कि क्या हमारे देश में अल्पसंख्यक वर्ग हैं, यदि हैं, तो उनके प्रति सरकार की क्या नीति है? तथा किन वर्गों को सरकार ने अल्पसंख्यक वर्गों के रूप में मान्यता प्रदान की है? सरकार को चाहिये कि वह इन बातों का स्पष्ट उत्तर देवे। अतः मैं चाहता हूं कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर बौद्ध हो गये हैं उनकी स्थिति जानने के लिये सरकार एक समिति नियुक्त करे। केवल इस कारण कि वे बौद्ध हो गये हैं उन्हें सारी रियायतों से वंचित कर देना कहां तक उचित है?

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के अतिरिक्त कार्यों पर व्यय कम किया जाये। विशेषतः प्रतिरक्षा पर व्यय घटाया जाये। प्रश्न यह है कि प्रतिरक्षा पर व्यय किस प्रकार घटाया जा सकता है। यह तभी हो सकता है कि जब गोआ और काश्मीर के सम्बन्ध में सभी पक्षों के मत को तरजीह दी जाये और जिस सहयोग की प्रधान मंत्री ने प्रार्थना की है उसे सभी क्षेत्रों में लागू किया जाये। मैं यह भी चाहता हूं कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों के प्रभावशाली प्रतिनिधियों को सरकार में शामिल किया जाये। इस प्रकार की परम्परा विकसित की जानी चाहिये। साथ ही सरकार को चाहिये कि देश की इस परिवर्तित परिस्थिति में वह देश के विभिन्न दलों और अल्पसंख्यक वर्गों का सहयोग प्राप्त करने के लिये अपनी निश्चित नीति की घोषणा करे। इस प्रकार के सहयोग से पंचवर्षीय योजनायें सफलतापूर्वक संचालित हो सकती हैं।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर) : सरकार को अपने कार्यों में जो भी सफलता प्राप्त हुई है उसके लिये वह बधाई की पात्र है। तथापि यह सफलता हमें बहुत बड़ी कीमत देकर प्राप्त हुई है। इसका हमारे देश की भावी अर्थव्यवस्था पर तथा भावी योजनाओं पर बहुत बुरा प्रभाव होगा क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना की अवधि से ही हमें प्रतिवर्ष १२५ से १५० करोड़ रुपये वार्षिक चुकाने होंगे। वस्तुतः विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अधिक फिजूलखर्ची की जा रही है। जब माननीय श्री नाथ पाई और श्री मोरारका ने इस सम्बन्ध में चर्चा उठायी थी तो माननीय मंत्री महोदय ने केवल अपनी सफलताओं को ही बघारा था। और उनके राय और पथप्रदर्शन की अवहेलना की थी। मैंने इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न मंत्री महोदय से पूछा था तो उन्होंने मुझे मेरे दो पत्रों के बावजूद भी कोई उत्तर नहीं दिया। निदान मुझे उस विषय में प्रश्न पूछना पड़ा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में समाजवादी ढांचे के समाज के सम्बन्ध में भी जिक्र किया गया है। मेरा विचार है कि यदि किसीं क्षेत्र में सरकार पूरी तरह असफल रही है तो वह समाजवादी प्रकार के समाज बनाने वाली बात है। वस्तुतः योजना की अवधि में जो कुछ भी रुपया व्यय किया गया है उसका बहुत कम अंश गांवों में पहुंचा है। यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय में तेरह से पन्द्रह प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन यदि महंगाई को देखें तो उसमें १०० प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वस्तुतः गांवों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह सारा लाभ कुछ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की जेबों में गया है। यह भी कहा गया है कि अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देने का प्रयत्न किया जायेगा। लेकिन सरकार जिस प्रकार की नौकरियां देती है उनसे तो न देना ही अच्छा है क्योंकि अधिकांश पदों पर वेतन इतना कम होता है कि एक व्यक्ति का ही पेट नहीं भरता है परिवार की तो बात ही नहीं पैदा होती है।

यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना तैयार करते समय सरकार सभी राजनीतिक दलों से सहयोग लेगी। मेरा सुझाव यह है कि राजनीतिक दलों के सहयोग लेने के अतिरिक्त आचार्य बिनोवा के दल का भी सहयोग लिया जाये क्योंकि वे गांवों में दलित जनता के उत्थान के लिये कार्य कर रहे हैं। तथा तीसरी योजना का मसविदा इस प्रकार बनाया जाये कि गरीब वर्ग को कुछ राहत मिले। इस बात का प्रयत्न किया जाये कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सर्वसाधारण की दशा में सुधार हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना नहीं हो सकती। सरकार को इस बात का प्रयत्न करना है कि लोकतंत्र का लाभ आम जनता को भी प्राप्त हो सके। हमें हर प्रकार से भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। और यथासंभव यह प्रयत्न करना चाहिये कि फिजूलखर्ची और बार्बादी रोकी जाये जिस से इस धन का उचित तरीके से उपयोग हो सके।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा ९ का उल्लेख करूंगा। उसमें कहा गया है :

> "हमारी आर्थिक व्यवस्था के नियमन के लिए जो बातें सबसे जरूरी हैं उनमें सर्वप्रथम खाने पीने की चीजें और इन चीजों के भाव हैं। हमारे आयोजन और उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक दूसरी बातें अधिकतर इन्हीं पर निर्भर करती हैं, जैसे विकास के काम के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि, देन-पावने के सन्तुलन की स्थिति, देश के अन्दर मूल्य स्तरों की स्थिरता और मुद्रा बाहुल्य की प्रवृत्तियों की यथासमय रोकथाम।

मैं चाहता हूं कि खाद्य व कृषि विभाग खाद्य समस्या के महत्व को समझने का प्रयत्न करे क्योंकि खाद्य समस्या को हल किये बिना देश के लिए तीसरी योजना या अन्य किसी भावी योजना की कल्पना करना कठिन है। यद्यपि हमारी सरकार कृषकों के प्रति शाब्दिक सहानुभूति प्रकट करती है पर खाद्य

तथा कृषि मंत्रालय खाद्य समस्या के साथ जैसा खिलवाड़ कर रही है उससे हमें यह आशा नहीं होती कि निकट भविष्य में हम खाद्य स्थिति को स्थायी बना सकेंगे । मैं पूछता हूं कि जब हमारे देश में फसल इतनी अच्छी हुई है और जब सरकार ने खाद्यान्नों का राज्य व्यापार आरम्भ कर दिया है, क्या खाद्यान्नों का मूल्य इस प्रकार बढ़ना चाहिए कि देश की सामान्य जनता को खाद्य उपलब्ध न हो सके ?

समस्या के वास्तविक हल पर विचार करने के पूर्व हमें यह देखना चाहिए कि राज्य व्यापार के रूप में सरकार क्या कर रही है । राज्य व्यापार में सरकार को चाहिए कि वह खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए उचित मूल्य तथा उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की उपलब्धि को सुनिश्चित कर ले । पर वास्तव में सरकार ने यह करने के बजाये किया यह है कि कुछ मध्यवर्ती नियुक्त कर दिये हैं जो दिल्ली में अपनी गद्दियों पर बैठे बैठे निश्चित कर देते हैं कि उड़ीसा में चावल का भाव यह होगा; मध्य प्रदेश में यह होगा और पंजाब में गेहूं का भाव यह होगा । क्या इससे काम चल सकता है ?

इस नीति का परिणाम यह हुआ है कि यद्यपि सरकार ने उड़ीसा में चावल का मूल्य १६ रु० प्रति मन निर्धारित कर दिया है पर वहां पर ११ रु० प्रति मन चावल खरीदा जा रहा है । एक ओर, उड़ीसा में यह हाल है दूसरी ओर कलकत्ते में उपभोक्ताओं को चावल २४ और २५ रु० मन मिल रहा है । मैं पूछता हूं कि यह सारा मुनाफा कहां जाता है ? शायद वह मध्यवर्तियों के पास जाता है क्योंकि सरकार को तो कोई लाभ मिलता नहीं है । यही कारण है कि किसान आज अधिक अन्न पैदा करने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाता । जब फसल अच्छी होती है तो उत्पादकों को पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता और जब फसल खराब होती है तो सरकार इतना कह कर, कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेती है कि वर्षा न होने के कारण फसल खराब हो गयी । क्या अपनी इसी नीति के बल पर सरकार खाद्य के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देख रही है ? यदि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहती है तो उसे यह व्यवस्था करनी चाहिए कि उत्पादकों को समुचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को भी समुचित मूल्य पर खाद्यान्न मिल सके ।

इस सम्बन्ध में वास्तविक बात यह है कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में हमारी सरकार—कृषि विभाग—सावधान नहीं है। चाहिए कि हमारे कृषि विभाग का पुनर्संगठन किया जाये। कृषि प्रशासन समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में यही कहा है कि कृषि विभाग का नवीकरण एक विस्तृत तथा ठोस आधार पर किया जाये । समिति ने यह भी कहा है कि केन्द्र में और राज्यों में भी कृषि विभाग में उत्पादन बढ़ाने की अविलम्बिता की भावना का पूर्ण अभाव है । हम अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के पीछे करोड़ों रुपये व्यय कर चुके हैं । सामुदायिक विकास प्रशासन का भी उद्देश्य यही है कि उत्पादन बढ़ाया जाये पर हम किसानों को बीज व खाद आदि देते हैं उन्हें ऐसा उपाय नहीं बताते जिससे कृषि का उत्पादन बढ़े। जब तक उन्हें उत्पादन बढ़ाने की प्रणाली का ज्ञान नहीं कराया जायेगा तब तक खाद्य समस्या हल नहीं हो पायेगी ।

कृषि विभाग की एक और अस्पष्ट नीति देखिये । उड़ीसा से बिहार को चावल निर्यात बहुत पहले से होता आया है। इस वर्ष इस काम के लिए मिल मालिकों को एजेन्ट बनाया गया है । मिल-मालिक हाथ का कुटा हुआ चावल लेने से इनकार कर रहे हैं । दूसरी ओर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग हाथ के कुटे चावल पर प्रति मन ३ आना बोनस देता है । स्पष्ट पता लगता है कि सरकार की नीति कितनी अस्पष्ट व स्वयं-विरोधी है ।

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भिलाई व रूरकेला के कारखानों में इस्पात उत्पादन शुरू करने का कार्य करने के लिए सरकार बधाई की पात्र है । पर सरकारी क्षेत्र व गैर-सरकारी क्षेत्र में तैयार

किये गये इस्पात के मूल्य प्रतिस्पर्द्धी होने चाहिएं । वैसे तो सरकार ऊंचे मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है पर इससे गैर-सरकारी क्षेत्र को लाभ अधिक होगा । पर यदि दोनों के उत्पादनों के मूल्य प्रतिस्पर्द्धी नहीं होंगे तो सरकारी क्षेत्र का कोई लाभ नहीं होगा ।

अन्त में, महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा विवाद का उल्लेख किया गया । उड़ीसा और बिहार के बीच भी सीमा विवाद है । सरायकेला व खरसवान के लोगों को उड़ीसा के लोग सदा अपना ही भाई समझते आये हैं । यद्यपि सरकार इस समय इन दोनों स्थानों को उड़ीसा से मिलाने के लिए तैयार नहीं है पर इन स्थानों में रहने वाले उड़िया भाषियों के हितों का—संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं—पर्याप्त ध्यान रखा जाना आवश्यक है ।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : श्री कासलीवाल ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उससे सहमत हूं । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की सफलताओं तथा सरकार की नीतियों का विश्लेषण किया है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अनेक बड़ी-बड़ी तथा भीषण समस्याओं का उल्लेख नहीं किया । ठीक है, हमारे राष्ट्रपति की स्थिति अमरीका के राष्ट्रपति की स्थिति से भिन्न है अतः हमारे राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं था कि वह सरकारी नीतियों की प्रत्यालोचना करते ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बताया कि हमारे आयोजन के उद्देश्य क्या हैं और उन्होंने कहा कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के पूर्ण हो जाने के बाद हमारा देश मूल उद्योगों, कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास द्वारा देश को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में एक ठोस नींव रख सकेगा । सरकार के सभी कार्य तथा हमारी योजनायें इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं । अतः हमें बीच में ही सफलताओं का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए । तीसरी योजना के पूर्ण होने पर हम मूल्यांकन करके देखेंगे । मैं मानता हूं कि हमारी प्रगति कुछ धीमी है और अभी लोगों के रहन-सहन का स्तर नीचा है ।

यह सत्य है कि हमारी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और आशा है कि १९६०–६१ तक राष्ट्रीय आय में ११ प्रतिशत की और वृद्धि हो जायेगी । जब हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, तो कुछ अनुचित न होगा कि हम विदेशों से सहायता लें । हम किसी भी देश से सहायता ले सकते हैं चाहे वह पूंजीवादी हो या केन्द्रीकृत पूंजीवादी देश हो । रूस, अमरीका तथा अन्य देशों ने भी अपनी विकसित अर्थ व्यवस्था के दिनों में दूसरे देशों से सहायता ली है । अतः यह कहना गलत है कि हम ऋण या अन्य किसी रूप में अन्य देशों से सहायता न लें ।

सामान्य जनता विकास तथा उन्नति का अनुमान इसी आधार पर लगाती है कि उसे पर्याप्त भोजन मिले । दूसरी योजना काल में सिंचाई की कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लिया गया है पर खेद है कि हमें उनमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है । इसके कई कारण हैं । मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सिंचाई की छोटी योजनाओं पर भी समुचित ध्यान दिया जाये ।

राष्ट्रपति ने खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों का भी उल्लेख किया । इसका केवल एक ही हल है कि खाद्य के मामले में हम आत्मनिर्भर बनें । इस सम्बन्ध में उन्होंने भूमि की अधिकतम सीमा तथा संयुक्त सहकारी खेती आदि कृषि सुधारों का उल्लेख किया । श्री मसानी ने सहकारी खेती की योजना का विरोध किया पर मैं समझता हूं कि उनके तर्कों में कुछ अधिक बल नहीं है । जहां तक

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि सहकारी खेती की योजना में कोई भी बाधा नहीं है । गांव के लोग यदि स्वेच्छा से अपनी भूमि को एक संग्रह में मिला दें तो अच्छे किस्म के औजारों आदि का लाभ उठा कर अच्छी उपज पैदा की जा सकती है और बाद में अपनी भूमि के अनुपात से सभी लोग उत्पादन को बांट लें । इसमें किसान न अपने भूमि का स्वामित्व खोयेगा और न ही उसे हतोत्साहित होना पड़ेगा ।

श्री मसानी ने रांची के आदिवासियों का उल्लेख किया और बताया कि वहां के आदिवासी सहकारी आधार पर खेती करने के लिए तैयार नहीं होंगे । मेरा निवेदन है कि यदि गांव के अन्य लोग सहकारी खेती में सम्मिलित होंगे तो आदिवासी उससे अलग नहीं जा सकते । यह तो एक स्वेच्छा का मामला है । सरकार किसी पर दबाव नहीं डालेगी । सेवासहकारी समितियां पहले बनाई जायेंगी और तीन वर्ष बाद सहकारी खेती की प्रणाली चालू की जायेगी । इन तीन वर्षों में गांव के लोगों को सहकारी खेती तथा उसके लाभों का ज्ञान प्राप्त कराया जायेगा । सहकारी खेती से गांवों में मेल व्यवहार भी बढ़ेगा ।

ग्रामदान वाले गांवों में या ऐसी भूमि में जहां भूमि का कृष्यकरण करने का प्रयत्न किया जा रहा है अथवा जहां पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को बसाया जा रहा है सहकारी खेती आरम्भ की जायेगी । यह भूमि राज्य की होगी । यदि वहां के लोग मिल कर उस भूमि पर सहकारी खेती करेंगे तो उससे बहुत लाभ होगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में शीघ्रता से होने वाले औद्योगीकरण की बात का उल्लेख है । इस सम्बन्ध में हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं । बुनियादी उद्योगों के अतिरिक्त सहायक उद्योगों में भी काफी उन्नति हुई है । औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात सम्बन्धी व्यापार का स्तर भी हमारा नीचे नहीं गिरा है । चाय, जूट तथा हथकरघे के माल के निर्यात को बढ़ा कर हमारी सरकार को चाहिए कि वह विदेशी मुद्रा की स्थिति को मजबूत बनाये ।

देश की विदेशी नीति के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विभिन्न देशों के बड़े-बड़े नेता जो हमारे देशों में आते रहे हैं उससे स्पष्ट है कि संसार के मामलों में भारत को कितना महत्व दिया गया है या उसकी सेवाओं की कितनी प्रतिष्ठा की गयी है । हमारी गुटबन्दी से दूर रहने तथा किसी के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति का संसार के सब देशों ने अनुमोदन किया है और उसे मान्यता प्रदान की है । जापान, मलाया और इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे देश में अभी हाल में आ चुके हैं और संसार ने यह मान लिया है कि हमारी विदेशी नीति विश्व शान्ति को बढ़ाने में सहायक है । इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारी उस बुनियादी समस्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो आज हमारे सामने विकट रूप धारण किये हुए है । आज प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रश्न यह है कि देश में इतनी निराशा क्यों है तथा मनुष्यों की मुसीबतें निरंतर क्यों बढ़ती जा रही हैं ? इसका असली कारण यह है कि व्यापारी तथा खाद्यान्न इकट्ठा करने वाले जिन पर कि सरकार नियंत्रण करने में असमर्थ है, जनता को कष्ट दे रहे हैं ।

इस वर्ष हमें बताया गया है कि हमारी खाद्यान्न स्थिति बड़ी अच्छी है । हमारे खाद्य मंत्री का कहना है कि इस वर्ष फसल अच्छी हुई है । कितनी विचित्र स्थिति है एक ओर तो यह कहा गया है कि फसल बड़ी अच्छी हुई है और दूसरी ओर बाजार से चावल ही गायब है तथा गेहूं का मूल्य भी बढ़ गया है । और सरकार इस पर नियंत्रण पाने में असमर्थ है । प्रधान मंत्री प्रायः कहा करते हैं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

इस समस्या का समाधान यह है कि किसान तथा प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक उत्पादन करे। किन्तु असली बात तो यह है सरकार की नीति खाद्यान्न इकट्ठा करने वालों तथा थोक व्यापारियों को सहायता पहुंचाने की रही है। अब हमारे यहां राज्य द्वारा व्यापार करने की प्रथा चालू की गई है। राज्य सरकारों द्वारा अपने यहां एजेन्ट नियुक्त किये गये हैं जो राज्यों की ओर से उनके लिये खाद्यान्न खरीदते हैं। लेकिन मैंने अपने राज्य में देखा है कि इसके बाद से जहां बाज़ार में बिकने के लिये पहले ४२ हजार मन चावल आया करता था अब वहां केवल ५ हजार मन चावल ही आता है। हमारे खाद्य मंत्री का कहना है कि किसान लोग चावल बेचते नहीं हैं। दूसरी ओर केन्द्रीय खाद्य मंत्री कहते हैं कि राज्य सरकारें हम से जितना भी मांगती है हम उतना उनको देते हैं। किन्तु देखने में यह आता है कि अनाज की सस्ती दुकानों पर चावल बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त सारे पश्चिमी बंगाल में चावल की क़ीमत बढ़ गई है। लेकिन हमारे यहां के खाद्य मंत्री कहते हैं कि चावल का मूल्य गत वर्ष की अपेक्षा घटा है। कुछ प्रांत ऐसे अवश्य हैं जहां कि चावल का मूल्य कम हुआ है जैसे कि उड़ीसा किन्तु इसका कारण यह है कि वहां फसल बहुत ही अच्छी हुई है। लेकिन दोष बेचारे किसानों को दिया जाता है कि वे खाद्यान्न नहीं बेचते। यहां तक कि सारा दोष "राज्य-व्यापार" पर थोपा जाता है। लेकिन असली दोष तो इन थोक व्यापारियों का है जो राज्य के नाम पर रुपया पैदा कर रहे हैं। हम ने इनके विरुद्ध कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की है और यही कारण है कि सरकार की नीति असफल रही है। इन थोक व्यापारियों तथा खाद्यान्न एकत्रित करने वालों पर कोई अभियोग नहीं चलाया जाता। निवारक निरोध अधिनियम के अधीन उन्हीं व्यक्तियों को दंडित किया जाता है जो अपनी भूमि के अवैध हस्तान्तरण को रोकने की मांग करते हैं अथवा अपनी भूमि को फिर से प्राप्त करने की मांग करते हैं। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया है। हमें बताया गया है कि सरकार ने विभागीय सचिवों की एक समिति बनाने का सुझाव दिया है। केन्द्रीय खाद्य मंत्रणा परिषद तक की स्थापना नहीं हुई है और फिर हम से सहयोग की बात कही जाती है। यह सच है कि प्रधान मंत्री ने सभी दलों की संसदीय स्तर की एक समिति बनाई है। कुछ राज्यों में बड़ी कठिनाई के पश्चात् राज्य मंत्रणा परिषदें बनाई गई हैं। सहयोग की चर्चा तो केवल दिखावा मात्र है जो कि उच्च क्षेत्र में की जाती है। दरअसल राज्य सरकारों को ही इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करना है।

अब मैं सभा के सामने चिनाकुड़ी खदान दुर्घटना के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं। आज ही सभा-पटल पर इस दुर्घटना के बारे में जांच करने के लिये जो समिति बनाई गई थी उसने अपना प्रतिवेदन रखा है। इस दुर्घटना में २१६ व्यक्तियों की जान गई थी किन्तु समिति जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मृतक व्यक्तियों की संख्या केवल १७६ थी जो कि बिल्कुल गलत है। यह संख्या तो खदान के मालिकों ने बताई थी और समिति ने उसे ही स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा इस खदान में ७ और भीषण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। सब से बड़ा दुःख तो माननीय श्रम उपमंत्री के रवैये से है। अभी लगभग दो महीने हुए तब इस सभा में कुजामाखदान की दुर्घटना के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था जिसमें ८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी जिस पर हमारे उप मंत्री महोदय ने कहा था चूंकि वहां केवल ८ व्यक्तियों की ही मृत्यु हुई है अतः इसके जांच की आवश्यकता नहीं है। यह है हमारे भारत के श्रमिकों के जीवन का मूल्य। जब हमारे उपमंत्री का ही ऐसा रवैया है तो खदान विभाग से क्या आशा की जा सकती है? खदान मुख्य निरीक्षक तो दुर्घटना हो जाने के पश्चात् खदान में जाने तक का नाम भी नहीं लेते। अमलाबाद दुर्घटना के पश्चात् जांच अदालत ने कहा था कि जैसे ही दुर्घटना होती है एक विशेष जांच दल को खदान में जाना चाहिये। इस पर खदान विभाग ने कहा था कि विशेष जांच दल की कोई आवश्यकता नहीं है। यह काम

हम स्वयं करेंगे । लेकिन हम ने देखा कि खदान विभाग के निरीक्षक दुर्घटना स्थल पर खड़े रहे । मृतकों के शरीर ग्रांड ट्रंक सड़क के किनारे दुघटना स्थल से १८ मील दूर डाल दिये गये । हमारे माननीय उपमंत्री ने जिस पर कहा था कि वे तो मसान में रखे गये थे । कितनी विडम्बना है । सड़क को मसान बताया गया है । मेरा प्रश्न तो यही है कि विभागीय व्यक्ति इस दुर्घटना के पश्चात् खदान तक में भी नहीं गये । हमें बताया गया है कि खदानों के मुख्य निरीक्षक तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के पुत्र तथा अन्य रिश्तेदार इन खदान क्षेत्रों में लगे हुए हैं । प्रश्न उठता है कि क्या इन व्यक्तियों से इस दुर्घटना का सम्बन्ध है ? इसलिये निवेदन है कि यह स्वतंत्र सरकार के नाम पर धब्बा है अतः सरकार को चाहिये कि इसकी फिर से जांच की जाये । और खदानों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाना चाहिये । खदान विभाग का पुनर्नवीकरण किया जाये ।

एक और बात का मैं उल्लेख कर देना चाहती हूं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेकारी के सम्बन्ध में ऐसा रंगीन चित्रण किया गया है कि बढ़ती हुई बेकारी की समस्या पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । अखिल भारतीय श्रम अर्थवेत्ताओं के द्वितीय अधिवेशन में जो कि आगरा में हुआ था प्रो० महालनोबिस ने कहा था कि "देश के शहरी क्षेत्रों में १० लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में २५ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष नौकरी की तलाश में रहते हैं । अभी हाल में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि हमारे देश में २०० लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास मुश्किल से एक घंटे प्रति दिन का काम है, २७० लाख ऐसे हैं जिनके पास २ घंटे से कम, और ४५० लाख ऐसे हैं जिनके पास ४ घंटे प्रतिदिन से भी कम काम है ।" बिना आंकड़ों के भी यह बात स्पष्ट है कि शिक्षित लोगों की बेकारी का प्रश्न एक सरदर्द है ।

प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि पश्चिमी बंगाल में शिक्षित लोगों में बेकारी बढ़ी है । यहां तक कि जो लोग विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने जाते हैं यहां लौटने पर उनमें से १० प्रतिशत व्यक्तियों को भी मुश्किल से नौकरी मिलती है । आयात पर दिन प्रतिदिन लगाये जाने वाले प्रतिबन्ध तथा कच्चे सामान की कमी के फलस्वरूप बहुत सी सार्थें बन्द होती जा रही हैं जिसके कारण बहुत से व्यक्ति बेकार होते जा रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रति सरकार की नीति भी इसकी उत्तरदायी है । हमें बताया गया है कि छोटे पैमाने के उद्योग सहकारों के द्वारा बेकारी को दूर किया जा सकता है । किन्तु यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मद्रास में प्रौद्योगिक सहकारों को ५० लाख रुपये की छूट अभी तक नहीं दी गई है । ऐसी स्थिति में कैसे आशा की जा सकती है कि वे कार्य कर सकेंगे ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक सवाल यह भी उठता है कि जहां कहीं भी विकास हो रहा है वहां लोगों में बेकारी बढ़ रही है । उदाहरणार्थ इस्पात उद्योग को ही लीजिये । कुलटी की कोयला भट्टियों के बन्द हो जाने के फलस्वरूप हजारों व्यक्तियों की छंटनी हो गई ।

केवल इतना ही नहीं । जब कभी इन समवायों तथा सरकार के बीच किसी बात पर झगड़ा होता है तब ये समवाय तथा सरकार आपस में झगड़ा तै न करके कर्मचारियों की छंटनी कर देते हैं । कैसी अजीब बात है वे सरकार से धन लेते हैं, परियोजनाओं की प्रमुखता लेते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं । इस प्रकार की बातें हो रही हैं । इस प्रकार समाज तथा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है । इस प्रकार की नीति सरकार के समर्थन के साथ चल रही है । उदाहरण के लिये मैं इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी के उस पत्र का उल्लेख करती हूं। वैज्ञानिकन के मामले में उनके साथ एक समझौता

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

हुआ था कि पूर्व चर्चा के बिना वैज्ञानिकन नहीं किया जायेगा । इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि उस समझौते के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है । और जहां तक कि रोजगार देने का सम्बन्ध है कोई समझौता नहीं हुआ है । इस प्रकार हमारे ये बड़े-बड़े उद्योग कार्य कर रहेहैं । इसी सिलसिले में श्री मथाई का मामला भी आ जाता है । उनके मामले में हम चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो क्योंकि उन्होंने अपनी आस्तियों को छिपाया है । उनके अपने वक्तव्य के अनुसार आयकर देने के पश्चात् उनकी वार्षिक आय २७,५०० रुपये है । उनके लेखा को देखने से पता चलता है कि उन्होंने जो पूंजी लगा रखी है उससे उन्हें १८,००० रुपये की वार्षिक आय होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह पूंजी कहां लगी हुई है और कहां से आई है। इसके अलावा वे १८,२६० रुपये अपने दो बीमा के सिलसिले में प्रतिवर्ष देते हैं। जून, १९४७ में तीसरे बीमा की वार्षिक किस्त के रूप में उन्होंने एक साथ ४८,००० रुपये का भुगतान भी किया है । इस प्रकार सन् १९५७ में उन्होंने केवल बीमा के मद में ६६,००० का भुगतान किया है । तीसरे बीमा के सम्बन्ध में दिये गये आवेदन पत्र पर उन्होंने लिखा है कि उनकी मासिक आय २००० रु० है । इस प्रकार उस वर्ष में उनकी कुल आय २४,००० रुपये हुई । फिर किस प्रकार ६६,००० रुपये का भुगतान किया गया । ये वे सब बातें हैं जिनकी जांच निष्पक्ष न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिये जल्दी से एक सप्ताह में की गई विभागीय जांच किस प्रकार सचाई बता सकेगी । इसकी जांच सार्वजनिक रूप से होनी चाहिये ।

यही नहीं प्रधान मन्त्री ने कहा है कि जब उन्होंने उनके साथ कार्य प्रारम्भ किया तो उनकी आस्तियां २ से ३ लाख के बीच थीं । यह प्रश्न भी जांच का है कि इतना धन उनके पास कहां से आया क्योंकि यहां आने से पूर्व जब कि वह अमरीकी संभरण विभाग में काम करते थे उनकी मासिक आय४०० से ४९८ रुपये थी । कुछ महीने उन्होंने अमरीकन रेडक्रास में ८०० रुपये मासिक पर काम किया । क्या यह सम्भव है कि इस प्रकार का व्यक्ति २ से ३ लाख तक रुपया जमा कर सकता है ? जहां तक श्री मथाई का मामला है यह तो बहुत छोटी सी बात है । किन्तु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राज्य को गुप्त फाइलों से उनका सम्बन्ध था । यही कारण है कि हमें यह देखना है कि उनके सम्बन्ध किस प्रकार के व्यक्तियों से थे ? प्रधान मन्त्री स्वयं को भी गलत बताया गया है । ट्रस्ट के सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा है कि "मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी बड़े व्यापारी ने दान दिया हो ।" किन्तु मैं बता सकती हूं कि मकान ही बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स ने दिया है और ट्रस्ट पट्टे की प्रतिलिपि सभा पटल पर रख सकती हूं । कुलू का बाग भी बिड़लाओं ने खरीदा है। क्या इसकी सूचना सरकार को दी गई थी। मैं माननीय गृह-मंत्री से निवेदन करूंगी कि यदि उन्हें इसकी आज्ञा दी गई थी तो क्या वे इस आज्ञा की एक प्रति सभा पटल पर रख सकते हैं । ये ही वे बातें हैं जिनसे कि ये बड़े-बड़े व्यापारियों को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। इन सब बातों की ही जांच होनी है । क्योंकि यह मामला अकेले श्री मथाई का ही नहीं है अपितु इसमें बड़े बड़े व्यापारियों के हित भी सन्निहित हैं ।

अन्त में मैं बीरू बारी का पाकिस्तान को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में कहूंगी । हम पाकिस्तान से अपने सम्बन्ध अच्छे रखना चाहते हैं । जहां तक कि पाकिस्तान को राज्य क्षेत्राधिकारों के हस्तान्तरण करने का प्रश्न है हमने कभी विरोध नहीं किया है किन्तु यही एक ऐसा मामला है जहां कि विरोध की आवश्यकता पड़ी है । क्योंकि बेग आयोग के समय या उसके बाद इस क्षेत्राधिकार को कभी भी उस सरकार द्वारा झगड़े का विषय नहीं बनाया गया था। दूसरी बात मैं यह बता देना चाहती हूं कि जिस चित्र में यह दिखाया गया है वह चित्र ही गलत है। देवीगंज क्षेत्र जिसके बारे में कि झगड़ा है इस मानचित्र में गलत दिखाया गया है । इसके अलावा पश्चिमी बंगाल सरकार से भी इस मामले में कभी भी राय नहीं ली गई थी । यह प्रक्रिया तो बड़ी गलत है । इसलिये निवेदन है कि प्रधानमंत्री इस

पर फिर से विचार करें। क्योंकि यह निर्णय गलत मानचित्र के आधार पर किया गया है। और मैं आशा करती हूं कि इस सदन में तत्सम्बन्धी विधेयक आने पर वह पश्चिमी बंगाल की जनता की इच्छा का ध्यान रखेंगे सभी दलों ने सर्व सम्मति से निश्चित किया है कि यह क्षेत्र भारत का है और पश्चिमी बंगाल विधान सभा ने एक संकल्प भी पारित किया है। अतः इस सम्बन्ध में सांविधानिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिये। अन्त में मैं यही कहूंगी कि बीरूबारी पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिये और यह भारत का ही अंग है।

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के सम्भाषण के सम्बन्ध में दो रोज़ से काफी चर्चा हो रही है और माननीय वक्ताओं के जितने भी भाषण हुए हैं उनमें उन्होंने इस सम्भाषण के सम्बन्ध में अलग-अलग विचार प्रकट किये हैं। मेरी बहुत ज्यादा देर तक बोलने की इच्छा नहीं है, केवल दो चार बातें ही मेरे मन में आती हैं, जिनको कि मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

यह ठीक है कि राष्ट्रपति जी का सम्भाषण बहुत सारी बातों का ज़िक्र नहीं करता है जो कि हमारे दिलों में या हमारे दिमागों में हैं और हमारी यह स्वाभाविक इच्छा हो सकती है कि वे तमाम बातें भी सम्भाषण में होतीं। मगर यह बहुत मुश्किल सवाल है कि साल भर के हमारे तमाम कामों के बारे में चर्चा हो या हम उन तमाम सवालों को सामने ले आयें जो कि हमारे मन में हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने सम्भाषण में उन मोटी मोटी बातों का ज़िक्र किया है जो आज हमारे दिमागों के अन्दर हैं या जो कि एक साल के अन्दर देश में घटी हैं या जिन्हें हमें करना है। अगर हम उनके सम्भाषण को इस ख्याल से पढ़ें कि कल का हिन्दुस्तान क्या था और उसके मुताबिक ही उसे देखें तो हम उसे सही तौर पर नहीं देख सकेंगे। साथ ही साथ अगर हम वर्तमान स्थिति के अनुसार भी उसे न पढ़ें या जो परिस्थितियां हैं उनको न देखें तो भी हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। हमें देखना यह है कि आज हमारा देश किस स्थिति में से गुज़र रहा है। तो पहली बात जो मुझे इस सम्भाषण के सम्बन्ध में कहनी है वह यह है कि राष्ट्रपति जी ने आज हिन्दुस्तान को एक चुनौती दी है और हमारा ध्यान इस तरफ खींचा है कि हम एक बड़े कड़े समय में से गुज़र रहे हैं और अगर हम बहुत मज़बूती से और एक मुसम्मम इरादे से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे सामने जो दिक्कतें हैं वे बढ़ेंगी। हमारे बहुत से लायक दोस्तों ने जिन्होंने इस सदन के सम्मुख अपने विचार रखे हैं, काफी इस सम्भाषण की नुक्ताचीनी की हैं, मगर मैं उन वक्ताओं के उन भाषणों में यह देखता ही रहा कि क्या उन्होंने कोई ऐसी कनक्रीट (ठोस) या कोई ऐसी तामीरी तजवीज़ रखी है जिससे कि हमारी जो आज की मुश्किलात हैं और जिनमें से आज हम गुज़र रहे हैं, जिन के रहते हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उनमें उससे ज्यादा तेज़ और ज्यादा सही कदम हम किस तरह बढा सकते हैं।

सबसे पहला सवाल जो है वह खाने की चीज़ों का है। हम सब यह जानते हैं कि हमारे देश में ज़मीन सीमित है, असीमित ज़मीन हमारे पास नहीं है और जितना भी अधिक से अधिक हो सकता है, हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो ज़मीन अभी तक बंजर पड़ी हुई है उसे तोड़ कर उस पर खेती की जाये, उसको उपजाऊ बनाया जाए, जो खेतीहर हैं उनको हर प्रकार की सुविधा दी जाए ताकि जो अनाज वे अब तक पैदा करते आ रहे हैं, उससे दुगुना और तिगुना अनाज वे पैदा कर सकें। एक तरफ बढ़ती हुई आबादी को जब हम अपने सामने रखते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी ज़मीन की सीमा को देखते हैं तो हमारे लिए इस पर विचार करना जरूरी हो जाता है कि हम उस सीमित ज़मीन से अधिक से अधिक कितना अनाज पैदा कर सकते हैं ताकि हम अपनी बढ़ती हुई आबादी को पूरा अनाज दे सकें और साथ साथ सस्ती दर पर उसे इस अनाज को मुहैया कर सकें। यह बात भी इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि हिन्दुस्तान की गाढ़ी कमाई आज अनाज बाहर से मंगवाने में खर्च

[श्री राघा रमण]

हो रही है और वह अनाज हम को ज्यादा कीमत पर मिल रहा है और उसे यहां ला कर हम कम कीमत पर बेच रहे हैं। इस सब का मकसद भी यही है कि यहां पर किसी तरह से भुखमरी न हो, किसी तरह से लोगों को अनाज सुलभ हो सके और आम लोगों को उस कीमत पर तो कम से कम मिल सके जो कीमत कि निर्धारित की गई है हमारी सरकार की तरफ से। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के अन्दर अनाज की पैदावार बढ़े तो आज जो नागपुर में हमने एक प्रस्ताव पास किया है और जिसकी काफी नुक्ताचीनी भी की गई है और यह कहा गया है कि ज्वायण्ट कोआप्रेटिव्स या सर्विस कोआप्रेटिव्ज़ नहीं होनी चाहियें क्योंकि इनसे बहुत से नुक्सानात होने का डर है या यह कहा जाता है कि वह अमल में लाने लायक नहीं है, मैं ठीक नहीं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि उस पर अमल हो। ऐसे भी आंकड़े पेश किये गये हैं जिनके मुताबिक अगर हम अपने दिमाग को लगायें तो यह यकीन हो जाता है कि यह सर्विस कोआपरेटिव्ज़ और ज्यायण्ट कोआपरेटिव्ज़ दोनों बेकार साबित होंगे। मगर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारे मुल्क के अन्दर जितने भी किसान हैं, दिनों दिन उन के खेत बट रहेहैं, कंसोलिडेशन के बावजूद भी आज उनके खेतों का जो रकबा है वह कम होता जाता है और एक व्यक्तिगत किसान के साथ अगर इस सवाल को जोड़ दिया जाय कि वह अच्छा बीज लगा सके, वह अच्छे बैल रख सके, वह अच्छी खाद डाल सके और अपनी मेहनत से वह खेत के अन्दर ज्यादा उपज पैदा कर सके, तो यह सम्भावना कम नजर आती है कि इतने छोटे से खेत से किसान अपनी व्यक्तिगत मेहनत से उतना अनाज पैदा कर सके, जितना हम चाहते हैं। अगर ऐसी सूरत में हमने एक नया तजुर्बा करने का इरादा किया और उसमें पहले सर्विस कोआपरेटिव्ज से, यानी जो आदमी जितनी मेहनत करे, दस बीस किसान मिल कर और अपनी मेहनत को इकट्ठा करके, साथ ही साथ जितना खर्च आये उसको भी इकट्ठा करके, होने वाली पैदावार को अपने अपने खेत के मुताबिक बांट लें, इस तरकीब से काम लें, तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौनसी ऐसी बात नजर आती है जो कि काबिले कबूल नहीं है या काबिले अमल नहीं है। हां यह बात जरूर है कि हम बहुत सी बातों को दूसरे मुल्कों की बिना पर नामंजूर करना चाहते हैं या उसकी नुक्ताचीनी करना चाहते हैं। लेकिन मेरे उन लायक दोस्तों ने जिन्होंने इसका विरोध किया या इसको मंजूर नहीं किया, आज कोई ऐसी तजवीज नहीं रक्खी कि हमारे मुल्क के अन्दर जितनी जमीन है उसको हम जितने आदमी हैं उनमें तकसीम कर दें तो जितना अनाज हमारे मुल्क के अन्दर आज पैदा होता है उससे कैसे तमाम आदमियों का पेट भर जाय और अनाज सस्ता भी हो जाय। अगर कोई तजवीज इस किस्म की आती तो शायद वह जांची जा सकती और यह सोचा जा सकता कि जो कदम हम उठा रहे हैं हो सकता है कि वह कदम गलत हो और उससे बेहतर सुझाव हमारे सामने हैं जिनको हमें काबिल कबूल समझना चाहिये।

साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यहां कहा गया कि हमारे मुल्क के लिये मेकेनाइज्ड फार्मिंग ज्यादा फायदेमन्द नहीं है। सरकार की तरफसे या कांग्रेस की तरफ से आज एक आवाज किसानों को दी जाती है कि वह अपनी जमीन में ज्यादा अनाज पैदा करने की कोशिश करें और उसके लिये पूरे इरादे से वह आगे बढ़ें। किसी भी किसान से यह नहीं कहा जाता कि चाहे सर्विस कोआपरेटिव हो या ज्वायण्ट कोआपरेटिव, वह सब जगह ट्रैक्टर का ही इस्तैमाल करें। उनके सामने आज एक ही चीज रक्खी जाती है कि अगर बैलों के बजाय ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके वह अपनी उपज को ज्यादा बढ़ा सकते हों तो उसे बढ़ायें। साथ ही साथ जोर इस बात पर दिया जाता है कि जो आज बहुत सारी बंजर जमीन है, जिस पर अभी तक कोई अनाज पैदा नहीं होता, उसको तोड़ने के लिये बैलों की शक्ति लगायें या अपने पुराने तरीकों को अख्त्यार करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगता है, बहुत ज्यादा कीमत लगती है और उसके बावजूद कई सालों तक जो किसान उस जमीन को जोतता है उसको कोई मुनाफा नहीं होता, बल्कि जो लागत लगानी पड़ती है वह बहुत ज्यादा होती है, जो नाकाबिल बर्दाश्त और

नाकाबिल कबूल होती है, इस लिये मेकेनाइज्ड फार्मिंग को हमने पसन्द किया, और दोनों तरीकों को सामने रख कर हमने किसान से कहा उसको यह सलाह दी कि वह जो भी तरीका अख्त्यार करे, अगर वह उससे अपनी अपनी खेती की उपज को बढ़ा सकता है तो वह आगे बढ़े। मैं नहीं समझता कि ऐसी सलाह देने में या ऐसी राय उसके सामने रखने में सरकार ने या कांग्रेस ने ऐसी कौनसी बात कही है जिसकी वजह से इतना बड़ा भय पैदा हो रहा है और सारी बातों को एक तरफ रख कर के उसकी नुक्ताचीनी की जाती है कि सर्विस कोआपरेटिव्ज और ज्वायेंण्ट कोआपरेटिव्ज से हम तमाम किसानों को जमीनों से बेदखल कर देंगे या उनकी जमीन को छीन लेंगे और यहां पर एक टोटैलिटेरियन राज्य की बुनियाद डालेंगे। यह खयाल बिल्कुल गलत है और यह भय बिल्कुल इमैजिनरी या काल्पनिक है कि हम मुल्क के फायदे के खिलाफ वह कदम उठाने जा रहे हैं जिनका फैसला हमने नागपुर में किया है।

हमारे सामने यह सवाल भी आया कि हमारे मुल्क की खारिजा पालिसी कैसी है, मसलन गोआ के सम्बन्ध में। हम कहते हैं कि गोआ भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। हम सब मानते हैं और चाहते भी हैं कि गोआ को हिन्दुस्तान का हिस्सा जल्द से जल्द बनायें। लेकिन हम यह भी समझते हैं कि आज दुनियां में हिन्दुस्तान की जो इज्जत है वह एक ऐसी खारिजा पालिसी के अमल में लाने की वजह से है जिसे हमने अपनाया है। और वह पालिसी वही है जिसको हम आज दुनियां के सामने रख रहे हैं, तमाम सवालों को, न सिर्फ गोआ की गुलामी के सवाल को बल्कि जो आज दूसरे मुल्क मौजूद हैं अफ्रीका के अन्दर और मिडल ईस्ट के अन्दर उन सब के सवाल को, कि उनको आजादी मिले हम उठा रहे हैं। हम अपनी खारिजा पालिसी के मातहत तमाम दुनियां के सामने एक नमूना और आदर्श पेश कर रहे हैं कि हम ऐसे मामलों के अन्दर बजाय तशद्दुद के अदमतशद्दुद के जरिये, नेगोशिएशन्स के जरिये, आमने-सामने बैठ कर हल करना चाहिये। आज जैसी हमारे लायक दोस्तों की ख्वाहिश है हम भी चाहते हैं कि गोआ हिन्दुस्तान का हिस्सा बने। उसी तरह से हिन्दुस्तान का हिस्सा बने जैसे कि पांडिचेरी बना, चन्द्रनगर बना। आज जो लोग हमारी नुक्ताचीनी कर रहे हैं वह आखिर हमें गोआ के बारे में कौनसा रास्ता बताते हैं जिससे हम अपनी उस पालिसीज में केसिस्टेंट हों जिस पर चल कर हमने मुल्क की इज्जत दुनियां के सामने बढ़ाई है और जिस को हम अपना मकसद हासिल करने में छोड़ भी नहीं सकते। यह कह देना बहुत आसान है कि गोआ को हम को हासिल कर लेना चाहिये और उसको जल्द से जल्द आजाद देखना चाहिये क्योंकि वह हमारे मुल्क का हिस्सा है। मगर कौनसा कदम ऐसा है जिसे हमें उठाना चाहिये इस पालिसी के मातहत और जिसको हमने अब तक नहीं उठाया है और जिसकी वजह से हमारी कमजोरी नजर आती है ? हमने बार बार यह कहा है कि हम अपने तरीकों पर चलते हुए जल्द से जल्द गोआ को अपने मुल्क का हिस्सा देखना चाहते हैं। मगर हम खुद वह गलती करने को तैयार नहीं हैं जिससे जो कुछ हमने आज तक पाया है उसे गंवा बैठें। हम कोई भी वह कदम उठाने के लिये तैयार नहीं जो हमें उस पालिसी से अलग करे। हम इन्तजार करेंगे और उस वक्त तक करेंगे जब तक कि उसका तकाजा होगा और जब तक हमारी नीति हमें उसकी इजाजत देगी। मैं समझता हूं कि हालात दूसरे मुल्कों के अन्दर और गोआ के अन्दर भी ऐसे होंगे कि जब मजबूर होकर जो ताकतें गोआ को गुलाम किये हुए हैं वह उसको छोड़ कर हिन्दुस्तान के साथ उसे शामिल करने के लिये तैयार होंगी। आज दुनियां का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि गुलाम हो और गुलामी से नजात पाने के लिये सख्त से सख्त करवट लेने को तैयार न हो। हम उस वक्त का इन्तजार कर रहे हैं और जब तक हमें इन्तजार करना होगा हमें सब्र और ताम्मुल से काम लेना होगा। अगर हम सब्र और ताम्मुल से काम न लेकर अपने रास्ते को भुला दें, पुराने तमाम किये को खत्म कर दें और कोई दूसरा रास्ता अख्त्यार कर लें तो वह हमारे लिये गैर वाजिब होगा और मुनासिब नहीं होगा।

यहां यह भी सवाल आया और कुछ दोस्तों ने कहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर इस बात का काफी झगड़ा है कि बम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र का तस्किया होना चाहिये। मैं किसी अपने लायक दोस्त

[श्री राधा रमण]

के जजबात को ठेस नहीं लगाना चाहता, लेकिन मेरी नाकिस राय में पार्लियामेंट का फैसला होने के बाद दुबारा इस बात को उठाना कोई बहुत मुनासिब बात नहीं मालूम होती। एक वक्त था जब कि इस मसले पर हम ने काफी गौर किया और काफी इस बात को सोचा कि कौन रास्ता हमारे लिये मुनासिब है और कौन सा मुनासिब नहीं है। काफी गौर करने के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे और पार्लियामेंट ने यह फैसला किया। अब इस सवाल को यहां बार बार नहीं आना चाहिये। बार बार इस चीज़ की चर्चा कर के कुछ लोगों का खयाल है कि इस मसले को फिर से उठाया जाय और कोई नया हल हमारे सामने निकले। और पुरानी बात को फिर उठा कर फिर से उसे हल किया जाय। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि रिआर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे मुल्क को जो भी मुनासिब निर्णय करना था वह हो चुका। आज अगर कोई मेरे लायक दोस्त यह समझते हैं कि इस मसले को दुबारा उठा कर वह इस को बदलवा सकेंगे और हिन्दुस्तान के अन्दर सुकून पैदा कर सकेंगे और कुछ शान्ति ला सकेंगे तो यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक दफ़े एक मसले को तय करने के बाद उस पर क़ायम रहना, दृढ़ रहना यह आज हुकूमत और सरकार का काम है। बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि जो तबका ज्यादा बोलता है ज्यादा आवाज़ उठाता है, ज्यादा एग्रैसिव होता है चाहे वह अक्सरियत में न हो लेकिन उसके ज्यादा बोलने से अक़लियत अक्सीरियत को दबा जाती है। आज हमको अपने आपको इस बात से होशियार रखना है कि हम किसी भी मसले को किसी दबाव या किसी अक़लियत के ज़ोर से कोई फैसला न करें बल्कि जो हमारे फ़ैसले हों वे ऐसे फ़ैसले हों कि हम उन पर क़ायम रहें और बहुत मुस्तैदी से क़ायम रहें। अगर हम अपने फ़ैसलों पर क़ायम नहीं रहेंगे तो उनका नतीजा यह होगा कि हम एक फ़ैसले के बाद दूसरा फ़ैसला और इसी तरह दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा फ़ैसला करेंगे और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो यह मामला कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।

आज हमारे स्वाधीन भारत में एक देशी हुकूमत बनी है और यह सदन उस हुकूमत को बनाने का ज़िम्मेदार है। इसके फ़ैसले पायेदार होने चाहियें, हमेशा क़ायम रहने चाहियें और मैं यह समझता हूं कि अगर मैं यह कहूं तो अध्यक्ष महोदय मुझे माफ़ करेंगे कि बाज़ औक़ात मैं यह देखता हूं कि लोग अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस नहीं करते हैं और जो मुंह में आता है कह देते हैं। मैंने बनारस युनिवरसिटी का किस्सा पढ़ा और वहां जो झगड़ेबाज़ी चल रही है पढ़ कर दिल को अफ़सोस हुआ कि हमारे मुल्क़ में इस तरह के झगड़े चलते हैं और यह सब इसलिए होता है कि चन्द एक आदमी जो दीवाने होते हैं और जिनके मुंह में लगाम नहीं होती वह कोई झगड़ा खड़ा कर देते हैं और उस काम को खड़ा करने का नतीजा यह होता है कि एक बड़ी अच्छी से अच्छी जमात कमज़ोर हो जाती है और उसकी शक्ति घट जाती है और वह बदनाम भी होती है। आज हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे सवाल खड़े कर दिये जाते हैं और खड़े हो रहे हैं और थोड़े से आदमी किसी ख्याल को सामने रख कर और होश खो बैठते हैं और वह सही बात करने नहीं देते और ग़लत काम को करवाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। मैं हुकूमत को इस बात के लिए चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में हुकूमत बगैर मज़बूती के नहीं हो सकती। हमें जो कुछ भी अपना अमल हो उस पर बहुत मुस्तैदी के साथ क़ायम रहना पड़ेगा और जहां इस किस्म की शोरिश और शरारत होती है उसका मुक़ाबला मज़बूती, मुस्तक़िल इरादे और बहुत दानिशमंदी के साथ करना है। इसी सिलसिले में मैं यह भी अर्ज़ करूंगा कि बहुत सी बातों में मैं यह देखता हूं कि ऐसी चीज़ें जिनको कि हम लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, हमारी बाज़ सियासी पार्टियों के नेता उनके हल होने में रुकावट डालते हैं बजाय इसके कि वे उनके हल करने में सहयोग करें। बहुत से ऐसे मसले भी हैं जिनको कि हमारी सियासी पार्टियों को आम लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए और उनके अन्दर अपना हाथ

नहीं रखना चाहिए क्योंकि मेरा अपना यह ख़याल है कि अगर इस तरह से वह मसले छोड़ दिये जायेंगे तो उसका नतीजा बहुत ज्यादा अच्छा निकलेगा बनिस्बत इसके कि जो अब तक निकल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह चन्द एक बातें जो मेरे दिमाग में थीं उनको मैंने आपके सामने यहां पर रख दिया। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो नुक्ताचीनी यहां पर हुई है उनकी जवाबदेही तो ट्रेज़री बेंचेज़ के लिये छोड़ता हूं लेकिन मुझे यह एक चन्द एक बातें अर्ज़ करनी थीं जो कि मैंने आपके सामने रखीं। मैं समझता हूं कि हम खुशनसीब और खुशकिस्मत हैं कि हमें साल में एक मौक़ा मिलता है जब हम पिछली तमाम कार्यवाहियों पर कुछ अपने खयालात का इज़हार करते हैं और अपने जो इरादे होते हैं उनको हम और मज़बूत करते हैं और आगे आने वाले ज़माने के लिए तैयार करते हैं और इसमें हमारे राष्ट्रपति जो तमाम हिन्दुस्तान के हैड हैं वह आकर हमें परामर्श देते हैं और उस परामर्श की पूरी क़द्र होती है और हम यह चाहते हैं कि इस मौक़े पर हमें जो कुछ भी वे कहें उसको हम अपने सामने रखें और उस पर अमल करें। उस अमल से हम अपने मुल्क को आगे ले जा सकते हैं।

मैं, राष्ट्रपति ने जो अपना अभिभाषण दिया है उसको निहायत ही हौसलाकुन और हिम्मत दिलाने वाला एड्रैस पाता हूं और मुझे इस बात की उम्मीद है कि बावजूद इस बात के कि हमारे मुल्क में बहुत सी बुराइयां हैं जिनसे कि हमें लड़ना है और जिनका कि हमें मुक़ाबला करना है, हमने अगर हिम्मत से काम लिया और एकता और संगठन के साथ हम अपनी मंज़िल की तरफ़ बढ़ते रहे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे।

अब यह नुक्ताचीनी कर देना बहुत आसान है कि हमारी सर्विसेज़ के लोग रिश्वत लेते हैं, और हमारे देश और समाज में सब जगह घूसखोरी, अनुचित मुनाफ़ाखोरी और व्यभिचार का बोलबाला है तो उसके लिए मेरा यह कहना है कि हमें उन खराबियों को अपने यहां से निकालना है। किन्तु मैं यह बात निहायत अदब के साथ अर्ज़ करूंगा कि अगर कोई यह समझे कि यह सब जानबूझ कर या एक इरादे से होता है, तो वह क़तई ग़ैरमुनासिब बात होगी। इन सब खराबियों को खत्म करने की इन्तहाई कोशिश है लेकिन अभाग्यवश उसमें कामयाबी नहीं हुई है। हमें अपने मक़सद में कामयाब होने के लिए हर देशवासी का सक्रिय सहयोग प्राप्त होना चाहिए और अगर वह हमें प्राप्त हो सका तो यक़ीनी तौर अच्छे नतीजे निकलेंगे जो कि हम निकलते देखना चाहते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारी तमाम सियासी पार्टियों को एक पुकार दी गई है और तमाम देशवासियों को भी है कि वह अपने तमाम मतभेद और झगड़े भुलाकर राष्ट्रनिर्माण के इस महान प्रयास में जुट जायं और सहकार और सहयोग की भावना से देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मज़बूती के साथ एक होकर अपना क़दम बढ़ायें और मैं समझता हूं कि इस पुकार के लिए हर देशवासी के दिल में जगह होनी चाहिए और उसके मुताबिक अमल करना चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता महोदय को राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो एक आशा की किरण दिखाई देती है, मुझे तो वह किरण कहीं दिखाई नहीं दी और मुझे तो उसका कहीं पता नहीं लगता है।

आज जहां देश में बेकारी और भुखमरी का बोलबाला है वहां दूसरी ओर गेहूं और खाद्यान्न वस्तुओं के दाम आसमान को चूम रहे हैं और आज जब देश की ऐसी दयनीय अवस्था हो रही है उसके बावजूद भी मेरे माननीय मित्र को एक आशा की किरण दिखाई देती है तो मुझे लगता है कि वह तो किसी जादू की भाषा में ही बात कर रहे हैं। आखिर देश की क्या स्थिति है? क्या उस स्थिति का कोई स्पष्टीकरण या उसकी कोई व्याख्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई है? उस अभिभाषण से क्या पता लगता है? जिस पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए और राष्ट्रनिर्माण के लिए हमें

[श्री ब्रजराज सिंह]

आशा की किरण की ज़रूरत थी और जिस उत्साह की ज़रूरत थी क्या राष्ट्रपति का वह अभिभाषण देश में और उसके नागरिकों में पैदा कर सकता है ?

आज देश में क्या हो रहा है ? अभी हमारी सत्तारूढ़ पार्टी ने पिछले दिनों नागपुर कांग्रेस में एक प्रस्ताव पास किया । कहा जाता है कि वह भूमि सम्बन्धी सीमा निर्धारित करने के हेतु नीति सम्बन्धी प्रस्ताव है । अब भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और सहकारी खेती के लिए जो बारबार यह कहा जाता है कि हम सहकारी खेती करना चाहते हैं और भूमि की सीमा निर्धारित करना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या उसकी कोई चर्चा की गई है ? मैं ही यह बात नहीं कह रहा बल्कि श्री विनोबा भावे का भी कहना यह है कि तीन साल तक इंतज़ार करने के बाद जिस नीति को आप चलाना चाहते हैं तो उस समय आपको वितरण के लिए एक इंच ज़मीन भी नहीं मिलेगी । जब भूमि की सीमा तीन साल तक निर्धारित होगी तो जो अतिरिक्त ज़मीन है वह बंट चुकेगी । यदि भूमि की सीमा निर्धारित करने की समस्या आप हल करना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह चीज़ खेती की समस्या से बहुत ही गम्भीर रूप से जुड़ी हुई है और उसका तो सीधा सा रास्ता वह है जो कि वह अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए करती है । आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों चीनी उद्योग को साढ़े ६ करोड़ का मुनाफ़ा कराने के लिए सरकार ने एक आर्डिनेंस पास किया । मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के करोड़ों किसानों को फ़ायदा कराने के लिए नागपुर प्रस्ताव पास करने के बाद क्या यह सरकार आर्डिनेंस जारी नहीं कर सकती थी जिसके कि ज़रिये यह देख लिया जाय कि भूमि की अधिकतम सीमा यह होगी और उसके बाद जितनी भूमि रह जायगी वह अतिरिक्त लोगों में बांट दी जायगी । अभी यह सवाल राज्य की चर्चा का विषय भी नहीं है और उसके लिए ज़मीन पैदा की जा रही है लेकिन ज़मीन पैदा करते समय ही कांग्रेस पार्टी के अन्दर यह फ़ोरम आफ़ फ्री इंटरप्राइज़ वाले लोग यह प्रचार करने लगे हैं कि इस तरह से जो भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने और सहकारी खेती करने की बात है, उसको गवर्नमेंट करने में सफल होने वाली नहीं है । अब मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर यह सहकारी खेती और भूमि सुधार की चीज़ें सफल होने वाली नहीं हैं तो इस देश में क्या यह चीज़ सफल होने वाली है कि कुछ लोगों के हाथ में सारी पूंजी दे दी जाय ? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि नागपुर प्रस्ताव में जितनी दूर जाना चाहिए, उतनी दूर जाने की बात तो है ही नहीं । आप ग्रामीण जनता की भूमि की तो अधिकतम सीमा निश्चित करने की बात करते हैं लेकिन शहरों में रहने वाली जनता की आमदनी पर कोई सीलिंग लगाने की बात सुनकर आपको आश्चर्य होता है और मुझे तो प्रधान मंत्री महोदय की यह बात सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है कि गांवों में सीलिंग लगा देने से तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा लेकिन अगर नगरों में लोगों की आमदनियों पर कोई सीलिंग लागू की जायगी तो उससे उत्पादन घट जाने की सम्भावना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, १७ फरवरी १९५९/२८ माघ, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १६ फरवरी, १९५९]

२७ माघ, १८८० (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. .	५६१—८८
तारांकित प्रश्न संख्या		
२५३	डाक तथा तार बोर्ड संगठित करना	५६१—६३
२५४	मोकामा बरौनी सेक्शन का विस्तार	५६३-६४
२५५	ढोरों का निर्यात . .	५६४-६५
२५६	विशाखापटनम् में सूखी गोदी का निर्माण	५६५-६६
२५७	बंगलौर में मल अपवहन	५६७-६८
२५८	दुर्घटनाग्रस्त भारतीय वाष्प पोत	५६८-६९
२५९	पाकिस्तान पर नहरी पानी सम्बन्धी बकाया राशि	५६९—७२
२६०	पानी का जमा हो जाना	५७२—७४
२६२	गुना उज्जैन रेल सम्पर्क	५७४-७५
२६४	रुद्रपुर में ग्राम्य विश्वविद्यालय	५७५-७६
२६५	दिल्ली के विकास क्षेत्र	५७६-७७
२६६	चीनी उद्योग	५७८-७९
२६७	डाक विभाग के परिमण्डलों का पुनर्गठन	५७९—८१
२६८	फाटकों (गेट्स) के डिजाइन	५८१
२७०	कलकता में जल संभरण	५८१-८२
२७१	तिलहन का उत्पादन . .	५८२-८३
२७३	रेलवे के रियायती यात्रा नियमों में परिवर्तन .	५८४
२७४	हिन्दुस्तान शिपयार्ड के द्वारा दिये गये जहाजों का मूल्य .	५८४-८५
२७५	एयर इंडिया इन्टरनेशनल के लिये कोमेट हवाई जहाज .	५८६
२७७	जहाजों की खरीद के लिये जापान से ऋण . .	५८६-८७
२८१.	मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना . . .	५८७-८८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५८८—६४५
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६१	भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्	५८८
२६३	मुश्क हिरन . . .	५८८
२६६	रेलवे में भोजन-व्यवस्था	५८६
२७२	विजयवाड़ा में दूध पाडर का कारखाना .	५८६–६०
२७६	दामोदर घाटी निगम में तृतीय ताप-विद्युत् केन्द्र के लिये स्थान	५६०
२७८	उर्वरक के आयात का लक्ष्य	५६०–६१
२७६	शिकार तथा यात्रा अभिकर्ता	५६१
२८०	आंध्र में चावल की वसूली	५६२
२८२	काक्रापाड़ा परियोजना	५६२
२८३	'भारत आइये वर्ष' . . .	५६२–६३
२८४	रेलवे डाक सेवा के डिब्बे .	५६३
२८५	स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	५६३
२८६	'जनता विमान सेवा' .	५६४
२८७	अनाज . . .	५६४
२८८	एकीकृत स्वास्थ्य योजनायें . . .	५६५
२८६	उड़ीसा से चावल का क्रय . .	५६५
२६०	रियायती डाक दरें	५६६
२६१	चीन से चावल का आयात .	५६६
२६२	विमान भाड़ा दरें . . .	५६६
२६३	अन्तर्सरकारी समुद्रीय परामर्श संगठन	५६७
२६४	सेवा निवृत्ति योजना	५६८
२६५	कारखानों से निकले गन्दे पानी से भारतीय नदियों का गन्दा होना	५६८–६६
२६६	पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों के बारे में विशेष कार्य पदाधिकारी का प्रतिवेदन .	५६६–६००
२६७	खाद्यान्नों का समाहार	६००
२६८	उत्तर प्रदेश व बिहार में अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवायें .	६००–०१
२६६	नागार्जुनसागर परियोजना	६०१
३००	भविष्य निधि लेखे	६०१
३०१	मालगाड़ी का पटरी से उतरना . .	६०२
३०२	आसनसोल और रूरकेला के बीच बिजली की रेलगाड़ी .	६०२–०३

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

३०४	टेलीफोन डायरेक्टरी	६०३
३०५	भुंटार (कुलू) में हवाई पट्टी	६०३
३०६	हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के पानी घर (वाटर वर्क्स)	६०३—०४
३०७	पश्चिम रेलवे के प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूल का उदयपुर भेजा जाना	६०४
३०८	चीनी का निर्यात	६०४
३०९	वातानुकूलित रेल डिब्बे	६०५
३१०	रूरकेला भिलाई रेलवे मार्ग पर दोहरी लाइन का बिछाया जाना	६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या

२७७	पंजाब में वन्य पशुओं की सुरक्षा	६०५
२७८	उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्ष	६०५—०६
२७९	बिना टिकट के यात्रा	६०६
२८०	रेलवे कर्मचारियों में तपेदिक के रोगी	६०६—०७
२८१	उर्वरक का आयात	६०७—०८
२८२	राज्यों के पुलों का निर्माण	६०८
२८३	वंशधारा परियोजना	६०८—०९
२८४	सहकारी कृषि समितियां	६०९
२८५	सड़क निर्माण पर गवेषणा	६०९
२८६	बम्बई में खाद्यान्नों का उत्पादन	६१०
२८७	भूमि का कटाव	६१०
२८८	दिल्ली तथा नई दिल्ली में टेलीफोन के कनेक्शन	६१०—११
२८९	बाढ़ नियंत्रण योजनायें	६११
२९०	पंजाब में वन रोपण	६११
२९१	दिल्ली सर्कल के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	६११—१२
२९२	स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले	६१२
२९३	राज्यों में सिंचाई परियोजनायें	६१२
२९४	बिजली का उत्पादन	६१३
२९५	कच्चे पटसन की कीमतें	६१३
२९६	टेलीफोन रेवेन्यू कार्यालय (उत्तर प्रदेश) में क्लर्कों की भर्ती के लिये परीक्षा ।	६१३—१४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२९७	टेलीफोन रेन्वेन्यू कार्यालयों का हटाया जाना	६१४
२९८	लखनऊ के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान	६१४
२९९	नौकरी से निकाले गये तथा मुअत्तल किये गये कर्मचारी	६१५
३००	समाज शिक्षा संयोजक .	६१५–१६
३०१	हिन्दुस्तान शिपयार्ड को हुई हानि	६१६
३०२	पश्चिमी बंगाल में मलेरिया महामारी	६१६–१७
३०३	मैसूर राज्य में बीज-फार्म	६१७
३०४	कृषि गवेषणा बंजर भूमि . .	६१७–१८
३०५	दुग्ध उत्पादन . .	६१८
३०६	गुरदासपुर और पठानकोट स्टेशनों पर आय	६१९
३०७	पंजाब में क्षयरोग नियंत्रण	६१९
३०८	हिमाचल प्रदेश में ऋणिता	६१९–२०
३०९	खाद्य उत्पादन .	६२०
३१०	केरल में सार्वजनिक टेलीफोन	६२०
३११	डाक व तार घर	६२१
३१२	नदी बेसिनों के लिये बाढ़ नियंत्रण की वृहत् योजनायें	६२१
३१३	सरकारी हिसाब में वहन किया गया माल .	६२१
३१४	दिल्ली परिवहन उपक्रम (डी० टी० यू०) की बसें	६२२
३१५	रामगुंडम-निज़ामाबाद रेल सम्पर्क	६२२
३१६	ढले लोहे के स्लीपर	६२२–२३
३१७	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ की लम्बाई .	६२३
३१८	उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	६२३–२४
३१९	ग्वालियर स्टेशन के रेलवे यार्ड का नवनिर्माण .	६२४
३२०	सर्वदलीय खाद्य समिति . . .	६२४
३२१	अमृतकौर पुरी की गन्दी बस्ती के निवासियों का पुनः बसाया जाना	६२४
३२२	असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	६२५
३२४	कृषि भूमि .	६२५
३२५	सांप के काटने के मामले	६२५–२६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

३२६	देवरिया छावनी स्टेशन पर दुर्घटना	६२६
३२७	रीडगंज-मुगलसराय मालगाड़ी की दुर्घटना	६२६
३२८	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के प्रोफेसरों के वेतनक्रम	६२७
३२९	खरीफ़ फसल	६२७
३३०	दिल्ली के ग्रामों में बिजली लगाना	६२७—२८
३३१	छोटी सिंचाई योजनायें	६२८
३३२	रेलवे स्टेशनों पर विश्राम-गृह	६२८—२९
३३३	राजस्थान में बीज फार्म	६२९
३३४	डिब्बों में बन्द फल	६२९
३३५	त्रिपुरा में कृषि ऋण . .	६२९—३०
३३६	पठानकोट तथा गुरदासपुर नगरों में पीने के पानी का संभरण	६३०
३३७	पंजाब में रासायनिक उर्वरकों का वितरण	६३०
३३८	जांच इकाइयां . .	६३०—३१
३३९	लखनऊ-कानपुर सेक्शन का विद्युतीकरण .	६३१
३४०	उत्तर-प्रदेश में तपेदिक का सर्वेक्षण .	६३१
३४१	बंगलौर में तपेदिक नियंत्रण संस्था .	६३२
३४२	मनीपुर में चिकित्सा की होम्योपैथी पद्धति का बोर्ड	६३२
३४३	पंजाब में सिंचाई की भूमि . . .	६३३
३४४	भाखड़ा बांध . . .	६३३
३४५	नई दिल्ली में लावारिस पशु . . .	६३३—३४
३४६	रेलवे वर्दी समिति .	६३४
३४७	कटक में सिटी बुकिंग आफिस	६३४
३४८	मनीपुर में पुलों का निर्माण . . .	६३४—३५
३४९	मद्रास से पश्चिमी तट तक जाने वाली अर्ध साप्ताहिक जनता एक्सप्रैस	६३५—३६
३५०	रेलवे की विभागीय भोजन व्यवस्था	६३६
३५१	मैसूर द्वारा चावल की वसूली . . .	६३६—३७
३५२	परादीप पत्तन .	६३७
३५३	पागलों की चिकित्सा . . .	६३७—३८
३५४	हिमाचल प्रदेश में भावर घास .	६३८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर —(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
३५५	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ९ का पुल	६३९
३५६	भद्रावती रेलवे स्टेशन	६३९
३५७	काँगड़ा घाटी रेलवे . . .	६३९-४०
३५८	रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर .	६४०
३५९	चंदौसी स्टेशन पर डिब्बों का पटरी से उतर जाना	६४१
३६१	धान उत्पादन .	६४१
३६२	डाक तार विभाग की इमारतें	६४१
३६३	धान के बीजों का संभरण . . .	६४१-४२
३६४	राष्ट्रीय राजपथ . .	६४२
३६५	कोजिकोड में हवाई अड्डा	६४३
३६६	बंडकपुर स्टेशन . . .	६४३
३६७	करनूल हुबली रेल सम्पर्क	६४३-४४
३६८	गाजियाबाद में हड़ताल	६४४-४५
३६९	दिल्ली में सर्वदलीय खाद्य समिति . . .	६४५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		६४५—४८

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का वर्ष १९५६–५७ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।

(दो) दिनांक १७ दिसम्बर, १९५७ का पत्र संख्या २१३८–रिप/३३०–५७ जिसमें प्रतिवेदन पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की टिप्पणी दी हुई है ।

(२) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम, अधिनियम १९५६ की धारा ५२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ३ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १५ और १७ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६४ ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(दो) दिनांक १७ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ६५ से ६८ ।

(३) दिनांक ६ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५३१ में प्रकाशित चीनाकुरी कोयला खान दुर्घटना की जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ११८३ ।

(दो) दिनांक १७ दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १२१६ ।

(तीन) दिनांक २० दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १२१७, जिसमें चावल और धान (आसाम) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया हुआ है ।

(चार) दिनांक २२ दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १२२७, जिसमें मिल से कुटा हुआ चावल (बिहार) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया हुआ है ।

(पांच) दिनांक २३ दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १२२९, जिसमें चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ दिया हुआ है ।

(छः) दिनांक २४ दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १२३३, जिसमें उत्तर प्रदेश धान (यातायात पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५८ दिया हुआ है ।

(सात) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या १२३७ ।

(आठ) दिनांक ३ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या २३, जिसमें पंजाब धान (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ दिया हुआ है ।

(नौ) चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ७ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ४४ ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(दस) दिनांक ८ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ४५, जिसमें दिल्ली गेहूं (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ दिया हुआ है ।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश धान (यातायात पर नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १० जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ४६ ।

(बारह) चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १५ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ७१ ।

(तेरह) चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २२ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ११० ।

(चौदह) चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २४ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ११३ ।

(पन्द्रह) दिनांक २४ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ११४, जिसमें चावल और धान (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ दिया हुआ है ।

(सोलह) दिनांक २ जनवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १३४ जिसमें चावल और धान (मद्रास) मूल्य नियंत्रण आदेश १९५९ दिया हुआ है ।

(सत्रह) दिनांक २ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १३५, जिसमें पंजाब रीलर मिलें (गेहूं के प्रयोग का विनियमन) आदेश, १९५९ दिया हुआ है ।

(अट्ठारह) दिनांक ४ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १६७, जिसमें चावल और धान (मैसूर) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ दिया हुआ है।

(उन्नीस) चावल और धान (आन्ध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ४ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १६८ ।

(बीस) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं यातायात नियंत्रण आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ७ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १७१ ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(५) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कृष्णा जिले (आन्ध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये उनके पास विद्यमान भण्डार की घोषणा करवाने के लिये ४२८ आदेशों के तीन विवरण।

(दो) पूर्व गोदावरी जिले (आंध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये उनके पास विद्यमान भण्डार की घोषणा करवाने के लिये ३७९ आदेशों के तीन विवरण

(तीन) पश्चिम गोदावरी जिले (आंध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये उनके पास विद्यमान भण्डार की घोषणा करवाने के लिये ५३६ आदेशों के तीन विवरण ।

(चार) गुन्टूर ज़िले (आंध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये उनके पास विद्यमान भण्डार की घोषणा करवाने के लिये ३० आदेशों का एक विवरण।

(पांच) कृष्णा ज़िले (आंध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के २५८ आदेशों के चार विवरण।

(छः) पश्चिम गोदावरी ज़िले (आंध्र प्रदेश) में कुछ व्यापारियों को दिये गये चावल के अधिग्रहण के ३९४ आदेशों के दस विवरण।

याचिका की सूचना ६४८–४९

सचिव ने भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक, १९५८, (संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित), के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका के प्राप्त होने की सूचना दी।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . . . . . ६४९—५१

(१) परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं सम्बन्धी २८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ पर सर्वश्री तंगामणि और संगण्णा के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

(२) सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफ़िज़ मोहम्मद इब्राहीम) ने नदी बोर्ड नियम, १९५८ को सभा-पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विषय पृष्ठ

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—(क्रमशः)

(३) श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने रामपुर में रजा और बुलन्द शुगर मिल्स के विवाद के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ६५१—८२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर १३ फरवरी, १९५९ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९/२८ माघ, १८८० (शक) के लिए कार्यावलि ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।